महत्वपूर्ण विभागीय शासनादेशों का संकलन

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, योजना खण्ड–5 एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
(आर.जी.एस.ए.)

संख्या-2152/33-3-2023-21 भा0स0/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— **निदेशक,**
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2— **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज,अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक—13 अक्टूबर, 2023

विषयः— मिशन शक्ति अभियान, 2023 (फेज—4) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित् करने की दिशा में विभाग दृढ़ संकल्पित है एवं विभाग द्वारा निरन्तर क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन कर महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, उनमें नेतृत्व एवं संचार कौशल विकसित किए जाने का प्रयास किया जाता रहा है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से मिशन शक्ति अभियान, 2023 (शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस—15 अक्टूबर, 2023 से प्रारम्भ) अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन की दिशा में निम्नांकित गतिविधियाँ संचालित की जानी हैः—

क्र0 सं0	गतिविधियाँ	गतिविधियों का विवरण	कार्यकारी इकाई	समयावधि
1	बालिका जन्म पंजीकरण अभियान	• बालिका जन्म का अनुश्रवण करते हुए ग्राम पंचायत में बालिकाओं के जन्म का पंजीकरण, सी.आर.एस. पोर्टल पर शत—प्रतिशत सुनिश्चित् किया जाना। • ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों द्वारा बालिका जन्म पंजीकरण के विषय में जन—जागरूकता हेतु प्रचार—प्रसार किया जाना।	समस्त त्रि—स्तरीय पंचायतें	अक्टूबर, 2023 से अनुश्रवण
2	महिला सभा का आयोजन	• जनयोजना अभियान, 2023 की अवधि में पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या—4121/33—3—	समस्त त्रि—स्तरीय पंचायतें	अक्टूबर से दिसम्बर, 2023 के

क्र0 सं0	गतिविधियाँ	गतिविधियों का विवरण	कार्यकारी इकाई	समयावधि
		2022 दिनांक 06.11.2022 में निर्दिष्ट महिला सभाओं का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं की आवश्कताओं को वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. का भाग बनाया जाना। • क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा द्वारा भी महिला सदस्यों के साथ बैठक कर उनसे सम्बन्धित विषयों को वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाया जाना।		मध्य
3	बालिका शौचालयों की मरम्मत, जीर्णोद्वार अथवा उपयोग सुनिश्चित् करना।	• पंचायतों में स्थापित शासकीय प्राथमिक, अपर माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शौचालयों की मरम्मत/जीर्णोद्वार एवं उनका उपयोग सुनिश्चित् करना।	ग्राम पंचायत	अक्टूबर एवं नवम्बर, 2023
4	पंचायती राज संस्था–स्वयं सहायता समूह (पी.आर.आई –एस.एच.जी.) का प्रशिक्षण	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) एवं जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के माध्यम से 1,15,404 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना को ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाये जाने के लिए संवेदित करना।	प्रिट एवं जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर एवं विकास खण्ड	अक्टूबर, 2023 से जनवरी, 2024 के मध्य
5	महिला प्रधानों का प्रशिक्षण	स्वयं सेवी संस्था सी–3 के सहयोग से लगभग 17500 महिला प्रधान को उनके अधिकारों, नेतृत्व एवं संचार कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।	प्रिट एवं जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर	अक्टूबर, 2023 से जनवरी, 2024 के मध्य
6	महिलाओं के अधिकारों एवं उनसे सम्बन्धित	सूचना विभाग, उ0प्र0 से महिला अधिकारों एवं उनसे सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी एवं मुद्रित	पंचायती राज विभाग एवं सूचना	अक्टूबर से दिसम्बर, 2023 के

क्र0 सं0	गतिविधियाँ	गतिविधियों का विवरण	कार्यकारी इकाई	समयावधि
	योजनाओं का प्रचार–प्रसार	संदर्भ सामग्री प्राप्त कर ग्राम पंचायतों में वितरण।	विभाग, उ0प्र0।	मध्य
7	मॉडल ग्राम पंचायत की महिला प्रधानों का सम्मान	अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (15 अक्टूबर) के उपलक्ष्य में मॉडल ग्राम पंचायत की महिला प्रधानों को सम्मानित करना।	पंचायती राज निदेशालय	16 से 18 अक्टूबर, 2023 के मध्य।

3– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार मिशन शक्ति अभियान, 2023 (फेज–4) का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में करते हुए विभागीय एम.पी.आर.पोर्टल (निर्धारित प्रारूप संलग्न) पर फोटो सहित पाक्षिक प्रगति आख्या अपलोड कराना सुनिश्चित् करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,
13.10.23
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक– तदैव।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5– संयुक्त निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त मंडलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
8– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उ0प्र0।
10– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11– समस्त प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, उ0प्र0।
12– गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

Dell/d/Server/GO

संलग्नकः 1

मिशन शक्ति अभियान, 2023 अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित गतिविधियॉ।

प्रगति भरने की अवधिः पाक्षिक

क्र0	जनपद	ग्राम पंचायतों में माह में जन्मीं बालिकाओं की संख्या	सी.आर. एस. पोर्टल पर पंजीकृत जन्म	ग्राम पंचायत की संख्या	माह में आयोजित महिला सभा	माह में मरम्मत/जीर्णो द्वार /उपयोग में लाये गए बालिका शौचालय	पी.आर.आई. –एस.एच. जी. कन्वर्जेंस प्रशिक्षण का लक्ष्य	प्रशिक्षण में माह में प्रशिक्षित प्रतिभागी	महिला अधिकार, नेतृत्व एवं संचार कौशल पर महिला प्रधानों के प्रशिक्षण का लक्ष्य	प्रशिक्षित महिला प्रधान	ग्राम पंचायत की सं0 जिनमे प्रचार–प्रसार सामग्री वितरित की गयी है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

संख्या–2160/33–3–2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

पंचायती राज,अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक– 16 अक्टूबर, 2023

विषयः– पंचायत सहायकों के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या–1925/पॉच–7–2016–रिट–201/2010 दिनांक 30 जनवरी 2017 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल/प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी (इंचार्ज) अध्यापक को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत में होने वाली जन्म एवं मृत्यु को सी0आर0एस0 पोर्टल पर अंकित किये जाने की कार्यवाही की जाती है एवं तदनुसार ही परिवार रजिस्टर को अद्यतन किया जाता है।

2– उक्त के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर जन्म–मृत्यु के पंजीकरण की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि उक्त पंजीकरण ग्राम स्तर पर हुए जन्म–मृत्यु के सापेक्ष शत–प्रतिशत नहीं है क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव, ग्राम पंचायत) वर्तमान में एक से अधिक पंचायतों के क्लस्टर में कार्यरत हैं जो प्रतिदिन ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रह पाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय पर ग्राम पंचायत की संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक उक्त कार्य अधिक सुचारू रूप से कर सकता है क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनकी उपस्थिति है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत स्तर पर सूचक (Informant) बनाने हेतु आवश्यक अधिसूचना अपने स्तर से निर्गत कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि सी0आर0एस0 पोर्टल पर सूचक द्वारा पंजीयन हेतु अग्रसारित आवेदन मॉनिटरिंग आई0डी0 से अवलोकित किये जा सकें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
16.10.23
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
2– निदेशक, जनगणना कार्य एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

Dell'd/Suresh/GO

उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग–7
संख्या–1925/पॉच–7–2016–रिट–201/2010
लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2017

अधिसूचना

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विषय से सम्बन्धित विद्यमान अधिसूचना संख्या–1995(1)/5–7–2001–वी0एस0–6/2000, दिनांक 05.11.2001 तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या– 252/5–7–2008–वी0एस0–2/97 टी0सी0, दिनांक 12 फरवरी, 2008 का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये, नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित प्राधिकारियों को प्रत्येक के सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य करने के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं :–

क्र. सं.	प्राधिकारी	जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये पदनाम	स्थानीय क्षेत्र
1	2	3	4
नगरीय क्षेत्रः			
1	नगर निगमों के उप नगर आयुक्त/जोनल अधिकारी	रजिस्ट्रार	सभी नगर निगमों स्थानीय क्षेत्र के भीतर उनके सम्बंधित जोन के अधीन आने वाले क्षेत्र/वार्ड
2	सभी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों के अधिशासी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	रजिस्ट्रार	उनकी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों के भीतर के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र
3	नोएडा/ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक अधिकारी	रजिस्ट्रार	नोएडा/ग्रेटर नोएडा के भीतर के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र
4	सभी औद्योगिक नगरों (Industrial Township) के प्रभारी चिकित्साधिकारी	रजिस्ट्रार	उनके औद्योगिक नगरों (Industrial Township) भीतर के उनक सभी सम्बन्धित क्षेत्र/वार्ड
5	ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/ लेखपाल /प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी (इंचार्ज) अध्यापक।	रजिस्ट्रार	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये स्तम्भ 2 में वर्णित कोई एक पदाधिकारी (ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों के लिये)–जिलारजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/ जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जायेगी एवं रजिस्ट्रार के कार्यालय का स्थान (पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, बहुउद्देशीय सरकारी भवन) भी चिन्हित किया जायेगा।
राजकीय चिकित्सा संस्थान			
6	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान/राजकीय मेडिकल कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय/राजकीय जिला चिकित्सालय /राजकीय महिला चिकित्सालय/राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।	रजिस्ट्रार	उनके राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय/ राजकीय जिला चिकित्सालय/राजकीय महिला चिकित्सालय/राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि पर होने वाले सभी जन्म–मृत्यु।

महानिदेशक शिविर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
पत्रांक 993
दिनाँक 23.02.17

Scanned with CamScanner

धारा 7 (2) से 7 (4) के अनुसार प्रत्येक रजिस्ट्रार –

1. धारा 8 या 9 के तहत् बिना किसी फीस या पुरस्कार के ही रजिस्टर में सूचना का संधारण करना जो ज... मृत्यु उसके क्षेत्राधिकार में हुई है उनका ध्यानपूर्वक पता करना और अपेक्षित विवरणों को रजिस्टर करना।
2. प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र मे होगा जिसके लिये वह नियुक्त किया गया हो।
3. प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐ... समय पर जिनका मुख्य रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार निर्देश दे, उपस्थित रहेगे और रजिस्ट्रार के कार्यालय व बाहरी द्वार पर या उसके पास के ही किसी सहजदृष्य स्थान पर एक बोर्ड लगाना, जिस पर उनके नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिये वह नियुक्त हो उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाशा में लिखे होंगे (प्रारूप निम्नानुसार)।

जन्म – मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्यालय

पंजीकरण यूनिट का नाम (ग्राम पंचायत का नाम,नगर निगम, नगर पालिका परिशद,नगर पंचायत आदि) एवं कोड .....

.....पंजीकरण यूनिट (ग्राम पंचायत/नगरीय)

के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामो के नाम/कोड अथवा वार्ड का नाम/कोड .....

.....रजिस्ट्रार का नाम .....

.....रजिस्ट्रार का मोबाइल नम्बर .....कार्य

दिवस .....समय .....

.....

बच्चे का जन्म पंजीकृत किया जाना, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है।

रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु

4. अधिनियम की धारा 7 (2) के अंर्तगत स्वप्रेरणा (अपने आप से) रजिस्ट्रेशन इससे अभिप्राय रजिस्ट्रार द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में घटित जन्म और/अथवा मृत्यु की ऐसी किसी भी घटना को स्वयं रजिस्ट्रेशन करने से है, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आई है।
5. बच्चे के नाम का रजिस्ट्रेशन, यदि जन्म बिना नाम के रजिस्ट्रीकृत है (धारा 14)
6. जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि को सही या निरस्त करना (धारा 15)
7. रिकार्ड (जन्म, मृत जन्म, और मृत्यु रजिस्टर) का सुरक्षित संधारण और रिकार्ड की गई सूचना की शुद्धता व यथातथ्य को सुनिश्चित करना (धारा 16,19)
8. जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि की खोज करना (धारा 17 (1) (अ) और 17 (1) (ब)]
   (क) जन्म और मृत्यु रजिस्टर से निर्धारित प्रविष्टियों का उद्धरण जारी करना
   (ख) अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करना
9. निर्धारित अधिकारी को मासिक रिपोर्ट जमा करना [धारा 19 (1)] और
10. जहाँ एम सी सी डी योजना कियान्वित हो रही है वहाँ मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
11. जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जैसे ही पूरा हो रजिस्ट्रार फॉर्म संख्या 5 (जन्म के लिये) और फॉर्म संख्या 6 (मृत्यु के लिये) जन्म और मृत्यु रजिस्टर से निर्धारित उद्धरण रजिस्ट्रेशन के लिये सूचना देने वाले को मुफ्त में देना है (धारा 12)। इस फॉर्म में जो प्रविष्टि हैं वे जन्म और मृत्यु रजिस्टर में निर्धारित प्रविष्टियों का ही उद्धरण है। यह उद्धरण सामान्यतः जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। धारा 8ध्या 9 के तहत जिसने घटना की सूचना दी है उस व्यक्ति को उद्धरण की पहली कॉपी मुफ्त में देनी है। (धारा 12) चाहे रजिस्ट्रार उद्धरण/प्रमाण पत्र की कम्प्यूटराइज्ड कॉपी दें, तब भी इसके लिये कोई पैसा नहीं लेना है।

रजिस्ट्रार से रिपोर्टिंग से 30 दिन के अन्दर जन्म या मृत्यु का उद्धरण प्राप्त कर सकता है। [नियम 8 (2) से 8 (4), धारा 12]। इस नियम के तहत जन्म या मृत्यु उद्धरण प्राप्त नहीं किये हों ऐसी स्थिति में, रजिस्ट्रार या अधिकारी या सम्बन्धित संस्था के प्रभारी को उद्धरण सम्बन्धित परिवार को ऊपर बतायी गयी अवधि से 15 दिन के अन्दर डाक से भेज दें [नियम 8 (5), धारा 12]।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को सभी रजिस्ट्रारों को संलग्न प्रारूप पर नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है जो कि नियुक्ति पत्र जारी करने के उपरान्त अपने जिले के सभी रजिस्ट्रारों की रजिस्ट्रेशन इकाईवार पूर्ण विवरण की सूचना मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए उ0प्र0 लखनऊ एवं सहायक महारजिस्ट्रार (सीआरएस) जनगणना कार्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को भेजने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते है।

Scanned with CamScanner

रजिस्ट्रार जब जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 अथवा उसके अर्न्तगत बनाए गए नियमों अथवा जारी किसी आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के गत लोकसेवक समझा जाएगा।(जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 26)

उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, पैरा–1 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को उनके म्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या –1925(1)/पांच–7–2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– विधायिका विभाग (वेटिंग अनुभाग) सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
3– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7– मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
8– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त रजिस्ट्रारों को वितरित कराने का कष्ट करें।
9– निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
10– निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11– अपर निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम), चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त अपर निदेशक (मण्डल), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
14– सहायक निदेशक/संख्या अधिकारी (जन्म–मृत्यु आंकड़ा), चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
15– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त रजिस्ट्रारों को वितरित कराने का कष्ट करें।
18– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19– भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
20– निदेशक, जनगणना कार्य एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21– निदेशक, मुद्रण कार्यालय, इलाहाबाद को उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
22– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रारों को जारी किया जाने वाला नियुक्ति पत्र का प्रारूप

(नियुक्ति पत्र की एक अतिरिक्त प्रति मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु), उत्तर प्रदेश को एवं एक अतिरिक्त प्रति सहायक महारजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जानी है)

जिला का नामः–..... जिला का कोडः–.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री (नाम).....
मोबाइल नम्बर.....
पदनाम.....
कार्यालय का पता.....

विषयः–जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की प्रदत्त धाराओं के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में।

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की प्रदत्त धाराओं के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ..... दिनांक ..... (फोटोप्रति संलग्न) के द्वारा मुझे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आपको ग्राम पंचायत.....
.....
के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों यथाः–.

1.....
2.....
3.....
4.....

के लिए रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) नियुक्त करता हूँ।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अन्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा।(जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 26)। जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्य के लिए आपके कार्यालय का पता निम्नानुसार होगाः–

जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्यालय का पूरा पताः–

.....
.....
.....

स्थानः..... हस्ताक्षरः.....

जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)/जिलाधिकारी

दिनांकः..... मुहरः.....

Scanned with CamScanner

The Uttar Pradesh,Government,
Medical Section-7
No- 1925 /5-7-2016 –Writ -201/2010
Lucknow Dated- 30 January, 2017

In pursuance of the provisions of section 7(1) of the RBD act 1969 and in supersession of already existing notification no.1995(1)/5-7-2001-v.s-6/2000 dated 05.11.2001 and office memorandum of Uttar Pradesh Government no.252/5-7-2008-v.s-2/97 7c dated 12-02-2008. The governor exercises his power to notify to appoint a Registrar for each local area within the jurisdiction of a municipality, panchayat or of the local authority as depicted in colum no 2 below for the areas mentioned in colum no 4:-

S.L No	Officer/Employee	Designation for birth and death registration	Local area
1	2	3	4
Urban area			
1	Deputy municipal commissioner/zonal officer of nagarnigam	Registrar	For local areas/zones of nagarnigam
2	Executive officer/chief Executive officer of nagarpalikaparishad/ Nagar panchayat/Cantt Board	Registrar	For local areas of nagarpalikaparishad/ Nagar panchayat/Cantt Board
3	Administrative officer of Noida/Greater Noida	Registrar	For local areas
4	M.O incharge of industrial township	Registrar	For local areas
Rural area			
5	Gram vikasadhikari/gram panchayat adhikari /Lekhpal/ Head master/incharge of primary schools	Registrar	For all the revenue villages falling under any Gram panchayat Any one amongst the officers/ employee mentioned in colum 2 will be appointed Registrar by the District Magistrate/District Registrar (birth and death) of the district. (their working place i.e. panchayat bhawan, Govt. school, multi purpose hall will be ear marked)

Scanned with CamScanner

State medical institutes			
6	Chief medical supdt / supdt/M.O incharge of State medical institutions/ State medical colleges and their associated hospitals/ district hospitals/district women hospitals/ district combined hospitals/ comnuity health centres/primary health centres	Registrar	For all the Birth/Death occurring in State medical institutions/ State medical colleges and their associated hospitals/ district hospitals/ district women hospitals/ district combined hospitals/comnuity health centres/ primary health centres.

Duties and Responsibilities of Registrar

As per section 7(2) to 7 (4), every registrar/sub- registrar shall.

1. Without fee or reward, enter in the register maintained for the purpose all information given to him under section 8 or section 9 and shall also take steps to inform himself carefully of every birth and of every death which takes place in his jurisdiction and to ascertain and register the particulars required to be registered.
2. Have an office in the local area for which she/he is appointed, and
3. Attend her/his office for the purpose of registering births and deaths on such days and at such hours as the chief registrar may direct and shall cause to be placed in some conspicuous place on or near the outer door of the office of the registrar a board bearing,in the local language,his name with the addition of registrar of births and deaths for the local area for which she/he is appointed,and the days and hours of her/his attendance as under.

OFFICE OF THE REGISTRAR BIRTH AND DEATH

Registration unit name (name of the gram panchayat, nagarnigam, nagarpalikaparishad,nagar panchayat and others) and code.....
.....registration unit (Gram panchayat/urban) for all the revenue villages/code name of ward/code.....
.....name of registrar .....
.....mobile number of registrar.....
.....working days.....time .....

Scanned with CamScanner

4. Suo motu registration of event [section 7 (2)].this would mean that registrar should take cognizance of birth and/or death events that have occurred in the area under her/his jurisdiction but not been reported for registration.

5. Registration of name of child, If birth is registered without the name [section 14]

6. Correction and cancellation of entry in the birth and death register [section 15]

7. Maintaining custody of records (register of birth,still births and deaths) and ensure accuracy and correctness of particulars recorded therein [section16,19]

8. Search of any entry in the birth and death register [section 17(1)(a) and 17 (1)(b)]
   a. Issuance of extract of prescribed particulars from the register of births and deaths.
   b. Non-availability certificate .

9. Submit monthly reports to prescribed authority [section 19 (1)],and

10. Obtain a certificate as to the cause of death where the scheme of MCCD is implemented.

11. As soon as the registration is completed registrar shall give inform 5 (for birth) and form 6 (for death) an extract of the prescribed particulers from the register birth and deaths, free of charge, to the person who has given the information for registration, first copy (whether computerised)free of the charge [section 12].

12. It will not be out of place to mention that registrar/sub registrars while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of the RBD act or any rule or order made there under shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21of the Indian penalcode (45of1860) [section 26]

The person concerned may collect the extracts of birth or death from the registrar (for domiciliary event) and the officer or person-in-charge of the institution (for institutional events)within thirty days of its reporting [rule8(2) to8(4) section 12]in case the extracts of birth and death is not collected as required under such rule of section 12, the registrar or the officer or person in charge of the concerned institution shall transmit the same to the concerned family by post within 15 days of expiry of the said period.

All the district magistrates/ district register (birth and death) are empowerdto appointregistrar for their district and information to this effect shall be furnished to the chief register (birth and death)/ DG Medical and health UP and ARGI(CRS) directorate of census operation UP.

Scanned with CamScanner

All Registrars while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this act or any rule or order made thereunder be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian penal code (45 of 1860)(Section 26).

By order,

Arun kumar Sinha,
Additional Chief Secretary

No- 1925 (1)/5-7-2016, Said Dated

Copy to the Following for information and necessary action

1. Accountant general UP Allahabad.
2. Legislative department (waiting section) Secertriate U.P.
3. Agriculture producion commissioner U.P.
4. Secertorydeptt. of Urban development U.P.
5. Secertorydeptt. Of basic education U.P.
6. Commissioner deptt. Of Rural development U.P.
7. Chief Registrar (Birth and death)/ D.G. medical and health U.P.
8. D.G. Medical education and training with the remark that please forward the copy of this notification to all the registrar working under you.
9. DierectorPanchayati raj UP.
10. Dierectordeptt. Of basic education U.P.
11. Addl. Director (National Programme) U.P
12. All divisional Dy. Director Panchayati raj U.P.
13. All Addl. Director (divisional) Medical health and family welfare U.P.
14. Asstt. Director/Statistical officer (Birth and Death) Medical and Health U.P.
15. All the District magistrate U.P.
16. All chief development officers U.P.
17. All the CMO of UP with the remark that please forward the copy of this notification to all the registrar working under you.
18. All DPROs U.P.
19. Registrar General and census commissioner of India 2/Amansingh road, New Delhi.
20. Director census oprations UP
21. Director Printing office Allahabad, for publishing the above notification in the gazette.
22. Guard File.

By order,

(Shiv Gopal Singh)
Under secretory

Scanned with CamScanner

Format of Appointment letter to Registrar for Registration of Birth and Death to be Issued

(An Additional copy of Appointment letter is to be Submitted to Chief Registrar (Birth - Death) ,Uttar Pradesh and a copy of the same is also to be submitted to Assistant Registrar General of Uttar Pradesh)

Name of District---------- District Code ----------

To,

Shri/Smt/Km/(Name)----------
Mobile No----------
Designation----------
Office Address----------

Subject-Appointment as Registrar (Birth - Death) under the sections of Registration of Birth and Death, Act 1969

Under the sections of Registration of Birth - Death Act 1969 and notification no-------- dated---------(Photocopy Attached) vide Government of Uttar Pardesh, The delegation of power authorize me, to appoint you for Gram Panchayat----------

For all the revenue villages falling under as-

1 ----------
2----------
3----------
4----------
As Registrar (Birth - Death)

Registration Act 1969 or any rules which comes in, or working in pursuant to any released order then you would be considered as a Public servant of Indian penal code (45 of 1860)under section 21(Section 26 of Registration Act of Birth - Death)-

Full address of your office For Registration of Birth- Death would be as follows-

Registration of Birth - Death office with complete address-

Place---------- Signature----------

District Registrar (Birth and Death)/ District Magistrate

Dated---------- Seal----------

Scanned with CamScanner

संख्याः 1731/33–3–2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांकः 08 सितम्बर, 2023**

विषयः– 02 अक्टूबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के मध्य वर्ष 2024–25 की सहभागी पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र सं0– एम–11015/197/2023–सी.बी., दिनॉक 18 अगस्त 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक 02 अक्तूबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी.) के साथ–साथ 29 फरवरी 2024 तक क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) तथा 31 मार्च 2024 तक जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्याः 1033/33–3–2022–345/2016/टी.सी., दिनांक 27 मई, 2022 के द्वारा 09 विषयों के माध्यम से एस0डी0जी0 लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्राप्ति के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण (थीम) अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में सहभागी पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत हैंः–

1. दिनांक 02 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य "जन योजना अभियान" का आयोजन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 की नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना को सक्षम समिति से अनुमोदन के पश्चात् **ई–ग्राम स्वराज पोर्टल** पर अपलोड किया जाये।
2. वार्षिक कार्ययोजनाएं सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में 09 विषयगत दृष्टिकोण/थीम (1. गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गॉव, 2. स्वास्थ्य गॉव, 3. बाल हितैषी गॉव, 4. पर्याप्त जल युक्त गॉव, 5. स्वच्छ एवं हरित गॉव, 6. आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ॉचे वाला गॉव, 7. सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गॉव, 8. सुशासन युक्त गॉव, 9. महिला हितैषी गॉव पर आधारित होगी, जिन्हें विभिन्न विषय से सम्बन्धित नोडल विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जन सहभागिता लेते हुए तैयार किया जाये।
3. वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. तैयार करने से पूर्व शासनादेश सं0 2618/ 33–3–2015–10 जी.आई./2015, दिनॉक 29 सितम्बर, 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक कराते हुए 09 थीम/विषय से सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों के दायित्वों का निर्धारण किया जाए तथा महत्वपूर्ण फ्लैगशिप (राज्य/केन्द्र) योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण एवं उनसे सम्बन्धित गतिविधियों को पंचायतों की कार्ययोजना में सम्मिलित कराने हेतु ग्राम/ ब्लाक/ तहसील/जनपद स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों को जिलाधिकारी के स्तर से निर्देश निर्गत किये जाये।

4. वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने हेतु नियोजन की प्रकिया का ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर पर का निम्नानुसार पालन सुनिश्चित् किया जाएः–

(अ) ग्राम पंचायत स्तर परः–

I. ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व योजना तैयार किए जाने ग्रामवासियों को जागरूक किया जाए तथा ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों की आश्यकताओं के आंकलन एवं समस्याओं की पहचान हेतु विभिन्न विभागों के कर्मियों के साथ भ्रमण किया जाये। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत में उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ग्रामवासियों की समस्याओं/आवश्यकताओं पर ग्राम सभा में विचार किया जाए। समस्त विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी की उपस्थिति दिनांक 02 अक्तूबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के मध्य होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये। इस सम्बंध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 'मिशन अंत्योदय' अन्तर्गत एकत्र किये गये प्रत्येक ग्राम पंचायत की संरचनात्मक, आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर पाये गये क्रिटिकल गैप पर भी चर्चा कर गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जायगा।

II. ग्राम पंचायतों द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु निर्धारित 09 थीम में से कम से कम 01 एवं अधिकतम 02 थीम का चयन किया जायेगा (वर्ष 2023–24 हेतु चयनित विषय का पुनः भी चयन किया जा सकता है)। चयनोपरान्त ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित थीम का उल्लेख ग्राम सभा की कार्यवाही में किया जाएगा तथा हस्ताक्षरित ग्राम सभा संकल्प की प्रकिया पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित वाइब्रेण्ट ग्राम सभा पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) पर किया जायेगा, साथ ही वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने की प्रकिया को जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर अद्यतन करते हुए ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(ब) क्षेत्र एवं जिला पंचायत स्तर परः–

I. क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा भी अपने कार्यक्षेत्र में जन–समुदाय की आवश्यकताओं/समस्याओं को चिन्हित कर वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये तथा 09 विषयगत क्षेत्रो/थीम पर ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं को क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) एवं क्षेत्र पंचायत की आवश्यकताओं को जिला पंचायत विकास योजना(डी.पी.डी.पी.) का भाग बनाया जाये।

II. क्षेत्र एवं जिला पंचायतों द्वारा अपनी विकास योजना में विकासात्मक आवश्यकताओं, एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों को लाभ पहुँचाने वाले कार्य, सामाजिक विकासपरक कार्य, स्त्री–पुरूष समानता के प्रति संवेदित योजना, स्वच्छता, जल आपूर्ति, खेल के मैदान, बुनियादी ढाचा विकसित करने जैसी सेवाओं की शत–प्रतिशत उपलब्धता, कार्बन मुक्त एवं ग्राम ऊर्जा (सोलर पॉवर) से संबंधित गतिविधियों पर केन्द्रित कार्ययोजना, स्वयं द्वारा किए जा रहे कार्यो तथा दी जा रही सेवाओं के आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन से सम्बन्धित कार्य को जगह दी जाये। इसके साथ ही कार्ययोजना में कम लागत/बिना लागत वाली गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाए।

III. बी.पी.डी.पी. को क्षेत्र पंचायत समिति तथा डी.पी.डी.पी. को जिला पंचायत की निर्धारित समिति से अनुमोदन के पश्चात् जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर अद्यतन करते हुए वार्षिक कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

5. उक्त के क्रम में दिनांक 02 अक्तूबर, 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य वर्ष 2024–25 की वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी.) तैयार करने हेतु निम्न समय–सारिणी के अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित् किया जायेः–

(1) ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)

क्र.	गतिविधियॉं	समयावधि
1.	ग्राम पंचायत पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक का आयोजन।	दिनांक 20 सितम्बर, 2023 तक
2.	जनपद एवं ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारियों का निर्धारण।	20 सितम्बर 2023 तक
3.	ग्राम पंचायत स्तर पर फैसिलिटेटर का चयन।	25 सितम्बर 2023 तक
4.	नोडल अधिकारियों एवं फैसिलिटेटर हेतु परिचयात्मक कार्यशाला/अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन।	27 सितम्बर 2023 तक
5.	ग्राम सभा के आयोजन का रोस्टर, उसमें अधिकारी/कर्मियों की उपस्थिति तथा जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर ग्राम सभा की समय–सारिणी अपलोड किया जाना।	दिनांक 01 अक्तूबर, 2023 तक
6.	वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार–विमर्श एवं जागरूकता हेतु स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन।	दिनांक 02 अक्टूबर 2023
6.1	वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु ग्राम सभा की कम से कम 02 बैठकों (प्रथम बैठक जागरूकता एवं कार्ययोजना पर विचार तथा द्वितीय बैठक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाना) का अनिवार्य रूप से आयोजन।	दिनांक 02 अक्तूबर, से 15 दिसम्बर, 2023 तक
6.2	महिला सभा एवं बाल सभा का आयोजन ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाए, जिसमें शिक्षा, महिला व बान विकास, महिला कल्याण तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि सहयोगी होंगे।	
6.3	ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा "मिशन अन्त्योदय" सर्वेक्षण में आए क्रिटिकल गैप पर चर्चा कर आवश्यकतानुसार गतिविधियों का समावेश।	
6.4	गरीबी न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन, वी.एच.एस.एन.सी., जैवविविधता सम्बंधी वानिकी योजना, एस.एल.डब्ल्यू एम., विद्यालय प्रबंधन, श्रम बजट तथा अन्य ग्राम स्तरीय कार्ययोजना का जी.पी.डी.पी. का समावेश।	
6.5	ग्राम सभा, महिला सभा व बाल सभा की जियो–टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जाना।	
7	अंतिम रूप से ग्राम सभा से अनुमोदित कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना।	दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक

(2) क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) एवं जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) तैयार करनाः

क्र.सं.	गतिविधियॉ	समयावधि
1	क्षेत्र पंचायत (खण्ड विकास अधिकारी) एवं जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी) का कार्ययोजना तैयार किये जाने पर उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण एवं विचार–विमर्श हेतु प्रथम बैठक।	दिनांक 02 अक्तूबर, 2023
2	क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीमों की सूचना सम्बन्धित लाइन डिपार्टमेन्ट द्वारा उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 02 अक्तूबर, से 15 नवम्बर, 2023 तक
3	फैसीलिटेटर चयन के साथ क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत समिति द्वारा कार्यक्षेत्र की समस्याओं का चिन्हींकरण कर आवश्यकताओं का आंकलन।	दिनांक 02 अक्तूबर, से 15 दिसम्बर, 2023 तक
4	विषयगत क्षेत्रों/थीम आधारित गतिविधियों को कार्ययोजना का भाग बनाए जाने पर विचार–विमर्श एवं कार्ययोजना को अंतिम रूप दिए जाने हेतु क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की द्वितीय बैठक का आयोजन किया जाना।	
5	क्षेत्र पंचायत से अनुमोदित कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।	29 फरवरी, 2024 तक
6	जिला पंचायत से अनुमोदित कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।	31 मार्च, 2024 तक

6. **विभिन्न विभागों का दायित्व होगा कि** उनके विभाग से सम्बन्धित कार्ययोजना एवं बजट को पंचायतों की बैठकों में प्रस्तुत किया जाये एवं क्रिटिकल गैप से संबंधित गतिविधियों को प्रत्येक स्तर की कार्ययोजना में सम्मिलित कराया जाये। विभागों का यह भी दायित्व होगा कि वह जनपद स्तर से ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अधिकारी/कर्मी को नामित कर प्रतिभागिता सुनिश्चित् कराए, जिसमें उनके विभाग की कार्ययोजना पंचायतों की विकास योजना का भाग बन सके। इस कार्य के अनुश्रवण एवं प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु अधिकारी/ कर्मी नामित किए जायें व उसका विवरण www.gpdp.nic.in पर किया जायेगा।

7. ग्राम पंचायतों में लागू सिटीज़न चार्टर के साथ गत वर्ष कराए गए कार्यों का डिस्प्ले लेखन ग्राम सचिवालय की दीवार पर कराया जाये।

8. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति एवं खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति पंचायतों की कार्ययोजना तैयार करने एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगी।

9. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना के तैयार किये जाने की अवधि में रिर्पोटिंग एवं ग्राम सभा के आयोजन हेतु ग्राम पंचायत 15वें वित आयोग के प्रशासनिक एवं तकनीकी मद से अधिकतम धनराशि रू0 2500/– तक व्यय कर सकती है।

10. रिर्पोटिंग एवं ग्राम सभा आयोजन में पंचायत सहायक की सक्रिय भागीदारी तथा 09 विषयों पर जानकारी देने हेतु विषय–विशेषज्ञों की सेवायें सीमित अवधि के लिये ली जा सकती हैं जो 09 विषयों पर समझ बनाने में ग्राम पंचायत की सहायता करेगा। पंचायत सहायक द्वारा ग्राम सभा के आयोजन, रिपोर्टिंग, योजना निर्माण एवं www.gpdp.nic.in पर सूचनायें ससमय अपलोड की जायेगी।
11. इस प्रकार से ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप वर्क–आई.डी. विकसित करते हुए ही कार्य कराए जाए, बिना वर्क–आई.डी. निर्गत कराए गए कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि वार्षिक कार्ययोजना की कुल अनुमानित लागत, वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल अनुमानित धनराशि के 20 प्रतिशत से अधिक न हो।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी.) निर्माण प्रक्रिया को जन अभियान बनाते हुए **दिनांक 02 अक्तूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024** (समय–सारिणी अनुसार) के मध्य योजना तैयार किए जाने के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

8.9.23

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, महिला कल्याण, समाज कल्याण, नियोजन, राजस्व, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, लघु एवं मध्यम उद्योग, कृषि, लघु सिचाई, आई.टी. एवं इलेक्ट्रनिक्स तथा गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
5. महानिदेशक/निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, वन, महिला कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग/पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), उ0प्र0।
7. मिशन निदेशक/निदेशक, उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन, कौशल विकास, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

10 उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उत्तर प्रदेश।
11 समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12 समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उत्तर प्रदेश।
13 समस्त प्रधान/सचिव एवं पंचायत सहायक, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

Amit Srl. 23

Sunil Kumar
Secretary
Ministry of Panchayati Raj

Rajesh Bhushan
Secretary
Department of Health & Family Welfare

Pankaj Kumar
Secretary
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Anita Karwal
Secretary
Department of School Education & Literacy

सत्यमेव जयते

Nagendra Nath Sinha
Secretary
Department of Rural Development

Vini Mahajan
Secretary
Department of Drinking Water & Sanitation

Indevar Pandey
Secretary
Ministry of Women & Child Development

Manoj Ahuja
Secretary
Department of Agriculture & Farmers Welfare

D. O. No. M-11015/355/2022-CB

Dated: 30th September, 2022

Dear Chief Secretary,

The People's Plan Campaign (PPC) – 'Sabki Yojana Sabka Vikas' is rolled-out annually for preparation of Panchayat Development Plans (PDPs). Inspired by the visible and satisfactory performances of earlier Campaigns and to provide sustainability to formulation of PDPs, it is proposed to launch PPC-2022 from 2nd October, 2022 to 31st January, 2023 for preparing District, Block and Gram Panchayat Development Plans for the Financial Year 2023-24.

2. As you are aware, Ministry of Panchayati Raj has evolved thematic approach aggregating 17 SDGs into 9 broad themes to Localise Sustainable Development Goals (LSDGs) at grassroots level through Panchayats adopting 'Whole of Government and Whole of Society' approach. To adopt convergent approach in localization of SDGs, Joint Advisories of respective Ministries on 9 themes were issued. Subsequently, Joint Resolution with 26 Departments /21 Ministries was signed wherein all agreed to work jointly in the 9 thematic areas embodying the spirit of inclusive development.

3. Generally, during PPC two special Gram Sabhas (GS) are held. In the first Gram Sabha environment is created for preparation of Plan and during 2nd GS, Gram Panchayat Development Plan (GPDP) is prepared. Since, frontline workers of the line Departments are the key stakeholders, their participation in both GS is of utmost importance to prepare evidence based comprehensive and inclusive GPDP. It is expected that frontline workers will disseminate features of their schemes, resources, convergence mechanisms etc. and finally facilitate in incorporating activities of their Departmental Village Action Plan into GPDP.

4. However, the analysis of the participation of frontline workers in last year planning process shows lukewarm response of the line departments. It is seen that frontline workers of only 3 line Departments were present in just 50% Gram Sabha meetings and of 5 or more line departments were present in only 3% Gram Sabha meetings. The State-wise and Department-wise status of participation in GS is annexed. Coming together of different line departments in Gram Sabha would not only augment the awareness about Central and State schemes but also help in preparation of comprehensive plan through participatory approach.

5. To adopt convergent approach in localization of SDGs, Joint Advisories on all 9 themes were issued. Subsequently, Joint Resolution with 26 Departments /21 Ministries was signed embodying the spirit of inclusive development in the 9 thematic areas. All States/UTs have actively supported the LSDGs and till date over 2.20 lakh GPs have identified themes on which they would like to assign priority in the GPDP. We believe that active participation of frontline workers of line Departments in the PPC would improve the quality of GPDP and make the entire process truly participative.

6. Hence, necessary directions to the line Departments to ensure participation of their frontline workers / officers in both the Gram Sabhas organised during PPC for preparation of GPDP may be issued. We urge that progress of PPC may be regularly monitored at High level Committees constituted at State and District levels.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Nagendra Nath Sinha)
Department of Rural Development

(Rajesh Bhushan)
Department of Health & Family Welfare

(Vini Mahajan)
Department of Drinking Water & Sanitation

(Pankaj Kumar)
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

(Indevar Pandey)
Ministry of Women & Child Development

(Anita Karwal)
Department of School Education & Literacy

(Manoj Ahuja)
Department of Agriculture and Farmers Welfare

(Sunil Kumar)
Ministry of Panchayati Raj

To,

The Chief Secretaries,
All States/UTs

Copy to: Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries, All Related Departments, All States/ UTs

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
ग्राम्य विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा/महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार/समाज कल्याण/नियोजन/राजस्व/वित्त/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम /कृषि/दुग्ध विकास/मत्स्य/पशुधन/सिंचाई एवं जल संसाधन/आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स/ गृह/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/परती भूमि विकास तथा युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ:दिनांक–20 सितम्बर, 2023

विषयः– पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स (पी.डी.आई.) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–एम.–11015/171/2023–सी.बी.–पार्ट(1), दिनांक 01 सितम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्नकः1) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2023 तक सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीति आयोग, समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनाए गए 09 विषयगत दृष्टिकोणों के विषय में अवगत कराते हुए सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) के कियान्वयन के निर्देश निर्गत किए गए है।

2. उक्त पत्र एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 09 सहयोगी मंत्रालय के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 31 अगस्त, 2023 (छायाप्रति संलग्नकः 2) को निर्गत एडवाइजरी द्वारा पंचायतों के माध्यम से एल.एस.डी.जी. की प्रगति के आंकलन तथा पंचायत स्तर पर प्रमाण–आधारित नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स (www.pdi.gov.in) को लागू किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

3. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहु–आयामी वार्षिक प्रकिया होगी, जिसमें पंचायत स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों यथा–स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि, पशुपालन, बैंकिग, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगार, तथा इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर आधारभूत गुणवत्तापरक 577 इंडीकेटर पर डाटा संकलन तथा उनका विभिन्न स्तर पर सत्यापन एक महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य होगा, जिसमें ग्राम पंचायतों के कार्यप्रदर्शन द्वारा उक्त क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का आंकलन किया जा सकेगा।

4. उक्तानुसार वर्ष में एक बार इस प्रक्रिया के माध्यम से पंचायतों में क्रिटिकल गैप का चिन्हांकन कर बेहतर नियोजन, विशेषकर पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाएं सहभागी एवं समन्वित रूप से तैयार किया जाना सम्भव हो सकेगा। यह इंडेक्स समस्त विभागों एवं मंत्रालयों के लिए प्रगति के आंकलन हेतु कॉमन रिसोर्स बेस होगा एवं इस आधार पर क्षेत्र एवं जिला पंचायतों को भी अधिक संवेदित कार्ययोजना बनाने का अवसर मिल सकेगा।

5. अतः उक्तानुसार राज्य, मंडल, जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायतों में पी.डी. आई. के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु **निम्नानुसार समिति का गठन एवं दायित्वों** का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:

(1) **"राज्य स्तरीय पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कमेटी" (एस.पी.डी.आई.सी.):**

क्र0	पदनाम	विभाग	समिति में स्तर
1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।	—	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	—	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,	पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव
	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव	नियोजन	सह सचिव
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा भाग न लिये जाने की स्थिति में नामित अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो।	ग्राम्य विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा/महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार/समाज कल्याण राजस्व/वित्त/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम /कृषि/दुग्ध विकास/मत्स्य/ सिंचाई एवं जल संसाधन/पशुधन/ आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स/ गृह/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/परती भूमि विकास तथा युवा कल्याण	सदस्य
5	महानिदेशक/निदेशक	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान एवं पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
6	प्रतिनिधि	यूनिसेफ एवं सी–3, उ0प्र0।	सदस्य
7	अन्य महत्वपूर्ण विभाग	अध्यक्ष की अनुमति से	सदस्य

राज्य स्तरीय समिति के कार्य:

- पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का क्रियान्वयन एवं विभागीय समन्वयन।
- विभागीय समन्वयन के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 09 थीमेटिक श्रेणी के निर्धारित संकेतकों की प्रगति का अनुश्रवण।

- पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के कियान्वयन में आने वाली बाधाओं के निराकरण एवं उसकी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु सुझाव।
- समिति की बैठक वर्ष में 01 बार अथवा तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप **करायी जाएगी।**

(2) "जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति"(डी.आई.सी.सी.):

शासनादेश सं0: 2618/सी.एस./33–3–2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 **(छायाप्रति संलग्नकः 3)** द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति को निम्नानुसार संशोधित करते हुए विस्तारित किया जाता है एवं उक्त समिति ही पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स हेतु जनपद स्तरीय समिति के रूप में कार्य करेगी:

क्र0	पदनाम	विभाग	समिति में स्तर
1	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक,	गृह विभाग/पुलिस	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी, पी.डी. आई
4	अपर जिलाधिकारी–एफ.आर.	राजस्व	सदस्य
5	मुख्य चिकित्साधिकारी	स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6	जिला विकास अधिकारी	–	सदस्य
7	परियोजना निदेशक	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	सदस्य
8	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	सह सचिव
9	जिला पंचायत राज अधिकारी	पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव
10	जिला स्तरीय अधिकारी	बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
11	जिला स्तरीय अधिकारी	समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, पिछड़ा कल्याण	सदस्य
12	जिला स्तरीय अधिकारी	खाद्य, आपूर्ति एवं विपणन	सदस्य
13	जिला स्तरीय अधिकारी	बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं महिला कल्याण	सदस्य
15	जिला स्तरीय अधिकारी	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
16	अधिशासी अभियन्ता	जल निगम, विद्युत, सिचाई	सदस्य
17	जिलास्तरीय अधिकारी	कृषि, मत्स्य, पशुपालन, दुग्ध	सदस्य
18	जिलास्तरीय अधिकारी	युवा कल्याण	सदस्य

19	जिला स्तरीय अधिकारी	मनरेगा, आजीविका, कौशल, लघु एवं मध्यम उद्योग	सदस्य
20	लीड बैंक मैनेजर	बैंकिग	सदस्य
21	अन्य महत्वपूर्ण विभाग	अध्यक्ष की अनुमति से	सदस्य

जनपद स्तरीय समिति के कार्यः

- ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत शासनादेश दिनांकः 29 सितम्बर, 2015 द्वारा निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त पंचायतों में सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का कियान्वयन एवं विभागीय समन्वयन।
- विभागीय समन्वयन के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 09 थीमेटिक श्रेणी के निर्धारित संकेतकों की प्रगति का अनुश्रवण।
- पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के कियान्वयन में आने वाली बाधाओं के निराकरण एवं उसकी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु सुझाव।
- खण्डस्तर से प्राप्त डाटा का पोर्टल पर डाटा सत्यापन का कार्य।
- समिति की बैठक 02 माह में 01 बार आवश्यक रूप से।

(3) "खण्ड स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति""(बी.आई.सी.सी.):

शासनादेश संः 625/33–3–2016–10जी.आई./2015, दिनांक 09 मार्च, 2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक–14 मार्च, 2016 (**छायाप्रति संलग्नकः 4**) द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित खण्ड स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति को निम्नानुसार संशोधित करते हुए विस्तारित किया जाता है एवं उक्त समिति ही पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स हेतु जनपद स्तरीय समिति के रूप में कार्य करेगीः

क्र0	पदनाम	विभाग	समिति में स्तर
1	खण्ड विकास अधिकारी	–	अध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी, पी.डी.आई
2	चिकित्साधिकारी	स्वास्थ्य	सदस्य
3	चिकित्साधिकारी	पशुपालन विभाग	सदस्य
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी,	आई.सी.डी.एस.	सदस्य
5	खण्ड शिक्षा अधिकारी	शिक्षा	सदस्य
6	अवर अभियन्ता	विद्युत/सिचाई/लघु सिंचाई/आर.ई.डी. /जलनिगम	सदस्य
7	सहायक विकास अधिकारी	सांख्यिकी	सदस्य सचिव
8	सहायक विकास अधिकारी	पचायती राज	सह सचिव
9	खण्ड स्तरीय अधिकारी	खाद्य एवं आपूर्ति	सदस्य
10	सहायक विकास अधिकारी	कृषि, कोऑपरेटिव, समाज कल्याण, आई.एस.बी., महिला कल्याण	सदस्य
11	खण्ड स्तरीय अधिकारी	एम.जी.नरेगा, एस.आर.एल.एम.,	सदस्य

12	खण्ड स्तरीय अधिकारी	गृह(पुलिस)	सदस्य
13	खण्ड स्तरीय अधिकारी	वन	सदस्य
14	अन्य महत्वपूर्ण विभाग	अध्यक्ष की अनुमति से	सदस्य

खण्ड स्तरीय समिति के कार्यः

- ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत खण्ड स्तर पर उक्त शासनादेश से निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त पंचायतों में सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का कियान्वयन एवं विभागीय समन्वयन।
- विभागीय समन्वयन के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 09 थीमेटिक श्रेणी के निर्धारित संकेतकों की प्रगति का अनुश्रवण।
- पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के कियान्वयन में आने वाली बाधाओं के निराकरण एवं उसकी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु सुझाव।
- ग्राम पंचायतों से प्राप्त डाटा का पोर्टल पर डाटा सत्यापन का कार्य।
- समिति की बैठक माह में 01 बार अवश्य की जाय।

6. प्रत्येक स्तर से की जाने वाले कार्यवाही का विवरण एवं दायित्वः

ग्राम पंचायतों द्वारा मैप किए जाने वाले 577 इंडीकेटर में सतत् विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में उल्लेखित 146 इंडीकेटर से श्रेणीबद्व (Aligned) है, जिसमें 403 कॉमन (अनिवार्य), 86 विशिष्ट (वैकल्पिक) एवं 88 इंडीकेटर की पुनर्रावृत्ति है। राज्य/जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर समस्त इंडीकेटर की मैपिंग एवं डाटा सत्यापन करते हुए डाटा की फ्रीजिंग का कार्य प्रत्येक स्तर पर लॉगइन आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से 31 अक्तूबर, 2023 तक पूर्ण किया जाना है। **(विभागवार दायित्व एवं समय–सीमा संलग्नक–5)**

7. ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहीः

- ग्राम पंचायतों द्वारा 10 अक्तूबर तक फैसीलिटेटर चयन को अंतिम रूप देते हुए पी.डी. आई. पोर्टल पर लॉगिन आई.डी. के माध्यम से उनको पंजीकृत किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त विभागों के साथ बैठक का आयोजन कर पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स डैशबोर्ड में प्रदर्शित विभागवार इंडीकेटर पर 15 अक्तूबर, 2023 तक डाटा संग्रहण का कार्य कर 20 अक्तूबर, 2023 तक फ्रीजिंग का कार्य ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।
- पी0डी0आई0 का क्रियान्वयन एवं पोर्टल पर ऑकड़ों का अंकन ग्राम पंचायत एवं कार्यरत् समस्त विभागों के कर्मियों का दायित्व होगा।
- पी.डी.आई. डैशबोर्ड पर अपनी प्रगति रैकिंग के आधार पर गैप पर लाइन स्तरीय कर्मियों के साथ प्रगति सुधार का कार्य किया जाएगा।

8. फैसलिटेटर का चयनः

ग्राम पंचायत द्वारा फैसीलिटेटर चयन का कार्य किया जाएगा। फैसीलिटेटर एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्य कर सकेगा, जिसमें ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायकों को वरीयता दी जाएगी। फैसीलिटेटर को मानदेय ग्राम पंचायत की

आबादी के आधार पर किया जायेगा। पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार फैसीलिटेटर के मानदेय का निर्धारण पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

9. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभाग, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की प्रकिया में सहयोग देते हुए निर्धारित समय–सीमा में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 20-09-2023 12:30:59
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

20.9.23

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

विभागवार दायित्व एवं समय–सीमा संलग्नक–5

क्र.	कार्य	समय–सीमा	दायित्व
राज्य:			
1	राज्य स्तर पर गठित समिति की बैठक/राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम सर्वप्रथम समस्त लाइन डिपार्टमेंट का उन्मुखीकरण	22–25 सितम्बर, 2023 के मध्य	पंचायती राज विभाग
2	राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के पी.डी.आई. नोडल अधिकारी नामित किया जाना।	22–25 सितम्बर, 2023 के मध्य	समस्त राज्यस्तरीय नोडल विभाग
3	विभागवार इंडीकेटर की मैपिंग का कार्य।	22–25 सितम्बर, 2023 के मध्य	समस्त राज्यस्तरीय नोडल विभाग
4	लाइन डिपार्टमेंट द्वारा विभगीय निर्देश निर्गत किया जाना।	30 सितम्बर, 2023 तक	समस्त राज्यस्तरीय नोडल विभाग
5	जनपद/विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त हितग्राहियों का प्रशिक्षण।	15 अक्तूबर, 2023 तक	पंचायती राज विभाग
6	पी.डी.आई. पोर्टल पर अंकित किए गए डाटा का राज्य स्तर सत्यापन का कार्य एवं फ्रीजिंग का कार्य। (राज्य स्तर पर नियोजन विभाग डाटा सत्यापन हेतु उत्तरदायी एवं पंचायती राज डाटा फ्रीजिंग हेतु उत्तरदायी विभाग होगा)	31 अक्तूबर, 2023 तक	पंचायती राज विभाग एवं नियोजन विभाग
7	जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी गतिविधियॉ।	आवश्यकतानुसार	पंचायती राज विभाग
जनपद:			
1	जनपद स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन।	5 अक्तूबर, 2023 तक	समिति पदाधिकारियों द्वारा
2	विभिन्न विभागों द्वारा जनपद एवं खण्ड स्तरीय पी.डी.आई. नोडल अधिकारी नामित कर विभागीय निर्देश दिया जाना।	5 अक्तूबर, 2023 तक	समस्त जनपद स्तरीय नोडल विभाग
3	जनपद/विकासखण्ड स्तर पर कार्यशाला/ उन्मुखीकरण प्रशिक्षण व मीडिया कवरेज।	10 अक्तूबर, 2023 तक	पंचायती राज विभाग एवं जनपद स्तरीय समिति
4	विकासखण्ड स्तर से प्राप्त डाटा का सत्यापन	25 अक्तूबर,	जनपद स्तर पर

क्र.	कार्य	समय–सीमा	दायित्व
	एवं फ्रीजिंग का कार्य।	2023 तक	अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा डाटा सत्यापन एवं मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् फ्रीजिंग।
विकासखण्ड:			
1	खण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन।	5 अक्तूबर, 2023 तक	समिति पदाधिकारियों द्वारा
2	विभिन्न विभागों द्वारा पी.डी.आई. नोडल अधिकारी नामित कर विभागीय निर्देश दिया जाना।	5 अक्तूबर, 2023 तक	समस्त खण्ड स्तरीय नोडल विभाग
3	फैसीलिटेटर के चयन में सहयोग एवं अनुश्रवण।	10 अक्तूबर, 2023 तक	खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0)
4	विकासखण्ड की पंचायतों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण व मीडिया कवरेज।	10 अक्तूबर, 2023 तक	पंचायती राज विभाग एवं विकास खण्डस्तरीय समिति
5	ग्राम पंचायत से प्राप्त डाटा का सत्यापन एवं फ्रीजिंग का कार्य।	20 अक्तूबर, 2023 तक	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा डाटा सत्यापन फ्रीजिंग।

संख्या–4121/33–3–2022–

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक– 06 नवम्बर, 2022**

विषयः– प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं एवं बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु महिला सभा तथा बाल सभा के आयोजन, बैठक एवं क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के सम्बन्ध में अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–डी.ओ.नं0–एम–11015/205/2022–सीबी दिनांक 01 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व महिला सभा तथा बाल सभा आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–डी.ओ.नं0–पी.ए./139/2019–सी.पी.एम.यू. दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा भी यह निर्देश राज्यों को दिये गये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण एवं अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु समुदाय का सहयोग एवं भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा **"पोषण पंचायत"** आयोजित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

2– सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (Localization of Sustainable Development Goals- LSDGs) हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर गठित एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव के फलस्वरूप भारत सरकार ने सतत् विकास के 17 लक्ष्यों को ग्राम स्तर पर स्थानीयकरण के लिए लक्ष्यों को निम्न 9 थीम/विषयों में संयोजित किया है, साथ ही पंचायतों के द्वारा चिन्हित विषयों पर कार्य करने की रूपरेखा तैयार की गयी है:–

विषय (Theme) 01 : गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गॉव
विषय (Theme) 02 : स्वस्थ गॉव
विषय (Theme) 03 : बाल हितैषी गॉव
विषय (Theme) 04 : पर्याप्त जल युक्त गॉव
विषय (Theme) 05 : स्वच्छ और हरा–भरा गॉव
विषय (Theme) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गॉव
विषय (Theme) 07 : सामाजिक रूप से सुरक्षित और न्यायसंगत गॉव
विषय (Theme) 08 : सुशासन वाला गॉव

विषय (Theme) 09 : महिला हितैषी गॉव

3— उक्त संयोजित 09 विषयों में से तीसरा विषय है 'बाल हितैषी गाँव', जिसका विज़न (परिकल्पना) है "यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बने।" परिकल्पना की प्राप्ति हेतु पंचायत तथा बच्चों की सहभागिता आवश्यक है, जिसमें बाल—सभा की विशेष भूमिका है। नौवां विषय है 'महिला हितैषी गाँव', जिसका विज़न (परिकल्पना) है "लैंगिक समानता को प्राप्त करना, समान अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।" परिकल्पना की प्राप्ति हेतु महिलाओं के विकास एवं ग्राम पंचायत मे उनकी सहभागिता को विशेष महत्व दिया गया है। महिला व किशोरी स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, रोजगार एवं सहभागिता के मानकों मे सुधार हेतु अतिरिक्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

4— ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत विकास नियोजन के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan& GPDP) संबंधी दिशा—निर्देशों को वर्ष 2018 में संशोधित किये जाने के बाद इन दिशा—निर्देशों के कुछ प्रमुख पहलू महिला सशक्तीकरण एवं बाल संरक्षण के लिये प्रासंगिक हो गए हैं। इन संशोधनों में जी.पी.डी.पी. का बजट बनाने, नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा से पहले महिला सभाओं तथा बाल सभाओं का आयोजन कराना सम्मिलित है।

5— त्रिस्तरीय पंचायतों के विकास योजनाओं हेतु निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं तथा बच्चों को हिस्सा बनाने हेतु पंचायतें निम्न बिन्दुओं को मुख्यतः महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, महिला कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सुनिश्चित कर सकती हैः—

1. महिला तथा बाल सभा में चयनित महिला पंचायत प्रतिनिधियों की शत्—प्रतिशत् भागीदारी के साथ—साथ पोषण अभियान के कम—से—कम 50 प्रतिशत लाभार्थियों को आमंत्रित करना।
2. महिला तथा बाल सभा में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आई0सी0डी0एस0, शिक्षा एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक रूप से प्रतिभाग किया जाना।
3. महिला एवं बाल सभा संबंधी पंचायत के "संकल्प" (Resolution) पर ग्राम सभा में चर्चा करना तथा संबंधित गतिविधियों को जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करना।
4. महिला सभा में स्वयं सहायता समूहों की शत्—प्रतिशत प्रतिभागिता सुनिश्चित करना तथा पंचायत समितियों की बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित करना।

6— उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायती राज अधिनियम में प्राविधानित न्यूनतम 02 ग्राम सभाओं के आयोजन से पूर्व तथा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले "जन योजना अभियान" (दिनांक 02 अक्तूबर से 31 जनवरी) के मध्य आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं, इस प्रकार से न्यूनतम 03 ग्राम सभा से पूर्व प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में महिला सभा तथा बाल सभा का निर्देशानुसार नियोजन एवं आयोजन

सुनिश्चित करने हेतु स्वयं के स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

1. **महिला सभा का संलग्नक—01 है।**
2. **बाल सभा का संलग्नक—02 है।**

भवदीय,

2.12.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक— तदैव।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1— सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2— स्टाफ अफसर, कृषि अत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3— प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5— प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6— समस्त मंडलीय उपनिदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
7— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी0 चन्द्रकला)
विशेष सचिव।

Dell/d/SarveshGO

संलग्नक–01

–: महिला सभा के आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश :–

1.	**महिला सभा**	• ग्राम सभा की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सभी महिलाएं महिला सभा की सदस्य होंगी। • महिला सभा की सहजकर्ता के रूप मे पंचायत द्वारा सभी महिला पंचायत सदस्य नामित होंगी। • सभा संबंधी अभिलेख/प्रस्ताव तैयार करने और आयोजन का दायित्व प्रधान एवं पंचायत सचिव का होगा। सहायक की अनुपस्थिति मे पंचायत सचिव यह दायित्व पूरा करेंगे। • वर्ष में प्राविधानित न्यूनतम 02 ग्राम सभा की बैठकों से पूर्व 02 महिला सभा तथा उसके अतिरिक्त 02 अर्थात कुल 04 महिला सभा का आयोजन किया जायेगा।
2.	**महिला सभा का आयोजन**	1. प्रत्येक ग्राम सभा से 15 दिवस पूर्व महिला सभा का आयोजन आरंभ होगा। इन 15 दिनों में ग्राम पंचायत मे स्थित सभी वार्डों मे चरणों में महिला सभा का आयोजन किया जा सकता है जिससे सभी क्षेत्रों की महिलाएं प्रतिभाग कर सकें। वार्डवार महिला सभा के आयोजन का दायित्व वार्ड सदस्यों का होगा। 2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला सभाओं का आयोजन 'कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन' (Community Resource Persons- CRPs) जैसे– आँगनवाड़ी, आशा, समूह सखी, जीविका ग्राम संगठन (VO) अध्यक्ष, पानी समिति की महिला सदस्य तथा एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife-ANM) के सहयोग से किया जाएगा। 3. महिला सभा का आयोजन पंचायत भवन परिसर में या अन्य सुरक्षित सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जा सकता है जहॉ सभी महिलायें आसानी से आ सकें। 4. आयोजन स्थल पर शुद्ध पेयजल एवं कार्यपरक शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य है। 5. सभा के आयोजन पर राज्य वित्त के प्रशासनिक मद की धनराशि से व्यय किया जा सकता है। 6. महिला सभा के आयोजन का समय महिलाओं की सुलभता के अनुरूप ही निर्धारित हो जिससे सभी प्रतिभाग कर सकें। 7. बैठक की घोषणा/जानकारी निर्धारित तिथि से 5 दिन पूर्व महिला सभा को सामूहिक रूप से दी जाएगी। 8. सूचना प्रसारण के लिए स्वयं सहायता समूह की सदस्यों द्वारा, मुनादी, सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर, डिजिटल संदेश, आदि के माध्यम से दी जा सकती है।
3.	**उपस्थिति**	• महिला सभा में ग्राम सभा की कुल महिला वोटरों की न्यूनतम 20 प्रतिशत की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। • सभी महिला सभाओं मे स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता अवश्य सुनिश्चित की जाये। • प्रत्येक महिला सभा में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव व पंचायत सहायक द्वारा अवश्य से प्रतिभाग किया जाये। • बैठक उपरान्त चिन्हित मुद्दों को कार्यवृत्त में सम्मिलित करने तथा कार्यवृत्त को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करने का दायित्व सचिव का होगा।
4.	**महिला सभा के लाभ**	• समुदाय को महिलाओं से संबंधित मुद्दों को पहचानना आसान हो जायेगा। • महिला सशक्तिकरण तथा उन्हें स्वयं को व्यक्त करने, अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को कहने हेतु मंच मिलेगा। • ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी/उपस्थिति बढ़ेगी। • पंचायत महिला हितैषी पंचायत बनेगी। • पंचायत राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु योग्य बनेगी तथा अन्य पंचायतों के लिये उदाहरण बनेंगी।

5. महिला सभा काआयोजन तथा सभा का एजेन्डा

5.1. पहली महिला सभा– महिला अधिकार एवं सुरक्षा (माह मार्च– महिला दिवस (08 मार्च))

1.	महिला सभाके आयोजन एवं सभी महिलाओं की सहभागिता की आवश्यकता व लाभ पर चर्चा तथा वर्तमान में महिलाओं एवं बालिकाओं के समस्याओं संबंधी मुद्दों पर चर्चा।
2.	महिलाओं के विषय/मुद्दों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु टीम/समूह तैयार करना।
3.	महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा, लिंग चयन/लिंग निर्धारण जाँच पर पाबंदी, लड़की के जन्म को समारोह के रूप में मनाने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। (लड़की के जन्म पर परिवार उसके नाम से 111 पौधे लगाये)तथा सभी परिवारों को घर के नामपट्ट पर घर की महिला सदस्य का नाम भी अंकित करने के लिए प्रेरित करना।
4.	यौन शोषण के विरुद्ध कानून के प्रति सजगता व स्थानीय पुलिस थाने से महिला प्रतिनिधि को जागरूकता हेतु सभा में आमंत्रित करना तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भूमिका से संबंधित विषयों पर चर्चा करना।
5.	गाँव मे महिला दिवस का आयोजन किया जाए जिसमे ग्राम प्रधान की अगुवाई मे सभी स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सहभागिता हेतु जन अभियान आयोजित करना।
6.	आयोजन में मुख्य योजनाओं के लाभार्थियों (पेंशन–विधवा,वृद्धा,दिव्यांग), जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, कन्या विद्याधन योजना) को विशेष रूप से आमंत्रित करना तथा इन योजनाओं की पात्रता पर चर्चा एवं जागरूकता।
7.	उत्कृष्ट महिला कृषक जिसने कृषि क्षेत्र मे अग्रिम सफलता प्राप्त की हो उन्हें सम्मानित करना।
	ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित/पुरस्कृत करना – ✓ जिन्होंने दो बेटियों के बाद परिवार को नहीं बढ़ाया। ✓ जिन्होंने लिंग आधारित रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ कर बेटियों की प्रगति मे सहयोग किया । ✓ जो अपनी बेटियों का जन्मदिन मनाते हैं । ✓ जिनकी बेटियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ✓ जिन्होंने लड़कियों को समान अधिकार देते हुए मृत्यु समारोह मे बलिकायों/ महिलाओं की भागीदारी के लिए सहमत हैं।
8.	'आंगनवाड़ी पति नहीं, अध्यापिका पति नहीं तो प्रधान–पति क्यों? इस व्यवस्था के विरुद्ध जागरूकता और चर्चा , ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और निर्णय लेने लिये महिलाओं को प्रोत्साहित करने पर चर्चा करना।
9.	बाल विवाह एवं बाल श्रम पर पाबंदी, लिंग–चयन पर पाबंदी,महिलाओं तथा लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने, 'दहेज लेना या देना एक अपराध है', बेटा या बेटी, दोनों को जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रगति के समान अवसर एवं सम्मान '– इसपर जागरूकता हेतु चर्चा।
	(नोट– इस माह की बैठक मे विशेष रूप से स्थानीय थाने से महिला पुलिस कर्मी, श्रम विभाग से प्रतिनिधि, ग्राम बाल संरक्षण समिति के सदयों को आमंत्रित किया जाए)

5.2. दूसरी महिला सभा–शिक्षा व कौशल तथा स्वास्थ्य (माह जुलाई–अगस्त)

1.	प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों तथा प्रगति पर चर्चा।
	विद्यालय न जाने वाले बच्चों को शिक्षा पूरी कराने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना। जिन बालिकाओं/बालकों ने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली है उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करना एवं छात्रवृत्ती योजनाओं की जानकारी देना।
2.	प्रत्येक लड़की को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहित करने और उनके लिये घर तथा स्कूल में सुरक्षित माहौल पर ध्यान देने के साथ ही उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने हेतु प्रोत्साहित करना।
3.	मानरेगा की वार्षिक योजना के संबंध मे, कौशल विकास के अवसर एवं योजनाओं पर जानकारी देना।
4.	स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर, कार्यात्मक शिक्षा, बैंक लिंकेज व व्यवसाय से संबंधित जानकारी एवं कार्ययोजना तय करना।
5.	कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे–केयर की सुविधा पर चर्चा।
6.	शत्प्रतिशत् जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए चर्चा व जागरूकता।
7.	सम्पूर्ण टीकाकरण से छूटे बच्चों के परिवारों को चिन्हित कर उन्हे टीकाकरण के लिए प्रेरित करना और सभी बच्चों के शत्प्रतिशत् टीकाकरण हेतु जागरूकता करना।

8.	ग्राम स्वास्थ्य योजना के संबंध मे चर्चा करना एवं आवश्यताओं की पहचान करना।
9.	बालिकाओं के खेलने के लिए सुरक्षित मैदान या खेल सामग्री सुनिश्चित करना और लड़कियों की विशिष्ट खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
10.	ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) को प्रभावी बनाने की रणनीति पर चर्चा।
11.	संचारी बीमारियों से बचाव तथा उपायों पर चर्चा एवं जागरूकता करना।
12.	जनसंख्या नियोजन की आवश्यकता पर चर्चा एवं जागरूकता ।
13.	वृद्धजनों की देखभाल हेतु सामुदायिक स्तर पर व्यवस्था पर चर्चा।
(नोट– इस माह की बैठक मे विशेष रूप से विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण समिति के सदस्यों को को आमंत्रित किया जाए)	

5.3तीसरी महिला सभा– आवश्यकताओं व समस्याओं की पहचान व पोषण (जन योजना अभियान के दौरान माह अक्तूबर–नवम्बर)

1.	समस्याओं और आवश्यकताओं की सूची तैयार करना तथा प्राथमिकता के आधार पर उन मुद्दों की सूची तैयार करना जिन्हें ग्राम सभा में जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत करना है।
2.	ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने तथा सुनिश्चित करने पर चर्चा।
3.	**पोषण माह/पोषण पंचायत–** कुपोषित, कम वजन, बौनापन (Stunted), और कमजोर बच्चे जिनकी पहचान आंगनबाड़ी द्वारा की गई है उन परिवारों को जागरूक कर कुपोषण के निदान हेतु सहयोग प्रदान करना और पोषण वाटिका के लिए प्रोत्साहित करना।
4.	मध्याहन भोजन की निगरानी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महिला समूह द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन का समय–समय पर निरीक्षण करने तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति के साथ समन्वय स्थापित करने पर चर्चा।
5.	पोषाहार के लाभार्थियों को नियमित एवं पर्याप्त पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने हेतु रणनीति तैयार करना।
6.	पोषण सुनिश्चित करने में समस्याओं पर चर्चा जैसेः– ✓ पोषण के संबंध मे समझ की कमी। ✓ पोषण हेतु निर्णय मे परिवार के दायित्व। ✓ गुणवत्तापूर्ण भोजन व पोषण हेतुपरिवार के सभी सदस्यों (सभी पुरुष व महिला सदस्य) की सामूहिक जवाबदारी। ✓ परिवार मे सभी (महिला, पुरुष, बालक–बालिका) को साथ भोजन करने के व्यवहार को प्रोत्साहन देना।
7.	सभी महिलाओं के लिये प्रसवपूर्व देखभाल और नवजात शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिये जन्म के बाद पहले 1000 दिनों तक स्तनपान करने कर चर्चा।
8.	पोषण दिवस में सभी गर्भवती महिलाओं, माताओं, किशोरियों की नियमित सहभागिता हेतु जागरूक करना एवं पोषण दिवस के आयोजन के लिए आवश्यकताओं की पहचान करना।
9.	किशोरी स्वास्थ्य, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य तथा महिलाओं के लिये समान अवसर जैसे विषयों पर विचार–विमर्श करना।
(नोट– इस माह की बैठक में समस्त महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ–साथ विशेष रूप से गर्भवती/धात्री महिलाओं व कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए)	

6. महिला–सभा की बैठकों के नियमित आयोजन एवं संचालन हेतु विभागीय दायित्व–

1.	पंचायती राज विभाग	ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सभा के आयोजन की सामूहिक घोषणा।
		महिला सभा का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना।
		निर्धारित माह में आयोजित महिला सभा मे मुद्दों पर आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पहचान करना एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
		खंड स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में महिला सभा वार्षिक कैलंडर तैयार करना एवं सभी विभागों को सूचित करना।
		पंचायत सचिव द्वारा नियमित रूप से महिला सभा की बैठकों की कार्यवाही प्रलेखन एवं अनुश्रवण करना।

		महिला सभा में तय की गई आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत विकास योजना से जोड़ना।
2.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन	मार्च माह की महिला सभा में प्रत्येक पंचायत में स्वयं सहायता समूहों की क्षमता विकास एवं रोजगार संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना एवं नियमित सहयोग व अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
		जिन पंचायतों में स्वयं सहायता समूह के गठन की आवश्यकता/संभावना है उन पंचायतों मे प्राथमिकता के आधार पर समूहों का गठन सुनिश्चित करना।
		समूह की नियमित बैठकों में महिला सभा में सहभागिता हेतु चर्चा एवं प्रेरित करना।
3.	महिला एवं बाल विकास	स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर महिला–सभा बैठक में ग्राम स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकत्री का सहयोग सुनिश्चित करना।
		पोषण माह में सभागिता हेतु जन जागरूकता में सहयोग सुनिश्चित करना।
		महिला सभाओं में सूचना एवं संचार सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।
		कुपोषित बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सहयोग।
		आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में बाल सभा का सहयोग सुनिश्चित करना।
		सभीआंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने मे पंचायतों का सहयोग करना।
4.	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर महिला–सभा बैठक में ग्राम स्तर से आशा व एएनएम का सहयोग सुनिश्चित करना।
		सितंबर माह में ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने हेतु ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण समिति एवं ग्राम पंचायत स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति को सहयोग प्रदान करना।
		टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों की पहचान एवं पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता मे सहयोग सुनिश्चित करना।

23/11/2022

23.11.2022

संलग्नक–02

बाल सभा के गठन तथा आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश :–

1. बाल–सभा का गठन

ग्राम पंचायत में 11 से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में से प्रत्येक वार्ड से 2 बाल सदस्य (एक बालक एवं एक बालिका) पंचायत द्वारा चयनित किये जायेगें एवं सभी नामित बच्चों द्वारा एक बाल–सभा अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुने जाएंगे (दोनों पदों मे एक बालिका एवं एक बालक अवश्य हों)। चयनित बाल–सभा सदस्यों, बाल–सभा उपाध्यक्ष एवं बाल–सभा अध्यक्ष से मिलकर "**बाल–सभा**" का गठन होगा।

यह बाल–सभा गठन की प्रक्रिया सभी पंचायतों मे 02 सप्ताह के अभियान दिनांक 14 नवम्बर (बाल दिवस) से 27 नवम्बर, 2022 तक मनाया जाए और 27 नवम्बर, 2022 तक बाल सभा का गठन सुनिश्चित किया जाए।

कार्यकाल	01 वर्ष
योग्यता	• उम्र 11 वर्ष या उससे अधिक एवं 18 वर्ष या उससे कम। • ग्राम पंचायत का निवासी। • बाल–सभा अध्यक्ष एवं बाल–सभा उपाध्यक्ष पदों के प्रत्याशी कक्षा 8 या उससे अधिक के होंगे जिनकी उम्र 18 या इससे कम हो।
बाल–सभा के गठन की प्रक्रिया	• बाल–सभा का गठन ग्राम पंचायत सदस्यों के संरक्षण में होगा। • गठन प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं अन्य (ग्राम प्रधान द्वारा नामित/आमंत्रित) सदस्यों से मिलकर प्रत्येक वार्ड से बाल–सभा सदस्य चुनेंगे। बाल–सभा के चयन के लिए पंचायत सदस्यों के साथ निम्नलिखित पदाधिकारियों/नागरिकों को अन्य सदस्य के रूप मे नामित किया जा सकता है। ✓ गाँव के सम्मानित व्यक्ति ✓ प्रधानाध्यापक/प्रभारी ✓ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती (वरिष्ठ) ✓ आशा (वरिष्ठ) ✓ पंचायत सचिव–पंचायत सहायक ✓ स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ✓ युवक दल के अध्यक्ष ✓ एन.जी.ओ. के सदस्य • यह समिति बाल–सभा के गठन एवं उसके नियमित सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। • प्रतिवर्ष, इस समिति का बाल–सभा के गठन हेतु अपना सहयोग देगी।
बाल–सभा का गठन एवं संरचना	• बाल–सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कक्षा 8 या इससे ऊपर के छात्र या छात्रा होंगे। • प्रत्येक बाल वार्ड–सदस्य, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों की संख्या के अनुपात में होंगे। • बाल–सभा मे 50 प्रतिशत सदस्य/पदाधिकारी बालिकाओं हेतु आरक्षित होंगी। • बाल–सभा सदस्य के रूप मे मंत्री एवं अन्य पदाधिकारीगण। • बाल–सभा के 7 मंत्रालय होंगे जिनका कार्य आगे उल्लेखित है। • सहजकर्ता/संरक्षक/सहायक– ग्राम पंचायत के नामित सदस्य। • एक शिक्षक/शिक्षिका (प्रधानाध्यापक द्वारा नामित) • प्रत्येक वार्ड से चयनित बालक एवं बालिका बाल–सभा सदस्य होंगे एवं निम्नलिखित 7 मंत्रालय के मंत्री नियोक्त किए जाएंगे– ○ शिक्षा मंत्री व उप–मंत्री ○ सुरक्षा मंत्री व उप–मंत्री ○ खेलकूद / सांस्कृतिक मंत्री व उप–मंत्री ○ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री व उप–मंत्री ○ खाद्य एवं पोषण मंत्री व उप–मंत्री

	○ योजना मंत्री व उप–मंत्री ○ संचार एवं प्रसार मंत्री व उप–मंत्री • मंत्रियों की नियुक्ति बाल–सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता मे, बाल–सभा की प्रथम बैठक में होगी। • बाल सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 50 प्रतिशत सदस्य प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में आमंत्रित हों। **नोट–** • अन्य सदस्य आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रियों की अपेक्षानुसार सहायता करेंगे। • बाल–सभा के गठन में 50 प्रतिशत बालिकाएं होंगी। • अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से कोई एक बालिका होगी।

2. बाल सभा की बैठक

- 27 नवंबर 2022 को बाल–सभा की पहली बैठक ग्राम पंचायत के संरक्षण मे आयोजित की जाएगी।
- बाल–सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी प्रधान एवं सचिव की होगी।
- बैठक में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिये जायेंगे।
- बैठक की कार्यवाही बाल–सभा कार्यवाही रजिस्टर **(प्रारूप 1 संलग्न)** मे संचार एवं प्रसार मंत्री/उपमंत्री द्वारा लिखी जाएगी।
- ग्राम पंचायत की बैठक में बाल–सभा की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार संज्ञान लिया जाएगा।

3. बाल सभा की बैठक की तैयारी

- आगामी बैठक का एजेंडा एक सप्ताह पूर्व, बाल–सभा एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।
- एजेंडा के अनुसार पंचायत आवश्यक आमंत्रियों को सूचना एवं आमंत्रण एक सप्ताह पूर्व संबंधित विभाग को भेजेगी।
- बाल सभा की बैठक की कार्यवाही प्रारूप 1 (संलग्न) मे कार्यवाही रजिस्टर में प्रधान/सचिव द्वारा लिखी जाएगी
- बाल–सभा यह सुनिश्चित करेगी कि बैठक की सूचना सभी ग्रामवासियों (अभिभावक, किशोर, किशोरियों), संबंधित समितियों, शिक्षकों को 5 दिन पूर्व मुनादी या चस्पा कर प्रसारित हो।
- समिति आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। पंचायत भवन या विद्यालय के प्रांगण मे सभा का आयोजन हो जहां पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुलभ हो।

4. बाल सभा का आयोजन

- सूचना प्रसारण– 5 दिन पूर्व
- वर्ष मे 4 बार
  - ○ पहली बैठक– 27 नवंबर
  - ○ दूसरी बैठक– जनवरी 24–बालिका दिवस/शिक्षा दिवस
  - ○ तीसरी बैठक– 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस
  - ○ चौथी बैठक– 29 अगस्त– खेल दिवस
  - ○ अवधि– एजेन्डा के अनुसार
- आवश्यक विभागीय प्रतिनिधियों के आमंत्रण हेतु विभाग को 7 दिन पहले पंचायत द्वारा सूचित किया जायेगा।

5. बाल सभा में उपस्थिति –

बाल–सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य है तो 10 की उपस्थिति आवश्यक होगी।

6. नए सदस्य का चयन–

बाल सभा अध्यक्ष, बाल–सभा उपाध्यक्ष या बाल सभा के सदस्य यदि दायित्व निर्वहन मे असमर्थ हों, तो ग्राम पंचायत बाल सभा के गठन के 4 माह बाद, अन्य बाल–सभा सदस्यों की सहमति से नए सदस्य को चुन सकते हैं ।

7. बाल–सभा की घोषणा

बाल–सभा एक नई प्रणाली के रूप मे स्थापित होगी अतः यह आवश्यक है की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसकी विधिवत सूचना प्रसारित हो। इसके लिए 14 नवम्बर (बाल दिवस) से 27 नवम्बर, 2022 के मध्य ग्राम प्रधान द्वारा बाल–सभा के गठन की घोषणा की जायेगी।

14 नवम्बर (बाल दिवस) से 27 नवम्बर, 2022 के दौरान बाल सभा संबंधित घोषणा का एजेंडा–

1. ग्राम प्रधान का उद्‌बोधन
2. बाल–सभा गाँव के उद्देश्य को ग्राम प्रधान समुदाय को बताएं
3. ग्राम प्रधान बाल–सभा के गठन की घोषणा करें
4. बाल–सभा के उद्देश्य, सदस्य एवं उनके निर्धारित कार्य बताएं

8. वित्तीय स्रोत

बाल सभा की बैठक के आयोजन पर राज्य वित्त के प्रशासनिक मद की धनराशि से व्यय किया जा सकता है ।

9. प्रथम बाल सभा का आयोजन

27 नवम्बर, 2022 को प्रथम बाल–सभा का आयोजन उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जाए। प्रथम बाल–सभा की अध्यक्षता बाल–सभा अध्यक्ष द्वारा ग्राम प्रधान के सहयोग से किया जाएगा। प्रथम बाल सभा के आयोजन से पूर्व सभी बाल–सभा सदस्यों को प्रथम बाल–सभा हेतु प्रशिक्षित करना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का दायित्व होगा।

10. प्रथम बाल–सभा का एजेंडा

सभी निर्वाचित बाल–सभा सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो

1. ग्राम प्रधान द्वारा स्वागत एवं उद्‌बोधन एवं बाल–सभा सदस्यों का परिचय।
2. समुदाय में बाल–सभा के गठन एवं उनके मुख्य दायित्वों की औपचारिक घोषणा।
3. बाल–सभा के विभिन्न मंत्रालयों के चयनित मंत्रियों की घोषणा।
4. आगामी कार्ययोजना पर चर्चा– बाल–विकास से संबंधित ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किए जाने वाले प्रमुख कार्य– बजट सहित– लागत, बिना लागत एवं कम लागत के कार्य। निम्न बिन्दुओं पर बच्चों चर्चा कर उनके विचार व आवश्यकताओं की सूची तैयार करना:–

शिक्षा (नामांकन, भवन, पढ़ाई, गुणवत्ता, बच्चों का ठहराव)	**स्वास्थ्य** (टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच, जानकारियॉ, स्वास्थ्य कैम्प आदि)	**खेलकूद** (खेल का मैदान, खेल सामग्री, अवसरों तक पहुँच आदि)	**पोषण** (पोषण, आहार, आंगनबाड़ी, पोषण वाटिका, मध्याहन् भोजन आदि)	**भागीदारी** (विकास पर चर्चा, निर्णयों में भागीदारी आदि)
संसाधन (शौचालय, सेवायें, पेयजल, विद्यालय, पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट आदि)	**पुस्तकालय** (गॉव में पुस्तकालय, बच्चों की पहुँच, बालसंबद्ध पुस्तकें आदि)	**सुविधायें** (यातायात, बस, स्वास्थ्य केन्द्र, बाज़ार, बाल संदर्भ केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि)	**चुनौतियॉ / खतरे** (असुरक्षित वातावरण, छेड़छाड़, हिंसा, शिक्षकों का अभाव, बाल विवाह, बाल श्रम, अपहरण, अपराध आदि)	**भविष्य** (कैरियर चर्चा, वैकल्पिक शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता आदि)

5. बाल–सभा अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन।
6. समापन।

11. बाल–सभा एवं ग्राम पंचायत में समन्वय

- ग्राम पंचायत के द्वारा बाल–सभा को मान्यता दी जायेगी
- ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में बाल मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए बाल–सभा प्रतिनिधि को बैठक में शामिल किया जायेगा।
- बाल मुददों पर निर्णय लेने से पूर्व बाल–सभा से विचार विमर्श किया जायेगा
- बाल–सभा के सदस्यों को सम्मान दिया जायेगा
- बाल–सभा की राय को महत्व दिया जायेगा।

12. बाल–सभा के कार्य एवं दायित्व

- 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हिकरण एवं नामांकन में सहयोग करना।
- मध्याहन भोजन की देखरेख करना/मीनू के अनुसार भोजन बने यह सुनिश्चित करना।
- विद्यालय परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- सभी 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों का विद्यालय मे। नामांकन सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता।
- समय–समय पर खेलकूद/यात्रा/सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पंचायत के साथ मिलकर आयोजन करना।
- बालक/बालिकाओं की सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी के संबंध में पंचायत से चर्चा करना।
- बाल अधिकारों को पंचायत के साथ साझा करना।
- जीवन जीने का अधिकार सम्बन्धी मुददों को पंचायत के साथ साझा करना।
- सहभागिता सुनिश्चित करना– अर्थात बालक/बालिकाओं के हित से जुड़े मुददे के लिए ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के माध्यम से उठाना/भागीदारी करना।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर कार्यवाही/निदान के लिए अनुरोध करना।

12.1. बाल–सभा अध्यक्ष के कार्य

- बाल–सभा की प्रत्येक माह किसी एक रविवार के दिन बैठक बुलाना।
- बाल–सभा की अध्यक्षता करना।
- बाल–सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को पंचायत के संज्ञान में लाना एवं उसके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए तत्पर रहना।
- बाल–सभा के अन्य मंत्रियों/कर्मियों को अपने–अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए प्रेरित करना।
- आवश्यकता पड़ने पर अन्य कर्मियों के समक्ष अपनी बातों को लाना।
- प्रधान या प्रधान द्वारा नामित किसी ग्राम पंचायत सदस्य के साथ मिलकर थाना, कोर्ट, सरकारी अस्पताल आदि में चल रहे कार्यों को समझना।

12.2. उपाध्यक्ष के कार्य

- अध्यक्ष का उसके कार्यों में सहयोग करना
- आवश्यकता पड़ने पर या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसके कार्यों का सम्पादन करना।

12.3. अन्य सदस्यों के दायित्व

1.	**शिक्षा मंत्री के कार्य**	❖ बालक/बालिकाओं के नामांकन तथा उन्हें प्रतिदिन स्कूल आने के लिये प्रेरित करना। ❖ विद्यालय परिसर में साफ–सफाई एवं पीने के पानी की व्यवस्था करना। ❖ महत्वपूर्ण दिवसों के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाना। ❖ विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकों में सहभागिता करना एवं शिक्षा से सम्बन्धित कार्यो/समस्याओं एवं लगातार अनुपस्थित बच्चों को उनके

		संज्ञान में लाना। ❖ पुस्तकालय की सुव्यवस्था में सहयोग एवं बच्चों को उसके उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
2.	**सुरक्षा मंत्री के कार्य**	❖ बालकों के शोषण, हिंसा, अत्याचार, बाल श्रम आदि से सम्बन्धित समस्याओं को बाल–सभा की बैठक में उठाना एवं पंचायत में रखना। ❖ हेल्पलाइन नं0, पुलिस बाल संरक्षण अधिकारी का नम्बर अपने पास रखना एवं आवश्यकतानुसार प्रयोग करना। ❖ अध्यक्ष की सहमति से ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के साथ तालमेल बनाये रखना।
3.	**खेलकूद एवं सांस्कृतिक मंत्री के कार्य**	❖ समय समय पर खेलों का आयोजन करना। ❖ सांस्कृतिक कार्यों के प्रबन्धन, आयोजन में पंचायत का सहयोग करना। ❖ योगा/फिट इण्डिया मूवमेंट के माध्यम से बालक/बालिकाओं में जागरूकता लाना।
4.	**स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री के कार्य**	❖ बच्चों के टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच एवं योजनाओं के लाभ के लिए जागरूकता में पंचायत का सहयोग। ❖ ग्राम पंचायत में साफ सफाई के लिए जागरूकता कार्यक्रम हेतु पंचायत का समय–समय पर प्रेरित करना। ❖ वीएचएसएनडी (पोषण दिवस) के आयोजन में सहयोग, जागरूकता व सक्रिय सहभागिता करना।
5.	**खाद्य एवं पोषण मंत्री के कार्य**	❖ कुपोषित बच्चों के पोषण के लिए पंचायत का सहयोग। ❖ पोषण वाटिका निर्माण हेतु समुदाय को प्रेरित करना। ❖ परिवारों को किचन गार्डन बनाने हेतु प्रेरित करना।
6.	**योजना मंत्री के कार्य**	❖ ग्राम पंचायत की योजना में बच्चो से जुड़े मुददे को शामिल कराना। ❖ बाल सभा के आयोजन हेतु पंचायत को प्रेरित एवं सहायता करना। ❖ विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा बनायी गयी विद्यालय विकास योजना मे सहयोग करना।
7.	**सम्पर्क मंत्री का कार्य**	❖ बाल–सभा के कार्यों से पंचायतध्ग्राम सभा को अवगत कराना ❖ ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के कार्यों से बाल–सभा को अवगत कराना ❖ बालक/बालिकाओं के लिए चलायी जा रही योजनाओं की जागरूकता सुनिश्चित करना
8.	**बाल–सभा के अन्य सदस्यों के कार्य**	
	❖ बाल–सभा एवं बाल सभा की बैठक की वर्णमाला के अनुसार प्रतिवेदन तैयार करना/कार्यवाही लिखना। ❖ अगर कोई मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित है तो उसके कार्यभार को देखना। ❖ बाल–सभा की बैठक में बाल सभा के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। ❖ पुस्तकालय की व्यवस्था देखना। ❖ बालकों से संबंधित समस्याओ, जरूरतों, आवश्यकताओ, एवं मुद्दों की सूची बनाकर बाल बाल–सभा को उपलब्ध करांना।	

13. बाल सभा की बैठक में प्रतिभागिता

- ग्राम प्रधान (संरक्षक)
- बाल सभा अध्यक्ष एवं सदस्यगण
- ग्राम पंचायत के सदस्य (सहयोगी)
- छोटे बच्चों, किशोर–किशोरियों के अभिभावक
- किशोर एवं किशोरियाँ (40 प्रतिशत किशोरिया)
- विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापकगण

- ग्राम बाल संरक्षण समिति के सदस्य
- आमंत्री–ICDS प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि
- अंगनबाड़ी, आशा, ए0एन0एम0
- नजदीकी थाने का पुलिस कर्मी
- युवा दल के सदस्य

14. बाल–सभा के एजेंडा (सभावित मुख्य मुद्दे)

बाल सभाके अध्यक्ष की अनुमति से सहजकर्ता/सचिव आज की बैठक का अजेंडा सभा को पढ़कर सुनाएंगे। निम्नलिखित मुद्दों पर ग्राम पंचायत के सहयोग जैसे जागरूकता गतिविधियों हेतु बाल सभा के दायित्वों पर चर्चा हो।

शिक्षा	✓ सभी बच्चों का स्कूल मे नामांकन ✓ बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु प्रयास ✓ स्कूल मे आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल एवं स्वच्छता और मध्यान भोजन की गुणवत्ता ✓ कोविड के कारण शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव के समाधान में सहयोग ✓ जिन बच्चों की शिक्षा बाधित हुई है उनके लिए शिक्षा पूरी करने हेतु सुविधा/सहयोग
स्वास्थ्य	✓ सभी सार्वजनिक स्थानों पर शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता ✓ सार्वजनिक स्थानों पर नियमित स्वच्छता ✓ कूड़ा या हानिकारक पदार्थ के निस्तारण की सुरक्षित व्यवस्था ✓ नियमित टीकाकरण हेतु जागरूकता एवं छूटे हुए बच्चों की पहचान
सुरक्षा	✓ बाल श्रम, बाल विवाह, बाल हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों के रोकथाम हेतु कार्यवाही/हेल्पलाइन जागरूकता ✓ पुलिस प्रतिनिधि द्वारा अभिभावकों को सुरक्षाध्सहयोगध्रोकथाम हेतु कानून व्यवस्था की जानकारी ✓ अनाथ बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु सामूहिक निर्णयध्प्रयास ✓ जिले से बाहर रह कर पड़ने वाले बच्चों का आंकड़ा तैयार करना जिससे की आपातकाल की स्थिति मे समय से सहयोग सुनिश्चित हो सके ✓ गाँव मे सड़क दुर्घटनाओं/मानव–जनित हादसों की संभावनाओं की पहचान एवं उनको समाप्त करने के उपाये ✓ मेले/त्योहारों मे बच्चों को तस्करी से सुरक्षित रखने हेतु जन जागरूकता एवं ठोस कार्यवाही
पोषण	✓ आंगनबाड़ी के सहयोग से कुपोषित, कम वजन, आदि बच्चों पहचानकर उनके अभिभावकों को पोषण से प्रति जागरूक करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मदद करना ✓ पोषाहार की नियमित उपलब्धता एवं वितरणके कार्य में आंगनबाड़ी का सहयोग करना ✓ पोषण दिवस आयोजन पर सभी पात्र लाभार्थी की भागीदारी में आंगनबाड़ी का सहयोग करना ✓ उचित पोषण हेतु विद्यालय मे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
बाल विकास	✓ आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था एवं आवश्यकताएं पर बाल सभा में चर्चा ✓ आंगनबाड़ी मे 6 साल तक के सभी बच्चों की पहुँच सुनिश्चित होइसके लिए बाल सभा में चर्चा तथा आंगनबाड़ी का सहयोग करना। ✓ छोटे बच्चों के खेलने की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत से मांग करना ✓ गाँव मे बच्चों के खेल मोहोत्सव/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ✓ बच्चों को सामुदायिक स्वयं सहायता/स्वेच्छिक कार्यों से जोड़ना जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम आदि

15. बैठक की कार्यवाही

❖ बाल सभा अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन।

- ❖ सचिव/सहजकार्ता (उप बाल–प्रधान) एक–एक कर प्रत्येक एजेंडा पढ़ेगें।
- ❖ उप–प्रधान तय व्यक्ति को आमंत्रित कर चर्चा को आरंभ करें।
- ❖ क्रमवार सभी एजेंडा पूर्ण होने पर सहजकर्ता सामूहिक प्रश्न आमंत्रित करें।
- ❖ सभासद/ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा प्रश्नों का समाधान हो और छूटे हुए प्रश्नों को सहजकर्ता कार्यवाही रजिस्टर मे लिख लें। (प्रारूप 1 संलग्न)
- ❖ बाल–सभा अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन।
- ❖ समापन।
- ❖ बाल–सभा की बैठकों के नियमित आयोजन एवं संचालन हेतु विभागीय दायित्व–

पंचायती राज विभाग	✓ ग्राम पंचायत स्तर पर बाल सभा के सदस्यों का चयन। ✓ बाल सभा का गठन सुनिश्चित करना। ✓ बाल सभा मे चयनित बच्चों का प्रशिक्षण आयोजित करना। ✓ नियमित रूप से बाल सह की बैठकों का आयोजन, कार्यवाही प्रलेखन एवं अनुश्रवण करना
शिक्षा विभाग	✓ बाल सभा के सदस्यों के चयन एवं बाल सभा के गठन मे पंचायत का सहयोग करना ✓ बाल सभा के सदस्यों के प्रशिक्षण मे पंचायत का सहयोग करना ✓ विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बाल सभा सदस्यों को सहयोग सुनिश्चित करना ✓ आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रमों मे बाल सभा का सहयोग ✓ मिड–डे–मील की गुणवत्ता निगरानी मे बाल सभा का सहयोग करना
बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग(ICDS)	✓ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर बाल–सभा बैठक मे ग्राम स्तर से आंगनबाड़ीकार्यकत्री का सहयोग सुनिश्चित करना ✓ पोषण दिवस में सभागिता हेतु जन जागरूकता मे बाल सभा का सहयोग सुनिश्चित करना ✓ कुपोषित बच्चों के चिन्हिकरण हेतु सहयोग ✓ आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में बाल सभा का सहयोग सुनिश्चित करना ✓ टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों की पहचान एवं पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता मे सहयोग सुनिश्चित करना

प्रारूप– 01

बाल सभा
कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम पंचायत :– .....

दिनांक : ..... दिवस : .....

वर्ष : ..... स्थान : .....

उपस्थित सभासद/आमन्त्री/बाल–सभा सदस्य

सं0	नाम	पद	हस्ताक्षर

एजेण्डा

एजेण्डा संख्या	एजेण्डा	वक्ता/एजेण्डा संचालनकर्ता का नाम	वक्ता/एजेण्डा संचालनकर्ता का पद

चर्चा के बिन्दु/निष्कर्ष/निर्णय			
एजेन्डा संख्या	चर्चा के बिन्दु	संबंधित सामूहिक प्रश्न	निष्कर्ष/निर्णय/समाधान

बाल–हितैषी पंचायत की विशेषता

- ❖ बच्चों की पंचायत तक आसानी से पहुँच होद्य बच्चों को पंचायत के हर निर्वाचित सदस्य की जानकारी हो।
- ❖ पंचायतों को अपने गांव में बच्चों के विकास के लिए नई योजना बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त हो।
- ❖ पंचायत अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को बच्चों के हितों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएं।
- ❖ पंचायतें अपने गांव स्तर पर ढांचे, जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल के मैदान, अच्छे शौचालय इत्यादि का निर्माण कराएं तथा उनका प्रयोग सुनिश्चित करें।
- ❖ गांव के निर्णय में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो।
- ❖ गांव का विकास बच्चों के नजरिए से हो।
- ❖ बच्चों की बातों को सुना जाए, उनकी राय को महत्व दिया जाए।
- ❖ बच्चों को अपने से संबंधित योजनाओ और उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे मे जानकारी हो।
- ❖ पंचायत मे बच्चों से संबंधित मामले के संबंध में उचित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित हो।
- ❖ गाँव के महत्वपूर्ण स्थानों पर आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों का बोर्ड लगा हो।

बाल–हितैषी पंचायत के लिए किए जाने वाले प्रयास

पंचायतें निम्न लिखित रणनीति बनाकर बच्चों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, ढांचागत विकास कर, बाल मित्र पंचायत की सकल्पना को साकार कर सकती है–

बच्चों के अनुकूल ढांचागत विकास

1. आंगनबाड़ी, विद्यालय और खेल का मैदान ग्राम पंचायत में ऐसी जगह पर हो जहां बच्चे बिना माता–पिता के सहयोग से आराम से आ जा सके।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उपकेंद्र की स्थापना ऐसी जगह पर हो जहां गर्भवती महिलाएं किशोरी लड़कियां एवं बच्चे आसानी से आ जा सके।
3. गांव में पीने के पानी के स्रोत, नालियों आदि को बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाये।
4. विद्यालय में शौचालय तथा पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो तथा लड़कियों के लिए अलग से शौचालय, जो क्रियाशील हो।
5. विद्यालय में मध्याह्नभोजन मीनू के अनुसार पौष्टिक भोजन बने तथा बच्चों को परोसा जाए।

बच्चों से जुड़ी सामाजिक व्यवस्था की निगरानी

1. पंचायत स्तर पर बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण, बाल हिंसा को रोकने के प्रति लोगों में जागरूकता हो।
2. बच्चों को बेचने जैसी सामाजिक बुराइयां ना हो, बच्चों की खास कर लड़कियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।

3. 14 साल तक के सभी बच्चों को काम पर न भेजकर, स्कूल भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. बच्चों के साथ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए।
5. किशोरी बालिकाओं को उच्च शिक्षा पाने का अवसर प्रदान करना।
6. समुदाय के सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोग शिक्षा को प्रोत्साहन दे।

बच्चों के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक वातावरण का निर्माण

1. पंचायत, बच्चों के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराएंद्य प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित करें, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े।
2. बच्चों के मानसिक विकास के लिए निबंध, दीवार लेखन तथा नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित हो।
3. समुदाय की गतिविधियों एवं आयोजनों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
4. बच्चों के लिए विद्यालयों में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जाए।
5. विद्यालयों के द्वारा बच्चों को उनके अधिकार के प्रति सजग और जागरूक बनाया जाए।

बाल अधिकार के प्रति सजग एवं जागरूक ग्राम सभा

1. ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के सदस्य बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हो तथा उस पर कार्यवाही की योजना बनाते हो।
2. ग्राम सभा की बैठक में महिलाओं, पुरुषों की समान भागीदारी से महिलाएं बच्चों के अधिकारों को जान सके और बातचीत कर सकें।
3. ग्राम सभा द्वारा बच्चों को लाभ देने वाले सामाजिक नियम बनाने व लागू करने में लोगों की भागीदारी हो।
4. ग्राम सभा द्वारा बाल विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों की निगरानी हो।
5. ग्राम सभा में बच्चों के मुद्दे को प्राथमिकता दें एवं निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें।

बाल अधिकारों पर सक्रिय एवं जबाबदेह पंचायत

1. ग्राम पंचायत सदस्यों को बाल अधिकारों व बाल संरक्षण की जानकारी हो जैसे–
   - जीवन की रक्षा का अधिकार
   - विकास का अधिकार
   - संरक्षण का अधिकार
   - सहभागिता का अधिकार
2. ग्राम पंचायत स्तर पर बालसभा, बालवाड़ी एवं बाल–सभा गठित हो।
3. बच्चों को लिखित या मौखिक रूप में अपनी समस्याओं व मांगों को रखने की सुविधा प्राप्त हो।
4. पंचायत के स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति द्वारा पंचायत स्तर पर वंचित समुदाय के बच्चों के रणनीति बनाए एवं विकास कार्यों में उनके मुद्दे को शामिल करें।
5. पंचायत सदस्यों द्वारा बच्चों के विकास एवं संरक्षण से संबंधित कार्यों की निगरानी की जाए।

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊ** **दिनांक** **सितम्बर, 2023**

विषयः–प्रदेश की ग्राम पंचायतों के ISO Certification कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक D.O. No. M-11015/107/2023-CB दिनांक 09 जून, 2023 एवं पत्रांक D.O. No. M-11015/107/2023-CB दिनांक 10 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों के ISO Certification कराए जाने की अपेक्षा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में ई–गवर्नेंस के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा नागरिकों को विभिन्न सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। प्रदेश में ऐसी कतिपय पंचायतें पूर्व से ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं नागरिकों को प्रदान कर रही हैं। ISO Certification के माध्यम से इन सेवाओं का मानकीकरण करने से पंचायतों को एक आदर्श पहचान मिलने में सहायता होगी तथा अन्य पंचायतों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत होगा।

ISO Certification द्वारा ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रक्रियाओं यथा–संस्थाओं के संचालन, उसकी कार्यप्रणाली, अभिलेखों का रख–रखाव, कर्मचारियों का व्यवहार एवं जन शिकायतों के निस्तारण आदि को बेहतर बनाने हेतु प्रेरित करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतें एक जन–उपयोगी संस्था के रूप में विकसित हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण अन्तर्गत थीम/विषय–8: सुशासन वाली पंचायत बनने में महत्वपूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। इस हेतु ग्राम पंचायतों का ISO 9001:2015 QMS ISO Certificate – "Certification Standard" कराया जाना है।

ISO Certification के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की जानी है :–

1. **ISO Certificate प्रदान करने वाली संस्थाएं–** ISO Certificate, International Accreditation Forums (IAF) द्वारा अनुमोदित संगठन/National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) अन्तर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त संस्था द्वारा राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों व दिशा निर्देशों के अनुसार निरीक्षण एवं सत्यापन कर संबंधित की क्षमता के आंकलन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।
2. ग्राम पंचायतें IAF अनुमोदित संगठन/ NABCB संस्थाओं में से किसी भी संस्था का चयन कर ISO Certification प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकती है।
3. संस्थाओं के चयन हेतु IAF (https://www.iafcertsearch.org/) पोर्टल पर अंकित मान्यता प्राप्त एवं NABCB (https://nabcb.qci.org.in/management-system-certification/) पोर्टल पर अंकित प्रमाणन निकाय का चयन किया जा सकता है।

Amit Sri 23

4. **ISO Certificate यथा ISO 9001:2015 Quality Management Systems (QMS)**– "Certification Standard" को प्राप्त करने हेतु QMS टूल्स का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा, जिससे ग्राम पंचायतों को अपने कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख–रखाव, जन शिकायतों का निस्तारण, कर्मचारियों का व्यवहार जैसी संबंधित प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा। QMS के सिद्धान्त, गतिविधियां, टूल्स का संक्षिप्त विवरण **संलग्नक–1** पर अंकित है।

5. **ग्राम पंचायत द्वारा ISO Certification हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं**– ग्राम पंचायतों को ISO Certificate प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों में कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का किया जाना उपयुक्त होगा जो ग्राम पंचायतों के **ISO Certification** के परीक्षण इत्यादि में उपयोगी होगा, जो **संलग्नक–2** पर अंकित है।

6. **ग्राम पंचायतों के चयन की प्रक्रिया** – प्रदेश की ग्राम पंचायतों ISO 9001:2015 Quality Management Systems (QMS) सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें, इस आशय से प्रदेश की ग्राम पंचायतों का चयन निम्न मानको के अनुसार किया जा सकता है:–
   - ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय / पंचायत भवन, सी0एस0सी0 क्रियाशील हो।
   - ग्राम पंचायत में पर्याप्त मानव संसाधन यथा ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी इत्यादि की उपलब्धता हो।
   - रिकार्ड संरक्षण हेतु उपयुक्त व्यवस्था।
   - ग्राम सचिवालय में महिला एवं पुरूष हेतु पृथक–पृथक शौचालय तथा दिव्यांग हेतु रैम्प की व्यवस्था हो।
   - ऐसे ग्राम पंचायत का चयन किया जाए जिसमे पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो।
   - ऐसी ग्राम पंचायत जिन्हे विगत एक दो वर्ष में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, का चयन किया जाए।
   - ग्राम प्रधान एवं सचिव को ग्राम पंचायत में संचालित केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी हो।

7. **वित्तीय प्रबंधन**– ISO Certification पर आने वाले वित्तीय व्यय का भार ग्राम पंचायतों के स्वयं की आय (ओ.एस.आर) / आर.जी.एस.ए. योजना के हैण्ड होल्डिंग सहयोग आदि मद से किया जा सकता है।

8. **ISO Certification एवं PRIT/DPRC की भूमिका**–प्रदेश की ग्राम पंचायतों की जनसंख्या, क्षेत्र एवं संरचना के अनुसार तथा Quality Management System (QMS) टूल्स के आधार पर PRIT/DPRC आदि द्वारा ग्राम पंचायत को आवश्यक परामर्श, सुझाव, प्रक्रिया, प्रशिक्षण देने का कार्य किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों को ISO Certification प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त से सम्बन्धित अन्य जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर संपर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: 06-10-2023 11:01
Reason: Approved

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Srt. 23

I/401963/2023

संख्या व दिनांकः— तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त सहायक विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

Amit Srl. 23

संलग्नक–1

Quality Management System (QMS) Tools-

Principles	Activities/Tools	टिप्पणी
CITIZEN FOCUS	CITIZEN SURVEY REPORT, CITIZEN FEEDBACK, CITIZEN CHARTER, COMPLAINT REGISTER, VISITORS DIARY	सर्व प्रथम पंचायत द्वारा नागरिक सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदान की जानी वाली सेवाएं, उनमें लगने वाला समय यथा **Citizen Charter** शिकायत का पंजीकरण एवं निस्तारण, जन समस्याओं, कर्मचारी का आचरण, आधारभूत संरचना आदि जैसे विषयों पर नागरिकों का मंत्यव लेकर पंचायत का पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाना।
LEADERSHIP	QUALITY POLICY & ROLES AND RESPONSIBILITIES	पारिस्थिकि विश्लेषण के उपरान्त प्रधान की अध्यक्षता में सभी जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं जन सामान्य से चर्चा कर पंचायत की गुणवत्ता नीति तैयार करना तथा सभी पंचायत सदस्यों एवं कर्मचारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां तय किया जाना।
ENGAGEMENT OF PEOPLE	QUALITY CIRCLE & TRAINING	पंचायत में QUALITY CIRCLE (गुणवत्ता घेरा) के रूप में ग्राम प्रधान, सदस्य एवं पंचायत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना एवं समय–समय पर उनको प्रशिक्षित करना। पंचायत समितियों को सशक्त कर जन सामान्य की आकांक्षाओं को पूरा करना।
PROCESS APPROACH	FRONT OFFICE MANAGEMENT, DOCUMENTATION, QUALITY OBJECTIVES	पंचायत में नागरिक सर्वेक्षण एवं गुणवत्ता निति के आधार पर QUALITY OBJECTIVES (गुणवत्ता लक्ष्यों) का निर्धारण करना तथा पंचायत में फ्रंट ऑफिस की स्थापना करते हुए नागरिको को सुगम सेवा प्रदान करना।
EVIDENCE BASED DECISION MAKING	RECORD MANAGEMENT	ग्राम पंचायतो में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने हेतु अभिलेखों का बेहतर प्रबंधन की स्थापना।
IMPROVEMENT	INTERNAL AUDIT, MANAGEMENT REVIEW	उक्त निर्धारित की गयी समस्त गतविधियों का पंचायत के सदस्यों/कर्मचारियों के दल द्वारा निरन्तर सुधार हेतु मुल्यांकन करते रहना।
RELATIONSHIP MANAGEMENT	CITIZENS, EMPLOYEES, SUPPLIERS, ELECTED REPRESENTATIVES	ग्राम पंचायतों द्वारा नागरिकों और इच्छुक पक्षों के साथ उत्कृष्ट व्यवहार, जिससे हितधारकों का सार्थक सहयोग मिले।

संलग्नक–2

ग्राम पंचायत द्वारा ISO Certification हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निम्नवत् है :–

- ग्राम सचिवालय/पंचायत भवन क्रियाशील हो।
- ग्राम सचिवालय में फ्रन्ट ऑफिस की उपलब्धता हो।
- ग्राम सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं वार्ड सदस्यों का विवरण दीवार लेखन/फ्लेक्सी बोर्ड पर प्रदर्शन।
- नागरिक चार्टर लागू किये जाने के साथ प्रदर्षित हो।
- नोटिस बोर्ड की व्यवस्था।
- शिकायत/सुझाव बॉक्स/रजिस्टर की उपलब्धता।
- ग्राम सचिवालय द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज का दीवार लेखन/फ्लेक्सी बोर्ड पर प्रदर्शन।
- रिकार्ड रूम की व्यवस्था/स्थापना जिसमें पत्रावलियों को व्यवस्थित रूप से रखा जाये।
- रिकार्ड रूम में पत्रावलियों के रख–रखाव एवं पत्रावलियों के संक्षिप्त विवरण को कम्प्यूटर में सूचीबद्ध किया जाना जिससे आसानी से कम समय में संबंधित पत्रावलियों को प्राप्त किया जा सके।
- ग्राम सचिवालय द्वारा निर्गत की जा रही सर्विस में लगने वाला समय, कर्मचारियों का व्यवहार आदि पर आगंतुक से फीडबैक प्राप्त करना।
- संस्था संरचना (आर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर) प्रदर्शित हो।
- फायर फाइटिंग ट्रेनिंग।
- रिस्क असेसमेंट प्रोसेस।
- कूड़ादान की व्यवस्था।
- कोडिंग–यूनिक संख्या के साथ सभी पत्रावलियों को कार्यालय में व्यवस्थित किया जाना।
- संकेतक बोर्ड प्रदर्शित हो।
- महत्वपूर्ण (Emergency) नंबर का प्रदर्शन।
- ग्राम पंचायत एवं समिति की बैठक हेतु सभाकक्ष की व्यवस्था।
- आगंतुक हेतु प्रतीक्षालय की व्यवस्था।
- प्रतीक्षालय कक्ष में आगन्तुकों हेतु पेयजल एवं टी0वी0/अखबार/पत्रिका की उपलब्धता।
- ग्राम सचिवालय में महिला एवं पुरूष हेतु पृथक–पृथक शौचालय तथा दिव्यांग हेतु रैम्प की व्यवस्था हो।
- शिशु फीडिंग कक्ष की व्यवस्था।
- आवश्यक अभिलेखों जैसे–ग्राम पंचायत शिकायत रजिस्टर, समितियों एवं ग्राम सभा के बैठकों की कार्यवाही रजिस्टर, जन्म–मृत्यु रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश–बुक, उपस्थिति रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर आदि की व्यवस्था।
- ग्राम पंचायत, समिति, ग्राम सभा की नियमित बैठक।
- नियमित सोशल ऑडिट कराने की व्यवस्था।

Amit Sri. 23

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।

पंचायती राज,अनुभाग—3

लखनऊः दिनांक—07 जुलाई, 2023

विषयः-- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0) योजनान्तर्गत राज्य, समस्त मण्डलों, डी0पी0आर0सी0, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से व्यय करते समय विभिन्न कटौतियां/ करों के भुगतान/निपटान **(Settlement)** हेतु ब्याज रहित नवीन होल्डिंग खाता खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित् पत्रांक—F.N01(13)/ PFMS/ FCD/2020, दिनांक 16 मार्च, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से व्यय करते समय विभिन्न कटौतियों/करों के भुगतान और निपटान के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु सुझाव दिये गये हैं :–

1. कर/सांविधिक कटौतियों की धनराशि को रखने के लिए Implementing Agencies (IAs) द्वारा एक अलग बैंक खाता (जिसे होल्डिंग एकाउन्ट कहा जाएगा) खोला जाएगा।
2. इस होल्डिंग खाते को चेक या इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से पी.एफ.एम.एस. के बाहर भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वैधानिक भुगतानों को एक साथ दर्ज किया जा सके।

2— होल्डिंग खाते में निम्नलिखित शर्ते होंगी:—

I. यह खाता अधिमानतः उसी बैंक में खोला जायेगा, जिससे एस0एन0ए0/ जेड0बी0ए0 खाता है।

II. इस खाते में अधिकतम 14 दिनों के लिए पैसा रखा जा सकता है, जिसके बाद धनराशि वापस एजेंसी के खाते में जमा किया जाएगा।

3— पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सांविधिक कटौतियों/करों के भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया Standard Operating Procedure (SOP) संलग्नक—1 पर है।

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत राज्य, मण्डलों, डी0पी0आर0सी0, जनपदों व ग्राम पंचायतों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान करते समय विभिन्न कटौतियों/करों के भुगतान हेतु उपरोक्तानुसार ब्याज रहित नवीन होल्डिंग खाता खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: 07-07-2023 15:58:11
Reason: Approved
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

RGSA
(प्रवीणा चौधरी)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0।
11-7-2023

संख्याः— /33—3—2023— तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
उप सचिव।

पीएफएमसएस के ई0ए0टी0 मॉडयूल्स पर कर/सांविधिक कटौती और भुगतान के लिए एस0ओ0पी0

1. Implementing Agencies (IAs) को एक अलग बैंक खाता (होल्डिंग खाता) अधिमानतः उसी बैंक में खोलना होगा जहां मुख्य परिचालन खाता (एसएनए/जेडबीए आदि) है। इसका उपयोग अस्थायी रूप से करों/सांविधिक कटौतियों आदि के वैधानिक खाते में भुगतान हेतु किया जायेगा।
2. होल्डिंग खाता एक ब्याज रहित वाला खाता होगा, जहां हस्तांतरित धनराशि को अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए रखा जा सकता है। इस खाते का उपयोग केवल पी०एफ०एम०एस० से धनराशि के हस्तांतरण (किसी अन्य स्रोत से नही) तथा समस्त करों/सांविधिक कटौतियों के भुगतान हेतु किया जा सकेगा।
3. Implementing Agencies (IAs) के खाता सत्यापन के लिए पी०एफ०एम०एस० पर संबंधित योजना के लिए होल्डिंग खाते के विवरण को पंजीकृत करेगी।
4. वेंडर को भुगतान करते समय Implementing Agencies (IAs) पीएफएमएस के (EAT) मॉडयूल में निम्नलिखित प्रविश्टिया अंकित करेंगी :–
   I. भुगतान की सकल राशि।
   II. प्रासंगिक वैधानिक/कर कटौती।
5. Implementing Agencies (IAs) या तो डीएससी मोड या ईपीए/पीपीए मोड़ के माध्यम से पहले वेंडर को शुद्ध भुगतान (अर्थात कटौती की कुल राशि घटाकर) को मंजूरी देगी।
6. वेंडर का भुगतान सफल होने के बाद (जैसा कि ऊपर बिन्दु संख्या–5 में अनुमोदित है). Implementing Agencies (IAs) के माध्यम से निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएः–
   I. डीएससी से भुगतान के मामले में समस्त कटौती को होल्डिंग खाते में हस्तानान्तरित करने के लिए डीएससी का उपयोग किया जायें।
   II. ईपीए/पीपीए भुगतानों के मामले में समस्त कटौती को होल्डिंग खाते में हस्तानान्तरित करने के लिए ईपीए/पीपीए का उपयोग किया जायें।
7. Implementing Agencies (IAs) द्वारा कर/सांविधिक कटौतियों के भुगतान को होल्डिंग खाता के माध्यम से इंटरनेट बैंकिग या चेक तथा चालान से पेमेंट कर सकेंगी तथा यह भुगतान बकाया के रूप में पीएमएमएस पर डिडक्शन सेटेलमेंट फार्म में प्रदर्शित होगा।
8. होल्डिंग खाते से किये गये कर/कटौटियों का भुगतान/निपटान पीएफएमएस डिडक्शन सेटेलमेंट सुविधा को अंकित कर सकेंगी।
9. Implementing Agencies (IAs) को वैधानिक कटौती की धनराशि को होल्डिंग खाते में हस्तातरण की दिनांक से अत्याधिक 14 दिनों के भीतर भुगतान करने की अनिवार्य होगा। 14 दिनो की समाप्ति के बाद, अप्रयुक्त धनराशि एजेंसी के खाते में वापस की जायेगी।

No. PrAO/CCA/MoRD/PFMS/2021-22/

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय
प्रधान लेखा कार्यालय
क. सं. 549, जी विंग, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001
https://rural.nic.in / Email - prao.del-mord@gov.in

Dated: 17.03.2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Scheme(CSS) and monitoring utilization of the funds released – regarding payment of statutory deductions.

The undersigned is directed to forward herewith the O.M. F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020 dated 16th March 2022 issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance along with the SoP for tax/statutory deductions and payments on EAT Module of PFMS for information and further necessary action at your end.

This issues with the approval of Competent Authority.

Encl: As above

17.3.22
(M. P. Popli)
Sr. Accounts Officer

To,

1. All Programme Divisions of DoRD, DoLR and MoPR.

2. IFD/Budget Division of DoRD, DoLR and MoPR.

Copy for information to:

1. PPS to AS&FA, MoRD
2. PS to CCA, MoRD/ MoPR
2. PA to CA, MoRD/ MoPR

Settlement

F. No 1(13)/PFMS/FCD/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
******

5th Floor, Block 11, CGO Complex
New Delhi, the 16 March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) and monitoring utilization of the funds released – reg payment of statutory deductions.

The undersigned is directed to refer to this Department's letter of even number dated 23rd March 2021 on the above mentioned subject. After taking into consideration the issues raised by various Ministries/Departments to felicitate payment and settlement of various deductions/taxes while processing payments through PFMS, it has been decided that the following procedure may be adopted regarding payment of statutory deductions:

i. A separate Bank account [to be called 'Holding Account'] shall be opened by the Agencies for holding the tax/statutory deductions.

ii. This Holding Account would be permitted to make payments outside of PFMS, through cheques or internet banking to effect the statutory payments with the challan details being captured simultaneously.

iii. The Holding Account will serve the purpose of holding tax/duties/levies/fees/municipal charges etc. of State Government, municipalities etc. which the Agencies need to process.

2. The Holding Account will have the following conditions:

i. Account shall be opened preferably in the same bank as is the SNA/ZBA Account.
ii. Maximum time for which money can be held in this account shall be fourteen days, after which the money shall be credited back to the Agency Account.

3. A copy of the Standard Operating Procedure (SOP) for payment of Statutory Deductions/Taxes through PFMS is enclosed.

4. This issues with the approval of Finance Secretary and Secretary (Expenditure).

(Abhay Kumar)
Director
Tel. No. 24360647

To

All Secretaries to the Government of India

Annexure

SoP for tax/statutory deductions and payments on EAT Module of PFMS

1. Implementing Agencies shall open a separate bank account (Holding Account) preferably in the same bank where the main operational account (SNA/ZBA etc.) is held. This will be used for temporarily holding the taxes /statutory deductions etc.

2. The Holding Account will be a non-interest bearing account, where the transferred funds can be held for a maximum period of 14 days. This account can be used only for transfer of funds from PFMS (and not from any other source), and for processing the payment of deductions.

3. The Implementing Agency shall register the Holding Account details for the relevant scheme on PFMS for account validation.

4. While processing payments to a vendor, Implementing Agency (IA) shall specify the following in the EAT module of PFMS:
   a. gross amount of payment
   b. relevant statutory/tax deductions

5. Implementing Agency shall first approve the net payment to vendor (i.e. the gross amount less the deductions) either through the DSC mode or the ePA/PPA mode.

6. After the vendor's payment is successful (as approved at Pt. 5 above), the Implementing Agency shall
   a. in case of DSC payments, apply the DSC again for transferring the deductions to the Holding Account
   b. in case of ePA/PPA payments, approve a separate ePA/PPA to transfer the deductions to the Holding Account

7. Implementing Agencies to use the Holding Account to make statutory payments outside PFMS through Internet Banking, or other mechanisms like cheques or challan payments. This will now be shown as 'Outstanding' in the 'Deduction Settlement' form on PFMS.

8. The Implementing Agencies shall use the 'Deduction Settlement' feature in PFMS to enter the tax / deduction / other challan details for all vendor payments which are reported as success by bank. This will clear the 'Outstanding' status of settlements.

9. Implementing Agencies need to make statutory deductions payment at the earliest, and not later than 14 days from the date of transfer of funds to Holding Account. After lapse of 14 days' period, the unutilized money shall be credited back to the Agency account.

*****

संख्या– /33–3–2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक अगस्त, 2023

विषयः–"आपरेशन त्रिनेत्र'', पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम/लाउडस्पीकर के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनसामान्य का जीवन स्तर ऊपर उठाने में एवं जनता को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में पंचायतीराज विभाग की भूमिका अग्रणी है। स्वच्छता, महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण, मौसम पूर्वानुमान की सूचना (Advance Weather Information), ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वच्छता निगरानी को आधुनिक तकनीक द्वारा उन्नत किया जाना पंचायतीराज विभाग की प्राथमिकता में सम्मिलित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया गया है एवं पंचायत सहायकों को प्रशिक्षित कर तैनात किया गया है।

2– जनपद गोरखपुर में अपर पुलिस महानिदेशक एवं आयुक्त के प्रयासों से आपरेशन त्रिनेत्र योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। 'आपरेशन त्रिनेत्र' के उपअंश ग्रामीण त्रिनेत्र के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थओं ने अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है। ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले तिराहों/चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया गया है। ग्राम प्रधानों को सीसीटीवी कैमरों के अधिकाधिक अधिष्ठापन हेतु प्रोत्साहित किया गया है। विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर ग्रामवासियों की सहमति से सीसीटीवी कैमरा, पंचायतों के माध्यम से लगवाकर उसकी निगरानी ग्राम पंचायत कार्यालय पर ग्राम

सचिवालय कार्मिकों द्वारा की जा रही है। शासन द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) एवं अन्य योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण भी जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा 'आपरेशन त्रिनेत्र' की भांति प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाये जाने का निर्णय लिया गया है जिस हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं :–

(1) ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं यथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं के निर्मित सार्वजनिक/पंचायतों को हस्तांतरित परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, योजनाओं के अंतर्गत कराये जा रहे कार्य का आच्छादन का आंकलन/अनुश्रवण तथा ODF^{+} Sustainable होने में प्रयोग हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में यथा संभव सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम लगाया जाय।

(2) समस्त ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम ग्राम पंचायतों के प्रमुख स्थलों, सामुदायिक शौचालय, ग्राम सचिवालय, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रमुख मार्गों, ग्राम पंचायत के मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार, मुख्य चौराहे/तिराहे आदि पर लगवाया जायेगा। परन्तु व्यक्तिगत स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने पर प्रतिबंध होगा।

(3) उक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाये जाने हेतु ग्राम के संभ्रान्त नागरिकों के साथ ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय कर्मियों की एक बैठक आयोजित कर कैमरों की संख्या/स्थान पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। परन्तु प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपनी आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम लगवाया जायेगा।

(4) सीसीटीवी कैमरों व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम हेतु पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था की जायेगी।

(5) सीसीटीवी कैमरों व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम एकीकृत पुलिस कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सिस्टम से सम्बद्ध किया जायेगा।

(6) सीसीटीवी कैमरों व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का मेक एण्ड मॉडल पुलिस कन्ट्रोल/फीड से अनुकूल (Compatible) होगा।

(7) आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर पुलिस को तत्काल फीडबैक उपलब्ध कराया जायेगा।

3– आपरेशन त्रिनेत्र योजना प्रदेश की जनता विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिये अन्यन्त उपयोगी साबित हो सकती है। सीसीटीवी के अधिष्ठापन से होने वाले लाभ निम्नवत हैं :–

- ग्रामीण स्वच्छता अभियान एवं ग्रामीण स्वच्छता निगरानी को आधुनिक तकनीक आधार पर सफल बनाने में सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगा।
- मा0 मुख्यमंत्री जी के विशेष अभियान ''मिशन शक्ति'' को ग्रामीण एवं दूर–दराज क्षेत्रों में लागू करने में सीसीटीवी कैमरों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है।
- मौसम सम्बन्धी जानकारी तथा चेतावनी (Weather Information & Warning) जन सामान्य तक पहुँचाने में सहायता मिलेगी।
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एवं उन्हें सशक्त बनाने में सीसीटीवी कैमरों एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग नितांत आवश्यक है।
- पंचायतों के संसाधनों के क्षय को रोकने में सहायक होगा।
- आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने में।
- उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान करने में।
- स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन में आने वाली विसंगतियों की पहचान हेतु।
- लोगों को जागरूक (Aware) बनाने में।
- ODF Staus maintain करने में।

4– इस योजना का क्रियान्वयन निम्नवत चरणों में किया जायेगा :

<u>कैमरों/पब्लिक एड्रेस सिस्टम व लाउडस्पीकर के मानक का निर्धारण</u> :– इस अभियान में कैमरों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिससे किसी परिसंपत्ति की हानि की दशा में सटीक फोटो प्राप्त हो सके एवं रात के समय में भी फुटेज कैप्चर हो सके। गोरखपुर माडल से प्रेरणा ग्रहण करते हुये उच्च गुणवत्ता के कैमरों हेतु मानकों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति द्वारा किया जायेगा जिसके सदस्य होंगे मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी (D.O. NIC), पुलिस अधीक्षक

(S.P.) द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक (Addl. SP), मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी (C.T.O.) जिलाधिकारी द्वारा अन्य नामित अधिकारी।

कैमरों/पब्लिक एड्रेस सिस्टम/लाउडस्पीकर का क्रय (Procurement) :– उपकरणों के क्रय में Best Quality along with least price के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये Online Bidding Process द्वारा प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा Empanelled संस्थाओं की सूची न्यूनतम् दर व उच्च मानक आधारित वेन्डरों से ग्राम पंचायतें नियमतः आर्डर प्रेषित कर सकें। समिति द्वारा प्रति जनपद कम से कम 10 संस्थाओं का चयन/ इम्पैनलमेन्ट किया जायेगा इन्हीं मानक–पूर्ण व सूचीबद्व संस्थाओं/एजेंसी में से ग्राम पंचायतों द्वारा चयन करते हुये सीसीटीवी कैमरा सहवर्ती उपकरणों सहित अधिष्ठापित कराया जायेगा।

कैमरों के अधिष्ठापन हेतु जगहों का चयनः– उपयुक्त स्थलों का चयन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व गणमान्य सदस्य जिनमें महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यगण, पंचायत सदस्य इत्यादि की समिति द्वारा किया जायेगा जिनमें सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों व हाट बाजार जैसे भीड के स्थान शामिल हों।

कैमरों की कनेक्टिविटी/बिजली की व्यवस्थाः–संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

कन्ट्रोल रूम/त्रिनेत्र एप्लीकेशन एवं कम्प्यूटर के माध्यम से पर्यवेक्षण (Observation) :– सीसीटीवी कैमरे का कन्ट्रोल रूम उपयुक्तता के आधार पर ग्राम सचिवालय में स्थापित कराया जायेगा जिसकी कनेक्टिविटी संबंधित थाने, विकास खण्ड मुख्यालय, प्राथमिक या सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद मुख्यालय अथवा पुलिस मुख्यालय से पूर्व से स्थापित हो यथा सम्भव कार्यवाही पुलिस विभाग के सहयोग से की जायेगी। उक्त व्यवस्था का संचालन पंचायत सहायकों के माध्यम से किया जायेगा।

संभ्रान्त/गणमान्य सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य से दान स्वरूप प्रोत्साहन :–

समाज के संभ्रान्त/गणमान्य सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) एवं अन्य संगठनों द्वारा दान–स्वरूप भी अधिष्ठापन कराने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति प्रयास करेगी। उक्त सहयोग/वित्तीय सहायता प्रदान करने पर उन्हें ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला स्तर पर

सम्मानित किया जायेगा साथ ही प्रायोजकों (Sponsors) को अपना नाम प्रदर्शित किये जाने की अनुमति होगी।

वित्त (Finance) की व्यवस्था :– ग्राम पंचायतों द्वारा सीसीटीवी कैमरा, सहवर्ती उपकरण, पब्लिक ऐड्रैस सिस्टम, विद्युत बिल, सोलर सिस्टम एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी लगवाये जाने तथा क्रियाशील रखने में आने वाले व्यय का वहन वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से किया जायेगा। पंचायतों में उक्त योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा भी सीसीटीवी कैमरा, सहवर्ती उपकरण, पब्लिक ऐड्रैस सिस्टम क्रय किये जाने हेतु धनराशि वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से प्रदान किया जायेगा।

Weather Station के साथ अभिसरण :– पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तावित 8000 ग्राम पंचायतों में Automatic Weather Station एवं 50,000 ग्राम पंचायतों में रेनगेज स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उक्त तंत्र से प्राप्त सूचना ग्राम स्तर पर पंचायत सचिवालय में अवस्थित पंचायत सहायक द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: 14-09-2023 17:51:03
Reason: Approved

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनाँक : तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण, कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
2– प्रभारी मुख्य अभियंता, जिला पंचायत।
3– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

योजना खण्ड–5

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–5/ **197** /2022–05/04/2022 लखनऊ दिनांकः **11** मई, 2022

विषयः पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0 के अन्तर्गत आश्रित परिवारों को धनराशि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–512/33–3–2022–27/2022 दिनांक–30.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि के पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार को आर्थिक सहायता राशि दिये जाने हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पंचायत कल्याण कोष स्थापित किये जाने के विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अवगत कराना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि के आश्रित परिवारों को निर्धारित अनुदान प्राप्त करने हेतु पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 की वेबसाईट prdfinance.up.gov.in पर सीधे आवेदन करने हेतु प्रारुप विकसित किया गया है। उक्त प्रारुप पर मृतक के आश्रित परिवार द्वारा अपेक्षित सूचनाएं अंकित किये जाने के उपरान्त आवेदन जिला पंचायत राज अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर अन्तरित हो जाता है। उक्त आवेदन का जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा परीक्षण कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पोर्टल पर अपलोड करते हुये धनराशि हस्तान्तरण हेतु आवेदन पंचायती राज निदेशालय को अग्रसारित किये जाने के उपरान्त पंचायती राज निदेशालय में गठित पंचायत कल्याण प्रकोष्ठ के स्तर से मृतक के आश्रित उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित बैंक खाते में पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से अनुमन्य धनराशि के भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि जनपद में प्राप्त आवेदन के क्रम में अनुमन्य धनराशि के लाभ हेतु विधिक उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि के पत्नी अथवा पति का बैंक विवरण उपलब्ध कराया जाये। अन्य उत्तराधिकारियों के उपलब्ध होने की दशा में उनकी सहमति का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

अतः उक्तानुसार जनपद स्तर से स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवेदन की प्रमाणित प्रति (पीडीएफ फाइल–स्पष्ट स्कैन) पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 की वेबसाईट prdfinance.up.gov.in पर अपलोड कराते हुये पंचायती राज निदेशालय को अग्रसारित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या व दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त आवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के भीतर समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराते हुए आवेदन निदेशालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या– 512 /33–3–2022–27/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांकः 30 मार्च, 2022**

विषय– पंचायत कल्याण कोष स्थापित व संचालित किए जाने हेतु गाइडलाइन/दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2350/33–3–2021–2257/2021 दिनांक 16.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पंचायतों के अधिकार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय की वृद्धि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को सहायता धनराशि दिए जाने हेतु राज्य स्तर पर पंचायत कल्याण कोष के गठन व संचालन किया जाना है।

2– इस सम्बन्ध में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पंचायत कल्याण कोष गठित कर संचालित किए जाने की कार्यवाही निम्नवत की जाएगी :–

(I) कोष का नामः पंचायत कल्याण कोष, उत्तर प्रदेश।

(II) पंचायत कल्याण कोष का उद्देश्यः– जनता के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में (आत्महत्या/आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होने की स्थिति को छोड़कर) उनके परिवार या आश्रितों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य वित्त आयोग की आवंटित अनुदान से धनराशि संरक्षित कर राज्य स्तर पर पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया जायेगा।

(III) पंचायत कल्याण कोष से आश्रितों को दिये जाने वाली धनराशि की सीमाः–

पंचायत प्रतिनिधि (अध्यक्ष–जिला पंचायत, प्रमुख–क्षेत्र पंचायत, प्रधान–ग्राम पंचायत, सदस्य, जिला पंचायत, सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत) की मृत्यु की दशा में सहायता राशि निम्नवत होगी :–

(क) प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत – रु. 10 लाख।
(ख) सदस्य, जिला पंचायत –रु. 5 लाख।
(ग) सदस्य, क्षेत्र पंचायत –रु. 3 लाख।
(घ) सदस्य, ग्राम पंचायत –रु. 2 लाख।

(IV) आवेदन की प्रक्रियाः–

(क) पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर विकसित पंचायत कल्याण कोष पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जायेगा।

(ख) पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित द्वारा पंचायत कल्याण कोष के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–1) पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फ्रीज किया जायेगा।

(ग) पोर्टल पर आश्रित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आई0डी0 से डाउनलोड कर परीक्षणोंपरान्त पत्रावली पर जिलाधिकारी से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(घ) जिलाधिकारी के स्वीकृत के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र को अपने लॉगिंन आई0डी0 से निदेशक पंचायतीराज को धनराशि हस्तान्तरण हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

(V) राज्य स्तर से धनराशि का हस्तान्तरणः–

(क) पंचायत स्तर से सम्बन्धित निर्वाचित प्रतिनिधि के आश्रित/परिवार के द्वारा किये गये आवेदन को जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के अग्रसारित किये जाने के उपरान्त निदेशालय के पंचायत कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा डाउनलोड किया जायेगा।

(ख) पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित के द्वारा किये गये आवेदन को पोर्टल से डाउनलोड करने के उपरान्त धनराशि हस्तान्तरण हेतु पी0पी0ए0 जनरेट किये जाने के लिए निदेशक पंचायतीराज से अनुमोदन/स्वीकृति लिया जायेगा।

(ग) निदेशक पंचायतीराज के अनुमोदनोपरान्त उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 टीम द्वारा पी0एफ0एम0एस0–डी0बी0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित आश्रित व्यक्ति के खाते में धनराशि हस्तान्तरण हेतु पी0पी0ए0 जनरेट की जायेगी।

(घ) नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग एवं निदेशक पंचायतीराज द्वारा पी0पी0ए0 पर हस्ताक्षर उपरान्त मात्राकृत धनराशि आवेदक के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

(ड़) धनराशि के हस्तान्तरण उपरान्त आवेदक के मो0 नं0 पर सीधे सूचित करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि हस्तान्तरण की सूचना दी जाएगी।

(VI)– आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखः–

(क) पंचायत प्रतिनिधि के आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, की प्रति।
(ख) प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र।

(ग) ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण–पत्र, क्षेत्र प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(VII) पंचायत कल्याण कोष का बजट मदः–

- पंचायत कल्याण कोष के बजट व्यवस्थाएं हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से 50 करोड़ रु0 के लागत की रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना राज्य स्तर पर की जायेगी। कल्याण कोष हेतु प्राविधानित 50 करोड़ की धनराशि हेतु राज्य वित्त आयोग की वर्ष में आवंटित होने वाली प्रत्येक किस्त में समानुपातिक रुप से विभाजित करते हुए उक्त धनराशि कल्याण कोष हेतु रोक कर शेष धनराशि तीनों स्तर पर वितरित की जायेगी।

- राज्य स्तर पर SFC PANCHAYAT KALYAN KOSH के नाम से नोडल अधिकारी राज्य वित्त एवं निदेशक पंचायतीराज के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोला जायेगा, जिसमें उक्त धनराशि संरक्षित की जायेगी। इस खाते में प्राप्त ब्याज को भी कल्याण कोष में अन्तरित धनराशि माना जायेगा।

(VIII) निदेशालय स्तर पर पंचायत कल्याण कोष प्रकोष्ठ स्थापित किया जानाः–

पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रित व्यक्ति/परिवार हेतु सहायता धनराशि दिये जाने हेतु गठित पंचायत कोष के क्रियान्वयन व संचालन हेतु पंचायतीराज निदेशालय में पंचायत कल्याण प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा, जिसके प्रभारी नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग होंगे। प्रकोष्ठ में समस्त कार्यवाही के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु दो कन्सल्टेन्ट (01 तकनीकी व 01 अनुश्रवण व पर्यवेक्षण), एक पटल सहायक व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की जायेगी। प्रकोष्ठ में तैनात किये जाने वाले तकनीकी कन्सल्टेन्ट की योग्यता बी0टेक/बी0ई0, आई0टी0 या सी0एस0, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण कन्सल्टेन्ट की योग्यता एम0बी0ए0 होगी।

(IX) पंचायत कल्याण कोष हेतु तकनीकी व प्रशासनिक व्यय का प्राविधानः–

पंचायत कल्याण कोष के प्राप्त आवेदनों को समयान्तर्गत त्वरित कार्यवाही करने व निर्वाचित प्रतिनिधि के सम्बन्धित आश्रित को निर्धारित धनराशि के भुगतान हेतु, राज्य स्तर पर स्थापित अनुश्रवण प्रकोष्ठ एवं जनपद स्तर पर उक्त कार्य में लगने वाले आवश्यक व्यय हेतु कल्याण कोष के प्राविधानित धनराशि में एक प्रतिशत की धनराशि तकनीकी व प्रशासनिक मद हेतु मात्राकृत किया जायेगा। इस धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 होंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

30.3.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त/न्याय/कार्मिक/ग्राम्य विकास/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/नियोजन/ग्रामीण अभियंत्रण एवं सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त ग्राम प्रधानगण एवं सचिव, उत्तर प्रदेश।
18. पंचायतीराज अनुभाग–1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

परिशिष्ट–1

पंचायत कल्याण कोष से सहायता धनराशि हेतु पोर्टल पर आवेदन का प्रारुप

निर्वाचित प्रतिनिधि का विवरणः–

मृतक निर्वाचित प्रतिनिधि का नामः–
निर्वाचित पद का नामः–

पता– ग्राम.....पोस्ट.....तहसील.....

जनपद.....पिन कोड.....

मृत्यु का दिनांकः–

मृत्यु का कारणः–

–:आवेदक का विवरणः–

आवेदक का नामः–
मृतक व्यक्ति से सम्बन्धः–
आवेदक का पताः– ग्राम.....पोस्ट.....तहसील.....

जनपद.....पिन कोड.....मो0 नं0–
आधार कार्ड/पहचान पत्र नं0ः–.....

बैंक विवरण– एकाउण्ट नं0.....आई0एफ0एस0सी0 कोड.....

बैंक का नाम.....ब्रान्च.....

अभिलेखः– मृत्यु प्रमाण–पत्र (पी0डी0एफ0) बैंक पासबुक .....(पी0डी0एफ0)

निर्वाचित व्यक्ति के पद के प्रमाणीकरण के अभिलेख.....(पी0डी0एफ0)

(फ्रीज/अनफ्रीज)

(उक्त विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

मृतक निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम .....पद नाम.....पता.....

आवेदक का नाम .....पता.....

आवेदक के द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं का सत्यापन कर लिया गया है। आवेदन में दी गई समस्त सूचनाएं सही पायी गई है। आश्रित आवेदक को उक्त सहायता की धनराशि की संस्तुति की जाती है।

संस्तुत न किये जाने की दशा में मंतव्य.....

हस्ताक्षर.....नाम.....जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद–.....
(पी.डी.एफ. डाउनलोड) (पी.डी.एफ. अपलोड)

* जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा डाउनलोड के उपरान्त आवेदक के विवरण का परीक्षण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति उपरान्त पोर्टल पर अपलोड कर निदेशक पंचायतीराज को अग्रसारित किया जायेगा।

Amit Sri.

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

आवंटन
अनुदान सं0–14
लेखाशीर्षक–4515001010800–24

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, बलिया, उन्नाव, गाजीपुर, बुलन्दशहर, गोण्डा, देवरिया, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, आगरा, बदायूँ, शाहजहॉपुर, बरेली, सुल्तानपुर, बहराइच, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, अमेठी, मिर्जापुर, अलीगढ़, महाराजगंज, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सोनभद्र, मथुरा, अम्बेडकरनगर, चन्दौली, मऊ,, जालौन, मुजफ्फरनगर, संतकबीर नगर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बलरामपुर, लखनऊ, कौशाम्बी, झांसी, वाराणसी, बाँदा, इटावा, मुरादाबाद, सम्भल, कन्नौज, एटा, औरैया, पीलीभीत, हाथरस, फर्रूखाबाद, कासगंज, हमीरपुर, भदोही, रामपुर, अमरोहा, ललितपुर, बागपत, चित्रकूट, श्रावस्ती, शामली, महोबा, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर।

पत्र सं0–1/शा0/13/2023–1/12/2023 लखनऊ दिनांक २५ मई, 2023

विषय–<u>**वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान सं0–14 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**</u>

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0–33–3002(001)/3/2023–3–318809/2023 दिनांक 16 मई 2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान सं0–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–101–पंचातीराज–08–बहुद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)–24–वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0–3800.00 लाख के सापेक्ष 216 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु **धनराशि रू0 3790.17 लाख (रू0 सैंतीस करोड़ नब्बे लाख सत्रह हजार मात्र)** धनराशि आवंटन हेतु अवमुक्त की गयी है।

639
25.05.23
(YOGENDRA KATIYAR)
Dy. Director (P.)
Panchayati Raj, U.P.

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **रू0 3790.17 लाख** निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है–

01–आंकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व योजना प्रभारी का होगा तथा आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

21.5.23
25/5/2023

02–उपरोक्त धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के अन्य व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

03–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

04–आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

05–आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

06–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

07–धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

08–आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, आवंटित धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना–प्रभारी का होगा।

09–योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10–निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11–योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजन का तकनीकी आवंटन प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

12–उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुदान सं0–14 के लेखाशीर्षक **"4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–101–पंचायतीराज–08–बहुद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)–24–वृहद् निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

13–शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर0पी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

14–प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आंगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आंगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

15–उक्त योजनान्तर्गत नए पंचायत भवनों के निर्माण में आकांक्षात्मक जनपदों तथा जनपदों के अन्तर्गत आकांक्षी विकास खण्डों को प्राथमिकता प्रदान किया जायेगा।

16–शासनादेश सं0–4021/33–3–2019–182/2013 दिनांक 16.01.2020**(छायाप्रति संलग्न)** के प्रस्तर क के बिन्दु 3, 4, 5 एवं 6 में पंचायत भवन निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों के

अनुरूप ही ग्राम पंचायत का चयन किया जायेगा। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग और मनरेगा कन्जर्वेशन की धनराशि से अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, उन ग्राम पंचायतों का चयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

17(i) वर्ष 2023–24 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2024 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

17(ii) उक्त आदेश वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–2/2023/बी–1–227/दस–2023–231/2023 दिनांक 17.03.2023 व अन्य संगत शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–09 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।

सं0–1/शा0/13/1/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–211001
2–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4–उपसचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
5–सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7–सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8–सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
9–सम्बन्धित उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, बहुद्देशीय पंचायत भवन योजना, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10–एस0पी0एम0यू0 पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-23/05/2023

प्रेषण संख्या:- 1-sha-13-2023-1-12-2023
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-12-2023
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
08 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5409000 5409000	5409000 5409000
2	मुज़फ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5409000 5409000	5409000 5409000
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5409000 5409000	5409000 5409000
4	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
5	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
6	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
7	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
8	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
9	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
10	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
11	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5409000 5409000	5409000 5409000
12	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
13	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
14	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
15	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
16	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5409000 5409000	5409000 5409000
17	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
18	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
19	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
20	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
21	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
22	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
23	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
24	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
25	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
26	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
27	मिर्ज़ापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
28	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
29	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
30	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
31	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
32	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
33	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
34	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
35	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
36	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
37	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
38	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
39	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
40	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
41	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
42	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
43	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
44	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
45	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
46	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
47	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000
48	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3606000 3606000	3606000 3606000
49	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
50	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
51	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5409000 5409000	5409000 5409000
52	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
53	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
54	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5409000 5409000	5409000 5409000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
55	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000
56	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
57	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5409000 5409000	5409000 5409000
58	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
59	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3606000 3606000	3606000 3606000
60	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
61	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
62	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
63	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
64	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
65	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
66	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3606000 3606000	3606000 3606000
67	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
68	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000
69	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5409000 5409000	5409000 5409000
70	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000
71	कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
72	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000
73	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000
74	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3492000 3492000	3492000 3492000
75	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5238000 5238000	5238000 5238000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
	योग	वर्तमान प्रगामी	379017000 379017000	379017000 379017000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सैंतीस करोड़ नब्बे लाख सत्रह हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सैंतीस करोड़ नब्बे लाख सत्रह हजार

(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.05.24 02:39:40 +05:30

18809/2023

संख्या- /2023/ /001-832-33-3-2023

प्रेषक,

अवधेश कुमार खरे,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 16 मई, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-14 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5/498/2023-5/27/2023 दिनांक 28.04.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 3800.00 लाख के सापेक्ष 216 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि रू. 3790.17 लाख (रू. सैंतीस करोड़ नब्बे लाख सत्रह हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन पंचायत भवन निर्माण के लिए श्री राज्यपाल व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) आकडों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा तथा स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

18809/2023

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय , स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होनें निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(9) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध करांया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(12) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-101-पंचायती राज-08-बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(15) उक्त योजनान्तर्गत नए पंचायत भवनों के निर्माण में आकांक्षात्मक जनपदों तथा जनपदों के अन्तर्गत आकांक्षी विकास खण्डों को प्राथमिकता प्रदान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 37,90,17,000 (रुपये सैंतीस करोड़ नव्वे लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 014 **लेखा शीर्षक** 4515001010800 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18809/2023

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by अवधेश कुमार खरे
Date: 16-05-2023 17:37:56
Reason: Approved

अवधेश कुमार खरे,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या- /2023/ /001-832-33-3-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी ।
5- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार राम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-14

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	अनुदान संख्या-14 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि				पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
			प्रत्येक जनपद को 2-2 पंचायत भवन	विकास खण्डों के अवरोही क्रम में 1-1 पंचायत भवन अतिरिक्त	लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	भूकम्परोधी रहित प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित प्रति पंचायत भवन रू0 18.03 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4			5	6
1	प्रयागराज	23	2	1	3	17.46	52.38
2	आजमगढ़	22	2	1	3	17.46	52.38
3	जौनपुर	21	2	1	3	17.46	52.38
4	गोरखपुर	20	2	1	3	17.46	52.38
5	सीतापुर	19	2	1	3	17.46	52.38
6	हरदोई	19	2	1	3	17.46	52.38
7	रायबरेली	18	2	1	3	17.46	52.38
8	प्रतापगढ़	17	2	1	3	17.46	52.38
9	बलिया	17	2	1	3	17.46	52.38
10	उन्नाव	16	2	1	3	17.46	52.38
11	गाजीपुर	16	2	1	3	17.46	52.38
12	बुलन्दशहर	16	2	1	3	17.46	52.38
13	गोण्डा	16	2	1	3	17.46	52.38
14	देवरिया	16	2	1	3	17.46	52.38
15	लखीमपुर खीरी	15	2	1	3	17.46	52.38
16	बाराबंकी	15	2	1	3	17.46	52.38
17	आगरा	15	2	1	3	17.46	52.38
18	बदायूँ	15	2	1	3	17.46	52.38
19	शाहजहाँपुर	15	2	1	3	17.46	52.38
20	बरेली	15	2	1	3	17.46	52.38
21	सुल्तानपुर	14	2	1	3	17.46	52.38
22	बहराइच	14	2	1	3	17.46	52.38
23	कुशीनगर	14	2	1	3	17.46	52.38
24	बस्ती	14	2	1	3	18.03	54.09
25	सिद्धार्थनगर	14	2	1	3	17.46	52.38
26	फतेहपुर	13	2	1	3	18.03	54.09
27	अमेठी	13	2	1	3	17.46	52.38
28	मिर्जापुर	12	2	1	3	17.46	52.38
29	अलीगढ़	12	2	1	3	17.46	52.38
30	महराजगंज	12	2	1	3	17.46	52.38
31	मेरठ	12	2	1	3	18.03	54.09
32	बिजनौर	11	2	1	3	18.03	54.09

क्र. सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	अनुदान संख्या-14 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि				पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
			प्रत्येक जनपद को 2-2 पंचायत भवन	विकास खण्डों के अवरोही क्रम में 1-1 पंचायत भवन अतिरिक्त	लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	भूकम्परोधी रहित प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित प्रति पंचायत भवन रू0 18.03 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4			5	6
1	प्रयागराज	23	2	1	3	17.46	52.38
33	सहारनपुर	11	2	1	3	18.03	54.09
34	अयोध्या	11	2	1	3	17.46	52.38
35	कानपुर नगर	10	2	1	3	17.46	52.38
36	कानपुर देहात	10	2	1	3	17.46	52.38
37	सोनभद्र	10	2	1	3	17.46	52.38
38	मथुरा	10	2	1	3	17.46	52.38
39	अम्बेडकरनगर	9	2	1	3	17.46	52.38
40	चन्दौली	9	2	1	3	17.46	52.38
41	मऊ	9	2	1	3	17.46	52.38
42	जालौन	9	2	1	3	17.46	52.38
43	मुजफ्फरनगर	9	2	1	3	18.03	54.09
44	संतकबीर नगर	9	2	1	3	17.46	52.38
45	फिरोजाबाद	9	2	1	3	17.46	52.38
46	मैनपुरी	9	2	1	3	17.46	52.38
47	बलरामपुर	9	2	1	3	17.46	52.38
48	लखनऊ	8	2	1	3	17.46	52.38
49	कौशाम्बी	8	2	1	3	17.46	52.38
50	झांसी	8	2	1	3	17.46	52.38
51	वाराणसी	8	2	1	3	17.46	52.38
52	बाऍदा	8	2	1	3	17.46	52.38
53	इटावा	8	2	1	3	17.46	52.38
54	मुरादाबाद	8	2	1	3	17.46	52.38
55	सम्भल	8	2	1	3	17.46	52.38
56	कन्नौज	8	2	1	3	17.46	52.38
57	एटा	8	2	1	3	17.46	52.38
58	औरैया	7	2	1	3	17.46	52.38
59	पीलीभीत	7	2	1	3	17.46	52.38
60	हाथरस	7	2	1	3	17.46	52.38
61	फर्रुखाबाद	7	2	1	3	17.46	52.38
62	कासगंज	7	2	1	3	17.46	52.38
63	हमीरपुर	7	2	1	3	17.46	52.38
64	भदोही	6	2	1	3	17.46	52.38
65	रामपुर	6	2	1	3	18.03	54.09
66	अमरोहा	6	2	1	3	18.03	54.09
67	ललितपुर	6	2		2	17.46	34.92

क्र. सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	अनुदान संख्या-14 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि				पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
			प्रत्येक जनपद को 2-2 पंचायत भवन	विकास खण्डों के अवरोही क्रम में 1-1 पंचायत भवन अतिरिक्त	लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	भूकम्परोधी रहित प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित प्रति पंचायत भवन रू0 18.03 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4			5	6
1	प्रयागराज	23	2	1	3	17.46	52.38
68	बागपत	6	2		2	18.03	36.06
69	चित्रकूट	5	2		2	17.46	34.92
70	श्रावस्ती	5	2		2	17.46	34.92
71	शामली	5	2		2	17.46	34.92
72	महोबा	4	2		2	17.46	34.92
73	हापुड़	4	2		2	17.46	34.92
74	गाजियाबाद	4	2		2	18.03	36.06
75	गौतमबुद्धनगर	3	2		2	18.03	36.06
	योग	803	150	66	216		3790.17

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

आवंटन
अनुदान सं0–83
लेखाशीर्षक–4515007890600–24

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, झांसी, औरैया, जालौन, बाराबंकी, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, कानपुर नगर, महोबा, इटावा, कानपुर देहात, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, फतेहपुर, बिजनौर, हाथरस, अमेठी, चन्दौली, मऊ, सोनभद्र, प्रयागराज, अयोध्या, भदोही, गोरखपुर, बुलन्दशहर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अलीगढ़, बाँदा, संतकबीरनगर, हमीरपुर, आगरा, सुल्तानपुर, मथुरा, मेरठ, बस्ती, ललितपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, कन्नौज, अमरोहा, हापुड़, बदायूँ, कासगंज, महराजगंज, सम्भल, गाजियाबाद, पीलीभीत, श्रावस्ती, वाराणसी, फर्रूखाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, रामपुर, एटा, गोण्डा, बलिया।

संख्या–1/शा0/18/2023–1/21/2023 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2023

विषय–वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान सं0–83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से रू0 1192.98 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0–33–3002(002)/5/2023–3–1/329190–2023 दिनांक 01 जून 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान सं0–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–06–बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)–24–वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0–1200.00 लाख के सापेक्ष **रू0 1192.98 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ बानवे लाख अठानबे हजार मात्र)** की धनराशि आवंटन हेतु अवमुक्त की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0–1192.98 लाख निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है–

01–आंकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व योजना प्रभारी का होगा तथा आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

02–प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के अन्य व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

03–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

04–आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

05–आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

06–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

07–धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

08–आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, आवंटित धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना–प्रभारी का होगा।

09–योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10–निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11–योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी आवंटन प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

12–उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुदान सं0–83 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–06–बहुद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13–शाराकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/ आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

14–प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आंगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आंगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

15–उक्त आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2023/बी–1–227/दस–2023–231/2023 दिनांक 17.03.2023 व अन्य संगत शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्थान्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

16–शासनादेश सं0–4021/33–3–2019–182/2013 दिनांक 16.01.2020**(छायाप्रति संलग्न)** के प्रस्तर क के बिन्दु 3, 4, 5 एवं 6 में पंचायत भवन निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों के

अनुरूप ही ग्राम पंचायत का चयन किया जायेगा। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग और मनरेगा कन्जर्वेशन की धनराशि से अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, उन ग्राम पंचायतों का चयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

17(1)वर्ष 2023–24 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2024 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

17(2)उक्त आदेश वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–2/2023/बी–1–227/दस–2023–231/2023 दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकारी के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–14 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।

सं0–1/शा0/18/1/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–211001
2–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4–उपसचिव (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
5–सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7–राम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8–सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
9–राम्बन्धित उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, बहुद्देशीय पंचायत भवन योजना, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10–एस0पी0एम0यू0 पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।

पत्रांक सं0–1/शा0/18/2023–1/21/2023 दिनांक 19 जून, 2023

अनुदान सं0–83 वर्ष 2023–24 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन

धनराशि रूपये में

क्र0सं0	जनपद का नाम	धनराशि
1	लखनऊ	1746000
2	कौशाम्बी	1746000
3	सीतापुर	1746000
4	उन्नाव	1746000
5	हरदोई	1746000
6	रायबरेली	1746000
7	झांसी	1746000
8	औरैया	1746000
9	जालौन	1746000
10	बाराबंकी	1746000
11	मिर्जापुर	1746000
12	लखीमपुर खीरी	1746000
13	चित्रकूट	1746000
14	कानपुर नगर	1746000
15	महोबा	1746000
16	इटावा	1746000
17	कानपुर देहात	1746000
18	अम्बेडकरनगर	1746000
19	आजमगढ़	1746000
20	सहारनपुर	1803000
21	फतेहपुर	1746000
22	बिजनौर	1803000
23	हाथरस	1746000
24	अमेठी	1746000
25	चन्दौली	1746000
26	मऊ	1746000
27	सोनभद्र	1746000
28	प्रयागराज	1746000
29	अयोध्या	1746000
30	भदोही	1746000
31	गोरखपुर	1746000
32	बुलन्दशहर	1746000
33	जौनपुर	1746000
34	प्रतापगढ़	1746000
35	अलीगढ़	1746000

36	बॉदा	1746000
37	संतकबीरनगर	1746000
38	हमीरपुर	1746000
39	आगरा	1746000
40	सुल्तानपुर	1746000
41	मथुरा	1746000
42	मेरठ	1803000
43	बस्ती	1746000
44	ललितपुर	1746000
45	गाजीपुर	1746000
46	मैनपुरी	1746000
47	फिरोजाबाद	1746000
48	शाहजहॉपुर	1746000
49	कन्नौज	1746000
50	अमरोहा	1803000
51	हापुड़	1746000
52	बदायूँ	1746000
53	कासगंज	1746000
54	महराजगंज	1803000
55	सम्भल	1746000
56	गाजियाबाद	1803000
57	पीलीभीत	1746000
58	श्रावस्ती	1746000
59	वाराणसी	1746000
60	फर्रूखाबाद	1746000
61	गौतमबुद्ध	1803000
62	मुजफ्फरनगर	1803000
63	मुरादाबाद	1746000
64	सिद्धार्थनगर	1803000
65	रामपुर	1803000
66	एटा	1746000
67	गोण्डा	1746000
68	बलिया	1746000
योग		**119298000**

(रू0 ग्यारह करोड़ बानबे लाख अठानबे हजार मात्र)

(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायतीराज उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-12/06/2023

प्रेषण संख्या:- 1-sha-18-2023-1-21-2023
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-21-2023
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
2	मुज़फ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
4	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
5	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
6	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
7	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
8	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
9	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
10	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
11	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
12	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000

			कार्य	
13	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
14	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
15	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
16	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
17	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
18	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
19	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
20	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
21	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
22	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
23	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
24	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
25	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
26	मिर्ज़ापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
27	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
28	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
29	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
30	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
31	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
32	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
33	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000

			कार्य	
34	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
35	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
36	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
37	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
38	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
39	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
40	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
41	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
42	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
43	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
44	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
45	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
46	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
47	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
48	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
49	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
50	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
51	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
52	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
53	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
54	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000

			कार्य	
55	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
56	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
57	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
58	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
59	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
60	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
61	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
62	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
63	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
64	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
65	कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
66	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
67	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
68	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
	योग	वर्तमान प्रगामी	119298000 119298000	119298000 119298000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ बानवे लाख अठानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ बानवे लाख अठानवे हजार

(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.06.19 03:14:11 +05:30

I/329[illegible]0/2023

संख्या- /2023/ /001-919-33-3-2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 01/06/ ~~मई~~, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या - 83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण(जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से रू. 1192.98 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/शा0/232/2023-5/28/2023 दिनांक 08.05.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1192.98 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बानबे लाख अठानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत एस.सी. एस.पी. हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायत भवन निर्माण के लिए संलग्न फाण्ट के अनुसार श्री राज्यपाल व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) आकडों की शुद्वता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा तथा स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय , स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होनें निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(9) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(12) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06- बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 व अन्य संगत शासनादेशों में प्रावधानित व्यवस्थान्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,92,98,000 (रुपये ग्यारह करोड़ बयान्वे लाख अट्ठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4515007890600 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/ दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: 01-06-2023 [illegible]:30:27
Reason: Approved

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- /2023/ /001-919-33-3-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरिजेश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	अनुदान संख्या-83 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि भूकम्परोधी रहित प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित प्रति पंचायत भवन रू0 18.03 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
1	2	3	5	6	7
1	लखनऊ	19	1	17.46	17.46
2	कौशाम्बी	19	1	17.46	17.46
3	सीतापुर	22	1	17.46	17.46
4	उन्नाव	23	1	17.46	17.46
5	हरदोई	15	1	17.46	17.46
6	रायबरेली	21	1	17.46	17.46
7	झांसी	16	1	17.46	17.46
8	औरैया	18	1	17.46	17.46
9	जालौन	15	1	17.46	17.46
10	बाराबंकी	20	1	17.46	17.46
11	मिर्जापुर	11	1	17.46	17.46
12	लखीमपुर खीरी	16	1	17.46	17.46
13	चित्रकूट	17	1	17.46	17.46

14	कानपुर नगर	11	1	17.46	17.46
15	महोबा	12	1	17.46	17.46
16	इटावा	16	1	17.46	17.46
17	कानपुर देहात	13	1	17.46	17.46
18	अम्बेडकरनगर	15	1	17.46	17.46
19	आजमगढ़	9	1	17.46	17.46
20	सहारनपुर	12	1	18.03	18.03
21	फतेहपुर	16	1	17.46	17.46
22	बिजनौर	8	1	18.03	18.03
23	हाथरस	14	1	17.46	17.46
24	अमेठी	15	1	17.46	17.46
25	चन्दौली	14	1	17.46	17.46
26	मऊ	11	1	17.46	17.46
27	सोनभद्र	14	1	17.46	17.46
28	प्रयागराज	15	1	17.46	17.46
29	अयोध्या	8	1	17.46	17.46
30	भदोही	17	1	17.46	17.46
31	गोरखपुर	14	1	17.46	17.46
32	बुलन्दशहर	13	1	17.46	17.46
33	जौनपुर	15	1	17.46	17.46
34	प्रतापगढ़	9	1	17.46	17.46
35	अलीगढ़	12	1	17.46	17.46
36	बाँदा	10	1	17.46	17.46
37	संतकबीर नगर	16	1	17.46	17.46
38	हमीरपुर	9	1	17.46	17.46
39	आगरा	10	1	17.46	17.46

40	सुल्तानपुर	10	1	17.46	17.46
41	मथुरा	8	1	17.46	17.46
42	मेरठ	9	1	18.03	18.03
43	बस्ती	14	1	17.46	17.46
44	ललितपुर	9	1	17.46	17.46
45	गाजीपुर	7	1	17.46	17.46
46	मैनपुरी	12	1	17.46	17.46
47	फिरोजाबाद	8	1	17.46	17.46
48	शाहजहाँपुर	10	1	17.46	17.46
49	कन्नौज	8	1	17.46	17.46
50	अमरोहा	9	1	18.03	18.03
51	हापुड़	9	1	17.46	17.46
52	बदायूँ	8	1	17.46	17.46
53	कासगंज	8	1	17.46	17.46
54	महराजगंज	8	1	18.03	18.03
55	सम्भल	6	1	17.46	17.46
56	गाजियाबाद	9	1	18.03	18.03
57	पीलीभीत	7	1	17.46	17.46
58	श्रावस्ती	7	1	17.46	17.46
59	वाराणसी	6	1	17.46	17.46
60	फर्रूखाबाद	8	1	17.46	17.46
61	गौतमबुद्धनगर	6	1	18.03	18.03
62	मुजफ्फरनगर	9	1	18.03	18.03
63	मुरादाबाद	7	1	17.46	17.46
64	सिद्धार्थनगर	8	1	18.03	18.03
65	रामपुर	5	1	18.03	18.03

66	एटा	7	1	17.46	17.46
67	गोण्डा	6	1	17.46	17.46
68	बलिया	7	1	17.46	17.46
योग			**68**		**1192.98**

रू. 1192.98 लाख (रू. ग्यारह करोड़ बानबे लाख अठानबे हजार मात्र)

(गिरिजेश कुमार)
उप सचिव।

I/325479/2023

संख्या- /2023/ /001-764-33-3-2023

प्रेषक,

अशोक कुमार राम,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू. 24360.00 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/428/2023-5 दिनांक 11.04.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित धनराशि रू. 24360.00 लाख (रू. दो अरब तैंतालीस करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राजय सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) धनराशि के आहरण एवं व्ययं के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की संभावित व्यय से अधिक धनराशि उपलब्ध न रहे।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो यह सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(6) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर/ सेस/चार्ज लिया जायेगा तथा संबंधित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा तथा प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बनिधत जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(10) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में परियोजना की लागत का पुनः पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित सहमति के क्रम में आंकलित लागत पर ही कार्य गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराया जायेगा।

(11) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(12) इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों /शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी

(14) जनपद स्तर पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों का अनुपालन निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,43,60,00,000 (रुपये दो अरब तैंतालीस करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 014 **लेखा शीर्षक** 4235608000300 ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by अशोक कुमार राम
Date: 01-06-2023 13:19:50
Reason: Approved

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव

संख्या- /2023/ /001-764-33-3-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत रू. 24360.00 लाख से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किए जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों से सम्बन्धित हेतु फांट

क्र0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	निर्मित किये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या योग
1	2	3	4
1	प्रयागराज	23	26
2	आजमगढ़	22	25
3	जौनपुर	21	24
4	गोरखपुर	20	23
5	सीतापुर	19	22
6	हरदोई	19	22
7	रायबरेली	18	21
8	प्रतापगढ़	17	20
9	बलिया	17	20
10	गाजीपुर	16	19
11	गोण्डा	16	19
12	देवरिया	16	19
13	बुलन्दशहर	16	19
14	उन्नाव	16	19
15	खीरी	15	18
16	बरेली	15	18
17	बाराबंकी	15	18
18	आगरा	15	18
19	बदायूँ	15	18
20	शाहजहाँपुर	15	18
21	कुशीनगर	14	17
22	बहराइच	14	17
23	सिद्धार्थनगर	14	17
24	बस्ती	14	17
25	सुलतानपुर	14	16
26	फतेहपुर	13	15

27	अमेठी	13	15
28	अलीगढ़	12	14
29	महराजगंज	12	14
30	मिर्जापुर	12	14
31	मेरठ	12	14
32	बिजनौर	11	13
33	सहारनपुर	11	13
34	अयोध्या	11	13
35	मथुरा	10	12
36	सोनभद्र	10	12
37	कानपुर देहात	10	12
38	कानपुर नगर	10	12
39	मुजफ्फरनगर	9	11
40	अम्बेडकरनगर	9	11
41	बलरामपुर	9	11
42	चन्दौली	9	11
43	मऊ	9	11
44	फिरोजाबाद	9	11
45	संतकबीरनगर	9	11
46	मैनपुरी	9	11
47	जालौन	9	11
48	वाराणसी	8	10
49	मुरादाबाद	8	10
50	सम्भल	8	10
51	लखनऊ	8	10
52	बांदा	8	10
53	एटा	8	10
54	कौशाम्बी	8	10
55	कन्नौज	8	10
56	इटावा	8	10
57	झांसी	8	10
58	पीलीभीत	7	9
59	फर्रूखाबाद	7	9
60	हाथरस	7	9
61	औरैया	7	9
62	कासगंज	7	9

63	हमीरपुर	7	9
64	रामपुर	6	8
65	अमरोहा	6	8
66	सं०र०नगर	6	8
67	ललितपुर	6	8
68	बागपत	6	8
69	श्रावस्ती	5	7
70	शामली	5	7
71	चित्रकूट	5	7
72	हापुड	4	6
73	गाजियाबाद	4	6
74	महोबा	4	6
75	गौतमबुद्धनगर	3	5
	योग-	826	1000

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

5/ध्यान/703/2016

2681
31-5-2016

संख्या-1075/33-3-2016-182/2013

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 मई, 2016

विषय:- बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ ग्राम पंचायत सचिवालय का आगणन प्रस्ताव एवं नक्शे का मानकीकरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/1805/2015-5/155/2015 दिनांक 18.08.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के अनुसार मूल्यांकन करते हुए बहुउद्देशीय पंचायत भवन की प्रस्तावित लागत रू0 19.25 लाख के सापेक्ष भूकम्परोधी सहित रू0 18.03 लाख एवं भूकम्परोधी रहित रू0 17.46 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह स्वीकृति निम्नलिखित निर्देशों के अधीन प्रदान की गयी है:-

1- प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षमलोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4- मुख्य वास्तुविद के पत्रांक संख्या-77 एस.ए.-3/52एस.ए.-3/15 दिनांक 11.03.2016 एंव मुख्य अभियन्ता(भवन), लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 के पत्र संख्या-6840/38 बी.पी. विंग/2016 दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तों का अनुपालन निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

675

निदेशक (पं0)(श्रो0नि0)
1. circulate.

निदेशक
31/5/16

(एस0 पी0)
उपनिदेशक (पंचायत)
पंचायती राज, उ0प्र0

सत्य प्रकाश
31/5/2016

Scanned with CamScanner

5– प्रायोजना में भूकम्परोधी उपचार हेतु प्राविधानित धनराशि जोन–4 एवं जोन–5 में आने वाले जनपदों के प्रायोजना प्रस्तावों हेतु ही अनुमन्य किया जाय।

6– सन्दर्भित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ. आर. पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

7– इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्ही प्रायोजना हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

अतः संशोधित लागत का संलग्नक–1 एवं संलग्नक–2 संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आधार पर बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु सभी संबंधित को निर्देश निर्गत करनें का कष्ट करें, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–1

बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना (भूकम्परोधी सहित) का संशोधित लागत विश्लेषण

(लागत रू0 लाख में)

क्र0 स0	मद विवरण	इकाई	प्रस्तावित लागत			व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत		
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत
अ	पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय		वर्ष 2014 की दरों पर			वर्ष 2015 की दरों पर		
1	भूतल–भवन	व0मी0	125.34	7700.00	9.65	125.34	8000.00	10.03
2	भूतल–शौचालय	व0मी0	17.67	7700.00	1.36	17.67	8000.00	1.41
	योग		143.01		11.01	143.01		11.44
2	दीमकरोधी उपचार	व0मी0	143.01	230	0.33	143.01	230	0.33
3	भूकम्परोधी उपचार	व0मी0	143.01	400.00	0.57	143.01	400.00	0.57
4	आंतरिक विद्युतीकरण	रू0 लाख	11.01	12.5%	1.38	11.44	12.5%	1.43
5	सोलर लाइट			L.S.	0.30		L.S.	0.30
6	इण्डिया मार्का–।। हैण्ड पम्प			L.S.	0.40		L.S.	0.40
7	बाउण्ड्रीवाल	र0मी0	72.67	1500.00	1.09	72.67	1500.00	1.09
8	मेन गेट			L.S.	0.20		L.S.	0.20
9	आन्तरिक जलापूर्ति एवं मल निस्तारण	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
10	वाह्य जल आपूर्ति एवं मल निस्तारण	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
11	वाह्य स्थल विकास	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
12	आन्तरिक स्थल सुधार	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
	योग				17.48			18.04
13	आकस्मिक व्यय		17.48	2.0%	0.36			
14	लेबर सेस	रू0 लाख	17.48	1.0%	0.18			
	योग				18.01			18.03
15	5 प्रतिशत की कमी	रू0 लाख	18.01	-5%	-0.90			
	योग				17.11			18.03
16	सेन्टेज चार्जेज	रू0 लाख	17.110	12.5%	2.14			
17	लेबर सेस	रू0 लाख						
	प्रायोजना की कुल लागत				19.25			18.03

Scanned with CamScanner

संलग्नक–2

बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना (भूकम्परोधी रहित) का संशोधित लागत विश्लेषण

(लागत रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद विवरण	इकाई	प्रस्तावित लागत			व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत		
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत
अ	पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय	-	वर्ष 2014 की दरों पर			वर्ष 2015 की दरों पर		
1	भूतल–भवन	व0मी0	125.34	7700.00	9.65	125.34	8000.00	10.03
2	भूतल–शौचालय	व0मी0	17.67	7700.00	1.36	17.67	8000.00	1.41
	योग		143.01		11.01	143.01		11.44
2	दीमकरोधी उपचार	व0मी0	143.01	230	0.33	143.01	230	0.33
3	भूकम्परोधी उपचार	व0मी0	143.01	400.00	0.57			
4	आंतरिक विद्युतीकरण	रू0 लाख	11.01	12.5%	1.38	11.44	12.5%	1.43
5	सोलर लाइट			L.S.	0.30		L.S.	0.30
6	इण्डिया मार्का–।। हैण्ड पम्प			L.S.	0.40		L.S.	0.40
7	बाउण्ड्रीवाल	र0मी0	72.67	1500.00	1.09	72.67	1500.00	1.09
8	मेन गेट			L.S.	0.20		L.S.	0.20
9	आन्तरिक जलापूर्ति एवं मल निस्तारण	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
10	वाह्य जल आपूर्ति एवं मल निस्तारण	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
11	वाह्य स्थल विकास	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
12	आन्तरिक स्थल सुधार	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
	योग				17.48			17.47
13	आकस्मिक व्यय		17.48	2.0%	0.36			
14	लेबर सेस	रू0 लाख	17.48	1.0%	0.18			
	योग				18.01			17.46
15	5 प्रतिशत की कमी	रू0 लाख	18.01	-5%	-0.90			
	योग				17.11			17.46
16	सेन्टेज चार्जेज	रू0 लाख	17.110	12.5%	2.14			
17	लेबर सेस	रू0 लाख						
	प्रायोजना की कुल लागत				19.25			17.46

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0
लो0नि0वि0, लखनऊ
(भवन वर्ग)

पत्रांकः 6844/38बी0पी0विंग/2016, दिनांकः 22/3/2016

सेवा में,

विशेष सचिव,
लोक निर्माण अनुभाग–5
उ0प्र0शासन, लखनऊ ।

विषयः बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय का आगपान प्रस्ताव एवं नक्शे के मानकीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः शासन का पत्र सं0–171ईजी/23–5–16–81ईजी/12 दिनांक 22.02.2016 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दि0 22.02.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें जोकि बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय का आगणन प्रस्ताव एवं नक्शे के मानकीकरण के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परीक्षणोपरान्त इस कार्यालय के ज्येष्ठ वास्तुविद् तृतीय इकाई लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–77एस0ए0–3/52एस0ए0–3/15 दिनांक 11.03.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिबन्धों सहित अनुमोदित स्क्रेच मानचित्रों का एक सेट मूल में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।
मानचित्रों का एक सेट मूल में।

भवदीय

(जे0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता(भवन)

पत्रांक/38बी0पी0विंग/2016, दिनांकः

प्रतिलिपिः उपसचिव, पंचायती राज्य अनुभाग–3, उ0प्र0शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता (भवन)

Scanned with CamScanner

-9- 3E BP Wing

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0,
ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई।

पत्रांक: 77 SA-3/52 SA-3/15

दिनांक: 11-3-16

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(भवन),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

विषयः—बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय का आगणन प्रस्ताव ए
नक्शे का मानकीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः—मुख्य वास्तुविद को सम्बोधित अधीक्षण अभियन्ता, दशम् वृत्त (भवन) द
पत्रांकः—516G/38बी0पी0विंग/16, दिनांक 04.03.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उक्त सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे
संदर्भित पत्र के साथ विषयांकित प्रकरण के स्केच मानचित्र संलग्न करके प्रेषित किये गये
जिन्हे अनुमोदित/मानकीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है
अवगत हो कि मानचित्रों के परीक्षण हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा स्वीकृ
आवश्यकताओं/कक्षों के एरिया आदि की कोई सूची संलग्न नही है, जिसके आधार प
मानचित्रों का परीक्षण किया जा सके। उक्त प्रेषित मानचित्रों पर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र
तथा उपनिदेशक पंचायती राज, उ0प्र0 के हस्ताक्षर है। अतः मानचित्रों में दी गः
आवश्यकताओं/एरिया से प्रशासकीय विभाग की उक्त सहमति के दृष्टिगत इन मानचित्रों क
परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रेषित मानचित्रों क
मानकीकरण की कार्यवाही हेतु अनुमोदित किया जाता हैः—

1. प्रस्तावित भवन की नियमानुसार स्ट्रक्चरल डिजायन एवं शासनादेश के अनुसा
भूकम्परोधी प्राविधान करना होगा।
2. प्रस्तावित भवन में NBC—2005 में वर्णित नार्म्स एवं अग्निशमन आदि के प्रावधान करने
होगें।
3. प्रस्तावित भवन को disabled friendly बनाते हुए ramp आदि का प्रावधान करना होगा।
4. प्रस्तावित भवन में नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान करना होगा।
5. दोनो Toilets में W.C. का साइज 1000 X 900 दर्शाया गया है, इसे 1200 X 900 किया
जाना होगा एवं gents toilets में Urinals का भी प्रावधान करना होगा। उपरोक्तानुसार
यथावश्यक toilets का area बढ़ाया जाना होगा। लेडीज टॉयलेट में W.C. के ventilator
दूसरे की भूमि में खोले गये है, जिन्हे परिसर में ही खोला जाना होगा।
6. पंचायत भवन परिसर में कार्मिकों एवं आगन्तुको के वाहनों की पार्किंग की कोई व्यवस्था
नही दर्शायी गई है। उक्त हेतु प्रशासकीय विभाग की सहमति से यथावश्यक प्रस्तावित
भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना होगा।

उपरोक्तानुसार प्रतिबन्धों सहित अनुमोदित स्केच मानचित्रों के दो सैट अग्रेतर आवश्यक
कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न करके आपको प्रेषित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वी0के0 टण्डन) 11/3/16
ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. उप सचिव, लोक निर्माण अनुभाग—5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. उप सचिव, पंचायती राज्य अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई
लो0नि0वि0, लखनऊ।

F:\data\Unit_3\Unit_3.doc

Scanned with CamScanner

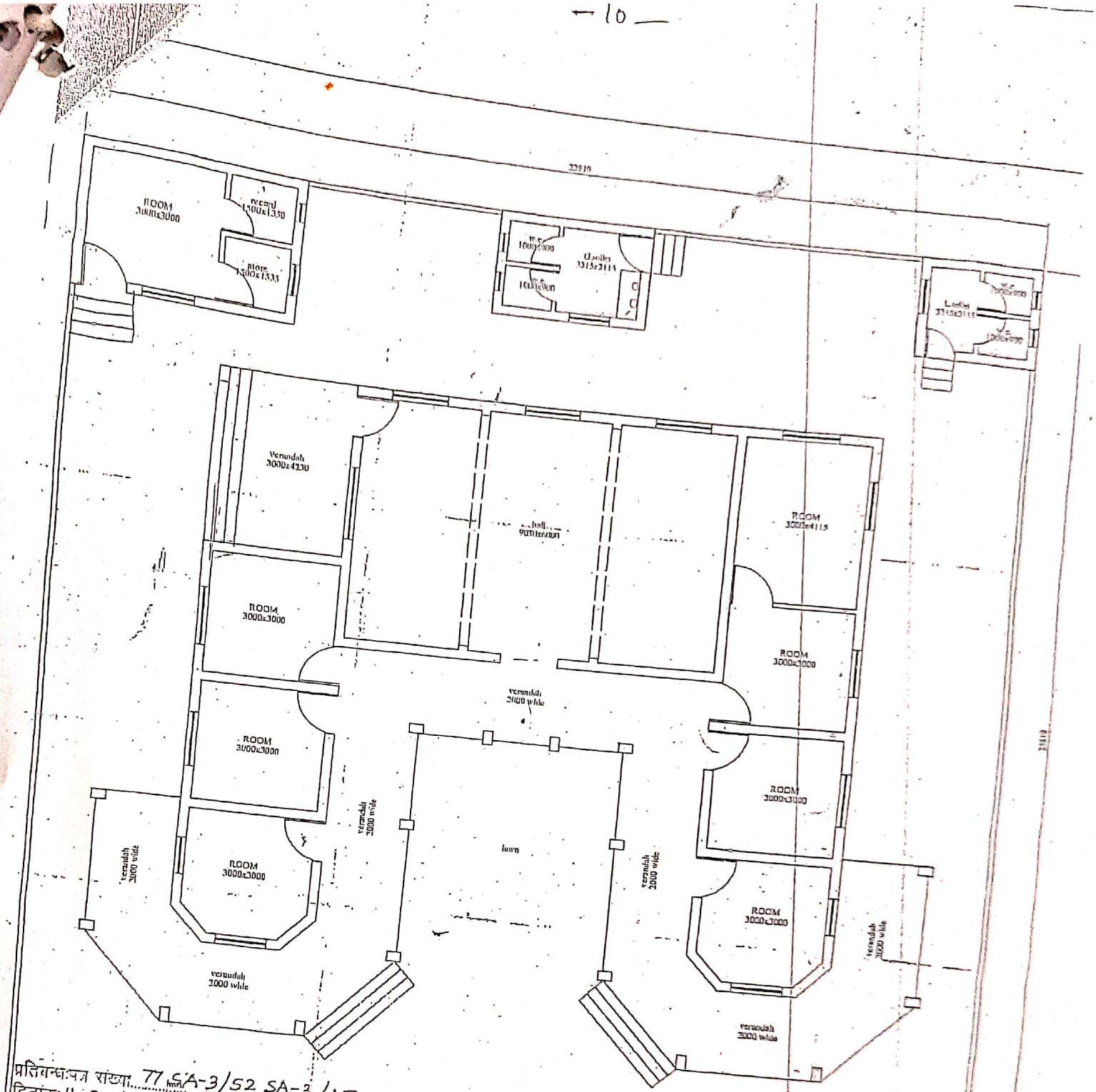

प्रतिबन्धपत्र संख्या 77 SA-3/52 SA-3/15
दिनांक 11-3-16 में वर्णित शर्तों
के अधीन मानचित्र अनुमोदित ।

PROPOSED SACHIWALIYA GRAM PANCHAYAT BHAWAN

11/3/16
(विनय कुमार टण्डन)
मुख्य वास्तुविद
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लो0नि0वि0 लखनऊ

(एस0 एन0 सिंह)
उप निदेशक (पं0)
पंचायतीराज उ0प्र0।

(रामवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0 प्र0

J.E.
R.E.D.

A.E.
R.E.D.

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण वि
लखनऊ

(रवि प्रकाश पांडे)
वास्तुविद
उ0प्र0,लोक निर्माण विभाग
लखनऊ

संख्या–1007/33–3–2016–100(21)/2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2016

विषयः– प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/1230/2016–5/53/2016 दिनांक 11.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के अनुसार मूल्यांकन करते हुए अन्त्येष्टि स्थलों की प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख के सापेक्ष रू0 24.36 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह स्वीकृति निम्नलिखित निर्देशों के अधीन प्रदान की गयी हैः–

1– प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

2– प्रायोजना स्थल के अनुसार, यदि आवश्यक हो, नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

4– मुख्य अभियन्ता (भवन),लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश के पत्रांक–3487 जी/71(1)बी.पी.–विंग/2014 दिनांक 10.11.2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्ही प्रायोजनाओं हेतु प्रदान किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

6— प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

अतः संशोधित लागत का संलग्नक संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आधार पर अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु सभी संबंधित को निर्देश निर्गत करनें का कष्ट करें, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

गोपनीय

(केवल व्यय वित्त समिति उपयोगार्थ)

मानकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव/आगणन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन

(प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख)

कार्यदायी संस्था–पंचायती राज विभाग

मूल्यांकन टिप्पणी

1.0–प्रायोजना प्रस्ताव

1.1– पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किया गया है।

1.2– प्रश्नगत प्रायोजना का मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 02–12–2014 (बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक–1) में प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित मानकीकृत लागत रू0 15.14 लाख के सापेक्ष रू0 14.87 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया था। पुनः प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 11–8–2015 में पर्यावरणीय क्लियरेन्स हेतु प्रस्तुत किया गया था। (बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक–2) समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 02–12–2014 में प्रायोजना के अनुमोदन के समय दिये गये निर्देश संख्या–2 में संशोधन करते हुए यह अपेक्षा की गई कि स्थल की आवश्यकतानुसार यदि आवश्यक हो, तो प्रशासकीय विभाग नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लेंगे। प्रायोजना हेतु शेष शर्ते यथावत् रहेगी, निर्देश दिये गये थे। प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में मानकीकृत लागत में लकड़ी स्टोर व अंत्येष्टि स्थल पर आन्तरिक इण्टर लॉकिंग की लागत सम्मिलित नहीं थी, जिसे सम्मिलित करते हुए संशोधित मानकीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

1.3– संदर्भित प्रस्ताव/आगणन के मानचित्र एवं कुर्सी क्षेत्रफल मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग लखनऊ एवं तदनुसार गठित प्रस्ताव/आगणन मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक 3487जी/71(1) बी0पी0–विंग/2014 दिनॉक 10–11–2014 (संलग्नक–3) उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा लकड़ी के स्टोर एवं अत्येष्टि स्थल पर इण्टर लॉकिंग टाइल्स का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से कराये जाने का निर्देश दिये गये है।

1.4— प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन उप, निदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है, निदेशक, पंचायतराज, उ0प्र0 द्वारा संस्तुत है तथा प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित है।

2.0— आवश्यकता एवं औचित्य

प्रायोजना प्रतिवेदन के प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तेष्टि स्थल के विकसितीकरण के लिए प्रस्ताव का गठन किया गया है।

3.0— प्रायोजना प्राविधान

क0सं0	कार्यमद	इकाई	मानकीकृत स्वीकृत मात्रा	मानकीकृत हेतु प्रस्तावित मात्रा
1	कुल क्षेत्रफल	व0मी0	158.79	158.79
2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	न0	1.00	1.00
3	हार्टीकचर एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	0
4	शवदाह का प्लेट फार्म	न0	2.00	0
5	रोड कनेक्टविटी इण्टर लांकिंग टाइल्स के साथ	व0मी0	0	200.00
6	वुड स्टोर	व0मी0	0	54.00
7	आन्तरिक इण्टर लांकिंग टाइल्स	व0मी0	0	693.12

4.0— दरें :—

प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग की दिनॉक 15—09—2015 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। तद्नुसार प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का परीक्षण किया गया है।

5.0— लागत विश्लेषण:—

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:—

(लागत रू0 लाख में)

क0 सं0	मद विवरण	इकाई	पूर्व मानकीकृत लागत			पुनरीक्षित मानकीकृत प्रस्तावित लागत			पुनरीक्षित मानकीकृत आंकलित लागत		
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत
A	सिविल कार्य		वर्ष 2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर			वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर			वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर		
1	कुल क्षेत्रफल	व0मी0	158.79	7700.00	12.23	158.79	8000.00	12.70	158.79	8000.00	12.70

2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	नo	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00
3	लैंडीस्केपिंग एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	10000.00	0.10			0.00			0.00
4	शवदाह का प्लेट फार्म	नo	2.00	10000.00	0.20			0.00			0.00
5	रोड कनेक्टविटी इण्टर लांकिंग टाइल्स के साथ	मी0				200.00		10.30	200.00	विचरणानुसार	9.95
6	वुड स्टोर					54.00	8000.00	4.32	ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से यह कार्य कराया जायेगा।		
7	आन्तरिक इण्टर लांकिंग टाइल्स					693.12	869.36	6.03			
	योग				13.52			34.35			23.65
8	आकस्मिक व्यय	लाख रू0	13.52	2%	0.27			0.00	23.65	2%	0.47
	योग				13.79			34.35			24.12
9	5 प्रतिशत की कमी	लाख रू0	13.79	-5%	-0.69			0.00			0.00
	योग				13.10			34.35			24.12
10	सेन्टेज चार्जेज	लाख रू0	13.10	12.50%	1.64			0.00			0.00
11	लेबर सेंस	लाख रू0	13.10	1.0%	0.13			0.00	24.12	1%	0.24
	प्रायोजना की कुल लागत				14.87			34.35			24.36

6.0—प्रभाग की टिप्पणी

1— पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। परीक्षणोपरान्त प्रस्तावित मानकीकृत लागत रू0 34.35 लाख सापेक्ष लागत रू0 24.36 लाख आंकलित की गई है।

1— प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

2— प्रायोजना स्थल के अनुसार यदि आवश्यक हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3— प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

4— मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक 3487जी/71(1) बी0पी0—विंग/2014 दिनॉक 10—11—2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5— प्रशासकीय विभाग द्वारा इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

6— प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

7— प्रशासकीय विभाग द्वारा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जाय।

++++++++++++++++++++

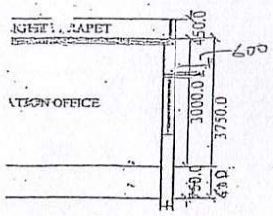

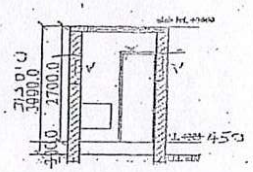

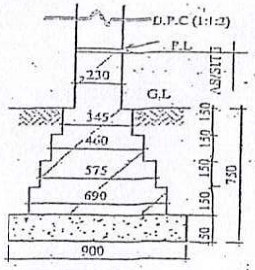

प्रतिबन्धपत्र संख्या 350 SA-3/56 SA-3/14 दिनांक 7-11-14 में वर्णित शर्तों के अधीन मानचित्र अनुमोदित

PROPOSED DRAWING FOR RURAL AREAS INCRIMATION PLACE

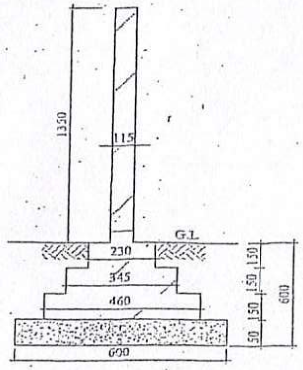

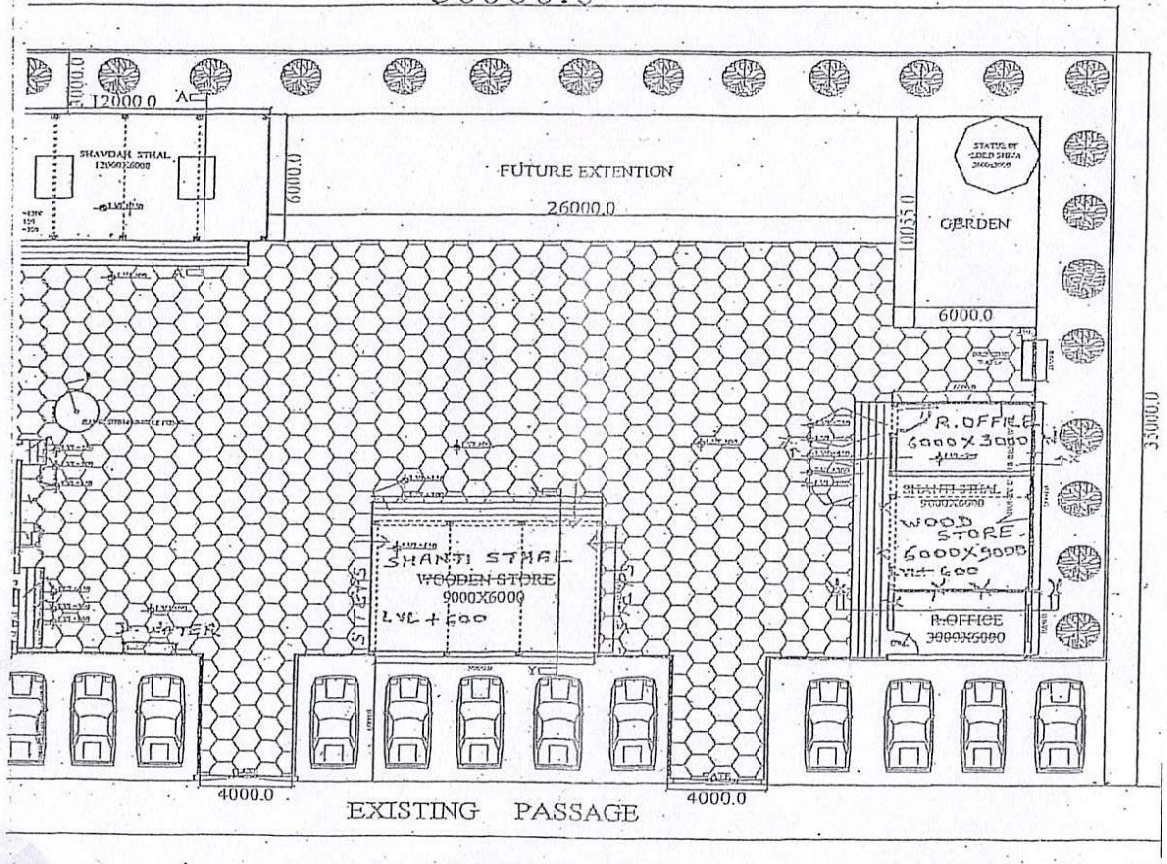

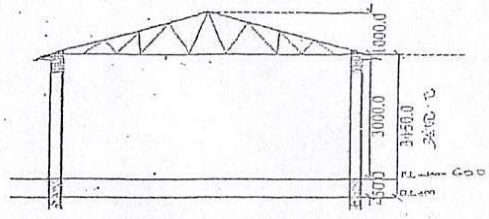

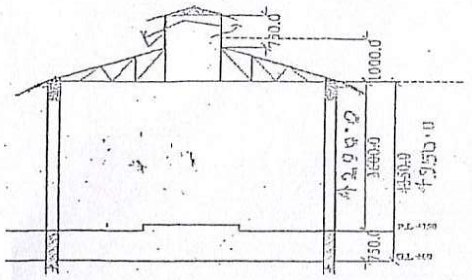

(रवि प्रकाश पांडे)
वास्तुविद
उ०प्र०,लोक निर्माण विभाग
लखनऊ

7/11/14
(विनय कुमार [illegible])
मुख्य वास्तुविद (सि०)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो०नि०वि०, लखनऊ

DOOR / WINDOW SCHEDULE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	±00
2	D1	1000X2100	±00
3	D2	900X2100	±00
4	D3	750X2100	±00
5	DW	2000X2100	750
6	W	1800X1500	750
7	W1	1500X1500	1050
8	W2	1200X1500	1050
9	W3	370X1500	750
10	V1	600X1050	1800

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA = 1750 SQ.M.
PRO.COV.AREA ON PLAN=227.410 SQ.M
PRO.INTRELOCKING AREA=693.120SQ.M
OPEN GREEN AREA = 829.470 SQ.M.
TOTAL BOUNDARY LENGHT = 185 MT.
BOUNDARY HEIGHT = 1.80 MT.

DRG.TITLE	SCALE-
SUBMISSION DRGWING	AS SHOWN
	NORTH:

K. KUMAR J.E
A. K. VERMA J.E
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण [illegible]
अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
[illegible]-लखनऊ
निदेशक पंचायती राज
उत्तर प्रदेश
ARCHITECT

संख्या-2 / 2105 /33-3-2014-100(21) / 2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुखसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक: 02 सितम्बर 2014

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास के संबंध में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्येष्टि स्थलों के नागरिक अवस्थापना सुविधाये उपलब्ध कराने के उद्येशय से शासन द्वार अंत्येष्टि स्थलों का विकास का निर्णय लिया गया है जिसके संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना निम्नानुसार है:-

1. उददेश्य

(1) शव की अंत्येष्टि हेतु उचित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाना।

(2) अंत्येष्टि स्थल में शव के साथ उपस्थित जनों को मूलभूत सुविधाएं यथा- पेयजल एवं शौच की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

(3) शवदाह हेतु लकडियों की उचित व सुलभ व्यवस्था हेतु लकडी का टाल स्थापित किया जाना।

(4) इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जाय कि यह प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के प्रयोग किया जा सके।

(5) अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को सक्षम किया जाना।

2. कार्यक्रम का क्रियान्वयन

कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज निदेशालय व उसके नियंत्रणाधीन जिला पंचायत राज अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कार्य ऐसी ग्राम पंचायत जिसके भौगोलिक क्षेत्र में संबंधित अंत्येष्टि स्थल स्थापित है, द्वारा किया जायेगा। इस हेतु शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित/संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

3. संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य के लिए तकनीकी सहायता जिला पंचायत के तकनीकी स्टाफ, विकास स्तर पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा लघु सिंचाई एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला स्तर पर तैनात सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. प्रत्येक चयनित अंत्येष्टि स्थल में निम्नलिखित अवस्थापना सुविधायें निर्मित /व्यवस्थित की जायेगी:-

- अंत्येष्टि स्थल शेड (12मीटर X 05 मीटर) (दो शवदाह हेतु) -1
- लोगों के बैठने के लिए शान्ती स्थल (08 मीटर X 06 मीटर) -1
- लकडी भण्डार गृह (04 मीटर X 04 मीटर) -1
- शौचालय एवं स्थान घर (4.5 मीटर X 1.5 मीटर) -1
- शवदाह स्थल पर इण्टर लाकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।
- स्थान हेतु चबूतरा निर्माण (03 मीटर X 1.2 मीटर) -1
- हैण्डपम्प की व्यवस्था एवं जल निकासी इत्यादि।

5- चूँकि उक्त अवस्थापना सुविधायें ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी एवं ग्राम पंचायत द्वारा ही उनका निर्माण/ विकास किया जायेगा, अत: निर्माण होने के पश्चात आगामी वर्षो में अनुरक्षण पर व्यय ग्राम पंचायत द्वारा 13वॉ वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त धनराशि /स्वयं के स्रोतों से आय से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थल प्रयोग करने वाली अन्य ग्राम पंचायतों द्वाराभी संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से उपर्युक्त योजनाओं से अनुरक्षण पर धनराशि व्यय की जा सकेगी।

6. जनपदों में अंत्येष्टि स्थल का चयन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा:-

6.1 प्रत्येक जनपद में ऐसे अंत्येष्टि स्थलों का वरीयता क्रम में चयन किया जाय जहां अधिकतम शवों का दाह किया जाता है।

http://shasanadesh.up.nic

6.2 प्रत्येक विकास खण्ड में अधिकतम प्रयोग की वरीयता क्रम में अंत्येष्टि स्थलों का चिन्हांकन ग्राम पंचायत सचिव की सहायता से संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किया जायेगा। उक्त चिन्हांकन में अंत्येष्टि स्थल में प्रति वर्ष अंत्येष्टि किये गये शवों की संख्या, उपलब्ध भूमि के ग्राम सभा/सार्वजनिक स्वामित्व में होने, उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल, अंकित सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान आदि का उल्लेख किया जायेगा।

6.3 अंत्येष्टि स्थल नदियों के किनारे अथवा अन्य सुरक्षित स्थलों पर बनाए जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार स्थलों का चयन किया जायेगा।

6.4 अंत्येष्टि स्थलों का अंतिम चयन जनपद स्तर पर गठित निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक/सदस्य

7. प्रदेश के सभी जनपदों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत सभी विकास खण्डों को बराबर संख्या में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि प्रदान की जायेगी।

8. अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य दिशा-निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, जिसकी गुणवत्ता संबंधित जनपद में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9. मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुसार संक्षिप्त विवरण अंत्येष्टि स्थल से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा रखा जायेगा।

10. अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु शासन द्वार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित /संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

11. संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निदशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यपूर्ति एवं धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी संपूर्ण जनपद के पंचायतों को दी गयी धनराशि का स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. उक्त् निर्माण का अनुश्रवण निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

13. जिला पंचायत से प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल के निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, तत्पश्चात अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु लागत के आकलन के अनुसार संबंधित जनपदों हेतु अंत्येष्टि स्थलों के लिए धनराशि शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज,उ0प्र0 के निवर्तन पर रखने हेतु निर्गत की जायेगी।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उत्तर प्रदेश।
6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायतीराज, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5/605/2023–5/26/2023 लखनऊ दिनांक 25 मई, 2023

विषयः–मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022–23 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या–I/320141/2023–33–3099/38/2023–3 दिनांक 19 मई, 2023 का (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों को वर्ष 2023–24 में पुरस्कृत किया जाना है।

शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार 01 जून, 2023 से 10 अगस्त, 2023 तक ग्राम पंचायतों द्वारा www.hamaripanchayat.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक विकास खण्ड से 15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। अतएव कृपया शासनादेश में निहित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक।

संख्याः–5/605/1/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

(योगेन्द्र कटियार)
उप निदेशक(पं0)।

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।

पंचायती राज,अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 19 मई, 2023

विषयः– मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022–23 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–81/2017/2170/33–3–2017–212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजनान्तर्गत पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन "हमारी पंचायत पोर्टल " (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर दिनांक 01 जून, 2023 से प्राप्त किया जाना है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार" वित्तीय वर्ष 2023–24 में निम्नवत् उल्लिखित दिशा–निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा शासनादेश संख्या–1033/33–3–2022–345/2016 टी.सी.–1, दिनांक 27 मई, 2022 में वर्णित 09 विषयों (थीम) पर किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जाये :–

1– योजना का उद्देश्य :–

- पंचायतों को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं जनसामान्य के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पुरस्कृत पंचायतों के कार्यों को आदर्श मानकर अन्य ग्राम पंचायतें भी इन पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर स्वयं की प्रेरणा स्त्रोत के रूप में कार्य करेगीं।
- पंचायतों को पूर्व निर्धारित शासकीय अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रतिस्पर्धा जाग्रत कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।
- ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

2– सामान्य निर्देश :–

- ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2022–23 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर निर्धारित प्रश्नावलियों को ऑनलाइन " हमारी पंचायत पोर्टल " के माध्यम से स्वमूल्यांकन कर दिनांक 10 अगस्त, 2023 तक जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति हेतु फ्रीज किया जाना होगा।
- योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया जायेगा, जिनकी अनुशंसा के आधार पर योजना को निष्पादित किया जायेगा। समितियों का स्वरूप एवं दायित्व निम्नवत उल्लिखित प्रस्तर–4 पर वर्णित है–
  1– राज्य स्तरीय समिति "राज्य पर फारमेंस असेसमेंट समिति" (**SPAC**)–कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।
  2– जनपद स्तरीय समिति "जनपद परफारमेंस असेसमेंट समिति" (**DPAC**)– जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।

- योजनान्तर्गत निम्नवत उल्लिखित प्रस्तर–3 में प्रदत्त विषयों/क्षेत्रों के आधार पर 100 अंकों की प्रश्नावली जारी करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज अधिकृत होगें, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जायेगा।
- जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा आवेदित पंचायतों द्वारा प्रश्नावली में दर्शायी गयी सूचनाओं के स्थलीय सत्यापनोपरान्त समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली चयनित 05 ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची पर अनुमोदन एवं संस्तुति प्रदान कर सॉफ्ट वेयर (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर अंकित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद स्तरीय समिति को होगी।
- जनपदों से प्राप्त ग्राम पंचायतों की संस्तुति के आधार पर राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से पंचायतों के अंकों का अवरोही क्रम में निर्धारित कर ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद स्तर से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम संख्या एवं पुरस्कार धनराशि शासन द्वारा प्राविधानित बजट व्यवस्था अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- प्रत्येक विकास खण्ड की कम से कम 15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा योजनान्तर्गत हमारी पंचायत पोर्टल (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक जनपद के एक विकास खण्ड से 02 ग्राम पंचायतों से अधिक ग्राम पंचायतों को राज्य पर फारमेन्स असेसमेन्ट समिति को ऑनलाइन अग्रसारित नहीं किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जो कि विगत 02 वर्षो से लगातार पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, वे इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगी। इस निमित्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा ऐसी पंचायतों को सॉफ्टवेयर पर अंकित नहीं किया जायेगा।
- चयनित ग्राम पंचायतों के प्रश्नवार साक्ष्य सहित समस्त मूल अभिलेखों की प्रमाणित प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी, जिससे उच्च स्तर पर आवश्यकतानुसार इन पंचायतों के अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करायी जा सके।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- हमारी पंचायत पोर्टल (www.hamaripanchayat.up.gov.in)पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तरीय समिति (**DPAC**) के यूजर आई डी और पासवर्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी के ई मेल आई डी पर पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

3– योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु शासनादेश संख्या–1033/33–3–2022–345/2016टी.सी.–1, दिनांक 27 मई, 2022 में वर्णित 09 विषय/क्षेत्र एवं अधिमानः–

क्र0सं0	क्षेत्र	कुल 100 अंक
01	थीम–01 गरीबी मुक्त गॉव	10 अंक
02	थीम–02 स्वस्थ गॉव	10 अंक
03	थीम–03 बाल मैत्री गॉव	10 अंक
04	थीम–04 पर्याप्त जल युक्त गॉव	10 अंक
05	थीम–05 स्वच्छ एवं हरित गॉव	10 अंक
06	थीम–06 आत्म निर्भर बुनियादी ढ़ाँचे वाला गॉव	10 अंक

07	थीम–07 सामाजिक रूप से सुरक्षित गॉव	10 अंक
08	थीम–08 सुशासन वाला गॉव	20 अंक
09	थीम–09 महिला हितैषी गॉव	10 अंक

योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

4– समितियों का गठन एवं दायित्वः–

जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC):–

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	जिलाधिकारी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य

जनपद पर फारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC) के दायित्वः–

01– जनपद की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के चयन हेतु रणनीति तैयार करना।

02– ग्राम पंचायतों द्वारा ऑन–लाइन भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर फ्रीज करना।

03– ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु टीम का गठन कर स्थलीय सत्यापन कराना।

04– स्थलीय सत्यापन के पश्चात् निश्चित समयावधि में ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति को उपलब्ध कराना।

05– सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को यूजर आई डी और पासवर्ड उपलब्ध कराना।

06– ऑन–लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत के सचिव, प्रधान व पंचायत सहायक का जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ऑन लाइन/ऑफ लाइन प्रशिक्षण आयोजित कराना।

07– जनपद स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना एवं प्रश्नावली में वर्णित प्रश्नों का विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत सचिवालयों पर वॉल पेंटिंग करायी जाये एवं अधिक से अधिक पंचायतों का योजनान्तर्गत प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

08– पुरस्कार धनराशि प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों से उपभोग प्रमाण–पत्र पंचायतीराज निदेशालय को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना।

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC)–

क्र. सं.	पदनाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
8	विशेष सचिव, अनुभाग–1/2/3, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
9	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य सचिव
11	निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
12	अपर निदेशक/संयुक्त सचिव/उप निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य संयोजक

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC)के दायित्वः–

01– योजनान्तर्गत बजट व्यवस्थानुसार कुल पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या एवं पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेना।

02– पुरस्कार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार करना।

03– जनपद स्तरीय समितियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को अवरोही क्रम में तैयार कर पुरस्कार दिये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

04– पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को विभागीय वेब–साइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना।

05– राज्य/मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की समय–सारिणी एवं बजट का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।

06– पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रयासों का अभिलेखीकरण एवं मुद्रण कराना।

07– प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के व्यय संबंधी निर्णय लेना।

08– योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के मदवार बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना।

09– योजना संबंधी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु समिति अधिकृत होगी।

05– ग्राम पंचायतों के आवेदन तथा चयन प्रक्रिया :–

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं निर्धारित प्रश्नावली पर ऑन लाइन मूल्यांकन कर निश्चित समय सीमा में अंकन कर पुरस्कार हेतु आवेदन किया जायेगा। जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (**DPAC**) ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें ऑन लाइन फ्रीज करेगी। जनपद स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या से न्यूनतम दो गुना ग्राम पंचायतों का अंको के अवरोही क्रम में चयन करेगी।

जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। ग्राम पंचायतों के सत्यापन हेतु दिशा–निर्देश निदेशक पंचायतीराज द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे। सत्यापन दल स्थलीय सत्यापनोपरान्त रिर्पोट जनपद स्तरीय समिति को ऑन लाइन प्रस्तुत करेगी तथा तद्नुसार सर्वाधिक अंकवाली ग्राम पंचायतों (DPAC द्वारा निर्धारित पुरस्कृत की जाने वाली प्रत्येक जनपद से 05 ग्राम पंचायतें) की अंतिम सूची पुरस्कार हेतु राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति को ऑन लाईन अग्रसारित किया जायेगा।

इस प्रकार जनपदों से प्राप्त चयनित ग्राम पंचायतों की सूची निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 द्वारा अवरोही क्रम में तैयार कर SPAC के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPAC) द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची जारी की जायेगी। SPAC का निर्णय अन्तिम होगा, जिसके उपरान्त कोई दावा मान्य न होगा।

उक्त समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संलग्न समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6– बजट व्यवस्था

पुरस्कार मद में बजट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की जायेगी, जिसको विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु राज्य परफासमेन्स असेसमेन्ट समिति (**SPAC**) अधिकृत होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति (**SPAC**) पुरस्कृत करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेने हेतु समर्थ होगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासन द्वारा किये गये आय–व्ययक प्राविधान रू0 8500 लाख में से चयनित ग्राम पंचायतों के पुरस्कार धनराशि एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा। वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का पुरस्कार मद में व्यय करने के उपरान्त अधिकतम 05 प्रतिशत धनराशि को पुरस्कार समारोह आयोजन एवं अन्य प्रशासनिक मद में व्यय किया जा सकेगा। यदि पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ती या घटती है तो अनुमोदित बजट के मदों के विभाजन पर निर्णय लेने हेतु राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति (**SPAC**) अधिकृत होगी।

यथा साध्य कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त कार्य माह नवम्बर, 2023 की तय सीमा तक पूर्ण करा दिये जायेगें यदि किन्हीं कारणों से कुछ कार्य रह जाते है अथवा धनराशि शेष रह जाती है तो धनराशि आहरित कर इस धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखा जा सकेगा।

7— पुरस्कार का स्वरूप

- पुरस्कार धनराशि— पुरस्कार धनराशि का निर्धारण वर्ष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जायेगा एवं उक्त धनराशि सीधे चयनित ग्राम पंचायत के खाते में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा ऑन लाइन हस्तान्तरित की जायेगी।
- प्रशस्ति पत्र।

8— पुरस्कार वितरण

चयनित ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभावों की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर/मण्डल स्तर पर आयोजित पुरस्कार वितरण/सम्मान समारोह में सम्मानित किया जायेगा। शासनादेश संख्या संख्या—81/2017/2170/33—3—2017—212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक अवक्रमित किया जाताहै।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: 19-05-2023 10:16:45
Reason: Approved

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः— /33—3—2023— तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
5— प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
6— प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7— प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8— विशेष सचिव, 1/2/3, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
9— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10— मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
11— निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
12— निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
13— अपर निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
14— उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
15— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
16— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17— समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
18— समस्त जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
19— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20— अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

शासन के पत्र संख्या :–दिनांक का संलग्नक

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के परिवेक्षण एवं विभिन्न कार्य कलापों की समय सारणी।

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
1	समस्त जनपदों को प्रश्नावलियों को ऑन लाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।	20 मई, 2023
2	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पंचायत राज की बेवसाइट 'हमारी पंचायत पोर्टल' (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देख रेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑन लाइन भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	01 जूनसे 10 अगस्त 2023
3	पंचायतों द्वारा फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर जनपद स्तरीय स्थलीय सत्यापन हेतु चयन के सापेक्ष न्यूनतम दो गुना ग्राम पंचायतों को चयन करना।	25 अगस्त, 2023
4	जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन करना एवं सर्वाधिक अंकवाली प्रत्येक जनपद से 05 ग्राम पंचायतों को चयनित कर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष ऑन लाइन फ्रीज करेगी।	25 सितम्बर, 2023
5	जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 05 ग्राम पंचायतों की अभिलेखों सहित समिति की संस्तुति रिपोर्ट फ्रिज की जायेगी।	10 अक्टूबर, 2023
6	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयनित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के समक्ष प्रस्तुत करना।	25 अक्टूबर, 2023
7	कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की धनराशि का हस्तान्तरण किया जाना।	माह नवम्बर, 2023

नोट :– 1–उपरोक्त योजनान्तर्गत समय–सारणी परिस्थितियों के दृष्टिगत निदेशक, पंचायतीराज द्वारा समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी।

2– समय सीमा के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

pमुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रश्नावली 2023

थीम आधारित मूल्यांकन वर्ष 2022-23

कुल पूर्णांक-100

प्रश्न संख्या	प्रश्न	अधिकतम अंक	अंक प्रदान करने हेतु मानक	संबंधित दस्तावेज+
	थीम-01 गरीबी मुक्त गाँव (10 अंक)			
1.	मनरेगा के लेबर बजट के सापेक्ष कितने जाब कार्ड धारकों को रोजगार प्राप्त है । 1. 75 से 100 प्रतिशत 2. 50 से 74 प्रतिशत	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ जाब कार्ड का मस्टर रोल
2.	ग्राम पंचायत की कुल आबादी के सापेक्ष राशन कार्ड की कुल कितनी यूनिट जारी किया गया है? 1. 75 से 100 प्रतिशत 2. 50 से 74 प्रतिशत	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल की सूचना की प्रति
3.	मूल्यांकन वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए? 1. 75 से 100 प्रतिशत 2. 50 से 74 प्रतिशत	2	पात्र कृषकों के 75 प्रतिशत से अधिक रजिस्टर्ड होने पर 02 अंक एवं 50-74 प्रतिशत तक 01 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ सम्बन्धित अभिलेख की छायाप्रति
4.	कितने प्रतिशत कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया है? 1. 75 से 100 प्रतिशत 2. 50 से 74 प्रतिशत	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड धारको की प्रमाणित सूची की छायाप्रति
5.	मूल्यांकन वर्ष के दौरान कितने पात्र स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) ने बैंकों से ऋण लिया है? 1. 02 या 02 से अधिक समूह 2. 01 समूह	2	02 समूह पर 02 अंक 01 समूह पर 01 अंक एवं 01 समूह से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख की छायाप्रति
	थीम-2 स्वस्थ गाँव (10 अंक)			
6.	मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में कोविड-19 के बूस्टर डोज का टीकाकरण किया गया है? हाँ ☐ नही। ☐ यदि हाँ तो कितने प्रतिशत हुआ है ☐	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ टीकाकरण कराने वाले लाभार्थियों की सक्षम स्तर से सत्यापित सूची ।

<table>
<tr><td>7.</td><td>मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में 01 वर्ष आयु तक के बच्चों का शत्-प्रतिशत् टीकाकरण हुआ है ?<table><tr><th>ग्राम पंचायत में 01 वर्ष की आयु तक के कुल बच्चों की संख्या</th><th>पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या</th><th>प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>2</td><td>75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक
50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक
एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आंगनबाडी एवं आशा का रजिस्टर एवं ए.एन.एम. से सत्यापित प्रमाण-पत्र।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण हुआ है।<table><tr><th>ग्राम पंचायत में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या</th><th>पूर्ण प्रतिरक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या</th><th>प्रतिरक्षित गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>2</td><td>75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक
50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आशा का रजिस्टर एवं ए.एन.एम. से सत्यापित प्रमाण-पत्र।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>वी.एच.एस.एन.डी. के लिए आवश्यक उपकरण (वेट मशीन, हीमोस्टिक, एम.यू.ए.सी. टेप, आई.एफ.ए. टैब्लेट, हबकटर) तथा व्यवस्थाएं है अथवा नहीं?</td><td>2</td><td>4 उपकरण पर 2 अंक
2 उपकरण पर 1 अंक
2 से कम पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ संबंधित उपकरणों के फोटोग्राफ व रजिस्टर की छायाप्रति</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में कुल प्रसव के सापेक्ष संस्थागत प्रसव<table><tr><th>ग्राम पंचायत में कुल प्रसव</th><th>कालम 01 के सापेक्ष संस्थागत प्रसव</th><th>संस्थागत प्रसव का प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>2</td><td>75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक
50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक
एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आशा का रजिस्टर एवं ए.एन.एम. से सत्यापित प्रमाण-पत्र।</td></tr>
<tr><td colspan="5">थीम- 03 बाल मैत्री गाँव (10 अंक)</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में 06 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में है ?
• हाँ
• नहीं</td><td>2</td><td>विद्यालय में सत्यापन के समय 0 ड्रापआउट पर 02 अंक,
01-05 ड्रापआउट पर 01 अंक
तथा 05 से अधिक ड्रापआउट पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ सचिव से सत्यापित परिवार रजिस्टर, शिक्षक से सत्यापित विद्यालय पंजीकरण रजिस्टर।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>क्या ग्राम पंचायत में खेल का मैदान है?
• हाँ
• नहीं</td><td>2</td><td>हाँ की दशा में 02 अंक
नहीं की दशा में 00 अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ फोटो, विडियो।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>1098 हेल्पलाइन/बाल अधिकार चार्टर की पेंटिंग विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन पर है अथवा नही?
• हाँ
• नहीं</td><td>2</td><td>हाँ की दशा में 02 अंक
नहीं की दशा में 00 अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ फोटोग्राफ</td></tr>
</table>

14.	क्या वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत में बच्चों का शत्-प्रतिशत् सी.आर.एस. पोर्टल पर जन्म पंजीकरण हुआ है ? वर्ष 2022-23 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या | सी.आर.एस. पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों की संख्या | पंजीकृत बच्चों का प्रतिशत	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आशा/ए.एन. एम. के रजिस्टर की प्रति तथा सी.आर.एस. पोर्टल की रिपोर्ट की प्रति।
15.	आंगनबाड़ी केन्द्र में बाल मैत्री शौचालय निर्मित है अथवा नहीं? • हाँ • नहीं	2	हाँ की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
	थीम- 04 पर्याप्त जल युक्त गाँव (10 अंक)			
16.	पंचायत भवन/विद्यालय में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (RWH) है अथवा नहीं? पंचायत भवन ☐ विद्यालय ☐	2	दोनों में RWH होने पर 02 अंक किसी 01 में RWH होने पर 01 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
17.	ग्राम पंचायत में स्थित तालाबों में गहरीकरण/डिसिल्टेशन किया गया है अथवा नहीं, • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
18.	जल संरक्षण सम्बन्धी आई.ई.सी./जागरूकता/गतिविधियां (वाल पेंटिंग/ग्राम सभा की बैठक/रैली/ प्रतियोगिता आदि) की गयी है अथवा नहीं? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व आई.ई.सी. से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
19.	ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के समीप सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण किया गया है अथवा नहीं? • हाँ • नहीं हाँ कि स्थिति में कुल कितने हैण्डपम्पों के समीप सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण किया गया ☐	2	10 से अधिक सोख्ता गड्ढ़ों के निर्माण पर 02 अंक 05-10 तक सोख्ता गड्ढ़ों के निर्माण पर 01 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
20.	ग्राम पंचायत में जल निकायों (Water Bodies) संरक्षण एवं साफ-सफाई हेतु किये गये प्रयास। तालाबों को पालीथीन/प्लास्टिक मुक्त किया गया है। तालाबों की कुल संख्या | पालीथीन/प्लास्टिक मुक्त किये गये तालाबों की संख्या | प्रतिशत	2	75 प्रतिशत से अधिक 02 अंक, 50 से 75 प्रतिशत को 01 अंक उससे कम की स्थिति में शून्य अंक	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर, फोटोग्राफ/ वीडियो

<table>
<tr><th colspan="5">थीम-5 स्वच्छ एवं हरित गाँव (10 अंक)</th></tr>
<tr><td>21.</td><td>मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत ने पोर्टल पर खुद को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया था?
(क) हाँ, और स्व-घोषणा के बाद ब्लाक/जिला टीमों द्वारा तीसरे पक्ष का सत्यापन भी किया जाता है।
(ख) हाँ, लेकिन ब्लाक/जिला टीमों द्वारा स्व-घोषणा के बाद तीसरे पक्ष का सत्यापन नहीं किया गया है।
(ग) नहीं</td><td>2</td><td>विकल्प-क पर 02 अंक
विकल्प-ख पर 01 अंक
विकल्प-ग पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>ग्राम पंचायत ओ.डी.एफ. प्लस हेतु ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन किया गया है अथवा नहीं?
• हाँ
• नहीं</td><td>2</td><td>ठोस एवं तरल दोनों के प्रबन्धन पर 02 अंक एवं किसी 1 के प्रबंधन पर 01 अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>सामुदायिक शौचालय संचालित है अथवा नहीं ?
• हाँ
• नहीं</td><td>2</td><td>हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>वर्ष 2022-23 में किये गये कुल वृक्षारोपण के सापेक्ष कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं ?<table><tr><th>वर्ष 2022-23 में कुल रोपित पौधों की संख्या</th><th>वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं</th><th>जीवित पौधों का प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>2</td><td>75 प्रतिशत से अधिक 02 अंक 50 से 75 प्रतिशत को 01 अंक उससे कम की स्थिति में शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>ग्राम पंचायत में कूड़ा/कचरा, जल-जमाव की स्थिति ?
• कूड़ा/कचरा व जल जमाव नहीं है।
• कूड़ा/कचरा नहीं है।
• जल-जमाव नहीं है।</td><td>2</td><td>कूड़ा/कचरा नहीं पर 01 अंक एवं जल-जमाव नहीं पर 01 अंक तथा कूड़ा/कचरा व जल-जमाव नहीं पर 02 अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><th colspan="5">थीम- 06 आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ाचे वाला गाँव (10 अंक)</th></tr>
<tr><td>26.</td><td>ग्राम सचिवालय समस्त उपकरणों के साथ संचालित हो रहा है अथवा नहीं ?
• हाँ
• नहीं</td><td>2</td><td>हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र अलग से बना है अथवा नहीं ?
• हाँ
• नहीं</td><td>2</td><td>हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ</td></tr>
</table>

28.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प के अन्तर्गत निम्नांकित गतिविधियां की गयी हैं- 1. स्कूल के समस्त कक्षों में टाइल्स व रंगाई/पुताई 2. स्मार्ट क्लास 3. बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर 4. एम.डी.एम. सेट 5. स्वच्छ पेयजल स्टैण्ड	2	04 या 04 से अधिक गतिविधियों पर 02 अंक किन्हीं 03 गतिविधियों पर 02 अंक 03 गतिविधियों से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
29.	पार्क/ओपेन जिम का निर्माण किया गया है अथवा नहीं ? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
30.	ग्राम पंचायत के मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट लगाये गये है अथवा नहीं ? • हाँ • नहीं	2	50 से अधिक स्ट्रीटलाइट पर 02 अंक एवं 10 से 50 स्ट्रीटलाइट पर 01 अंक तथा 10 से कम स्ट्रीटलाइट पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
थीम- 07 सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव (10 अंक)				
31.	प्रत्येक माह राशन का वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं ? • हाँ • नहीं	2	वर्ष के 12 माह में वितरित होने पर 02 अंक एवं नहीं होने पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ कोटेदार एवं रजिस्टर की प्रति तथा वाल पेन्टिंग द्वारा प्रदर्शित लाभार्थियों की सूची की फोटो।
32.	ग्राम पंचायत के सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन (विधवा/वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेन्शन) मिल रही है अथवा नहीं ? • हाँ • नहीं	2	सत्यापन के समय पात्र लाभिर्थियों के सापेक्ष मात्र 2 लाभार्थी पेन्शन विहीन पाये जाते हैं तो 2 अंक 2 से 5 तक लाभार्थी पेंशन विहीन पाये जाते हैं तो 01 अंक 5 से अधिक लाभार्थी पेंशन विहीन पाये जाते हैं तो शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ पेंशन लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासबुक की छायाप्रति

<table>
<tr><td>33.</td><td>ग्राम पंचायत में जन-आरोग्य योजना के अन्तर्गत कितने पात्र लाभार्थियों ने आयुष्मान भारत कार्ड प्राप्त किया है?
<table><tr><th>पात्र लाभार्थियों की संख्या</th><th>लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>2</td><td>75 प्रतिशत से अधिक 02 अंक, 50 से 74 प्रतिशत को 01 अंक, उससे कम की स्थिति में शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासबुक की छायाप्रति</td></tr>
<tr><td>34.</td><td>ग्राम पंचायत में पारिवारिक योजना लाभ/आपदा राहत धनराशि के कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त है?
लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या ☐</td><td>2</td><td>05 या अधिक पर 02 अंक, 02 से 4 लाभार्थियों पर 01 अंक एवं 02 से कम पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासबुक की छायाप्रति</td></tr>
<tr><td>35.</td><td>ग्राम पंचायत में विवाह अनुदान/सामूहिक विवाह योजना में कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त है ?
लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या ☐</td><td>2</td><td>05 या अधिक पर 02 अंक, 02 से 4 लाभार्थियों पर 01 अंक एवं 02 से कम पर शून्य अंक</td><td>सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासबुक की छायाप्रति</td></tr>
<tr><td colspan="5">थीम-8 सुशासन वाला गाँव (20 अंक)</td></tr>
<tr><td>36.</td><td>क्या ग्राम पंचायत द्वारा निजी स्त्रोतों से स्वयं की आय में वृद्धि की गयी है ।
<table><tr><th>वर्ष 2021-22 की आय</th><th>वर्ष 2022-23 की आय</th><th>वृद्धि</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>2</td><td>5000 या अधिक की स्थिति में 02 अंकए 1000 से 4999 तक 01 अंक एवं 1000 से कम पर शून्य अंक</td><td>सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम निधि अथवा कैशबुक में उक्त आय के जमा होने की प्रवृष्टि एवं आडिट रिपोर्ट में अंकन</td></tr>
<tr><td>37.</td><td>क्या ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2022-23 में बैठकों का आयोजन ससमय किया जा रहा है ?
ग्राम सभा में आयोजित कुल बैठकों की संख्या ☐</td><td>2</td><td>02 बैठक पर 01 अंक तथा 02 से अधिक बैठकों पर 02 अंक</td><td>सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ।</td></tr>
<tr><td>38.</td><td>क्या ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 में सभी 12 बैठकों का आयोजन ससमय किया गया ?
<table><tr><th>कुल ग्राम पंचायत बैठक</th><th>कुल बैठक का आयोजन</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>2</td><td>100 प्रतिशत पर 02 अंक, 75-99 प्रतिशत तक 01 अंक तथा 75 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक</td><td>सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ।</td></tr>
</table>

39.	ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर गेटवे पोर्टल के माध्यम से समस्त भुगतान किया गया है? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट, सम्बन्धित अभिलेख व फोटोग्राफ
40.	क्या ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 के खाते का ससमय आडिट कराया गया है एवं "आडिट आनलाइन साफ्टवेयर" के माध्यम से आडिट का कार्य किया है ? हाँ नहीं यदि हाँ संलग्न करें • वर्ष 2021-22 की आडिट रिपोर्ट	2	हां की स्थिति पर 02 अंक	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति, आडिट रिपोर्ट एवं कैश बुक।
41.	ग्राम पंचायत में निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला का निर्माण किया गया है अथवा नहीं ? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
42.	वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. में निर्धारित 05 चरणों का पालन किया गया है ? ☐ वातावरण का सृजन ☐ परिस्थिति का विश्लेषण ☐ आवश्यकता/समस्याओं का चिन्हांकन एवं प्राथमिकीकरण ☐ ड्राफ्ट कार्ययोजना तैयार करना ☐ अंतिम तैयार कार्ययोजना की ग्राम सभा में वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति	2	सभी 5 चरणों के क्रियान्वयन पर 02 अंक एवं 03-04 चरणों पर 01 अंक तथा 03 से कम पर शून्य अंक	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर व फोटोग्राफ उक्त के साक्ष्य ग्रामवासियों के बयान आदि ।
43.	ग्राम पंचायत निधि में विभिन्न स्रोतों व योजनाओं से हो रहे आय-व्यय का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थल पर किया गया है अथवा नहीं ? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
44.	आई.जी.आर.एस. अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत के समस्त शिकायत का निर्धारित पोर्टल (मुख्यमंत्री संदर्भ, आनलाइन संदर्भ आदि) का निस्तारण किया गया है, वर्तमान में कोई अवशेष नहीं है? • अवशेष है ☐ • अवशेष नहीं है ☐	2	अवशेष होने पर शून्य अंक एवं अवशेष नहीं होने पर 02 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व पोर्टल पर निस्तारण की प्रति

45.	ग्राम सचिवालय में जनसेवा केन्द्र का को-लोकेशन किया गया है अथवा नहीं ? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
	थीम- 09 महिला हितैषी गाँव (10 अंक)			
46.	क्या ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में बालक-बालिकाओं का पृथक-पृथक शौचालय निर्मित किया गया है ? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
47.	ग्राम पंचायत के विद्यालयों/सार्वजनिक भवनों में इन्सिनेटर/मासिक धर्म प्रबन्धन की व्यवस्था स्थापित है? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
48.	क्या गर्भवती/धात्री महिलाओं और किशोरियों को गुणवतापूर्ण पौष्टिक भोजन/पोषाहार का नियमित वितरण किया जा रहा है ? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आंगनबाड़ी का रजिस्टर।
49.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष लाभान्वित लाभार्थियों की स्थिति- पात्र लाभार्थियों की संख्या | लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या | प्रतिशत | | |	2	75 प्रतिशत से अधिक पर 02 अंक, 50-75 प्रतिशत पर 01 अंक तथा 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेख तथा फोटोग्राफ
50.	क्या ग्राम पंचायत में 1090, 102 एवं 112 हेल्पलाइन की आई.ई.सी. की गयी है ? • हाँ • नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेख तथा फोटोग्राफ

प्रेषक.

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2021**

विषयः-पंचायतों के अधिकार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रि-स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ एवं विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी पंचायतों को सौंपी गई है। वर्तमान में प्रदेश की सभी पंचायतें (जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल व पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अपने कार्यों व धनराशि के भुगतान को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित कर रही हैं। इससे पंचायतों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयी है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक के साथ बी0सी0 सखी, जन सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) व महिला पुलिस बीट कर्मी को स्थान आवंटित कर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने की नई पहल की गई है। ग्राम सचिवालय अपने आप में स्थानीय समस्याओं के निराकरण, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन व ग्राम पंचायत के निवासियों को सभी योजनाओं व लाभार्थियों की सूचना उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

2- पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की धनराशि व उससे सम्बन्धित विकास कार्य में वृद्धि, पंचायतों के कार्यो का डिजिटाइजेशन तथा अन्य विभागीय योजनाओं की धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का दायित्व बढ़ जाने के कारण ग्राम प्रधानों/प्रमुखों/जिला पंचायत अध्यक्षों की भूमिका बढ़ गई है। सम्बन्धित प्रतिनिधियों द्वारा पंचायतों में कराये जाने वाले विकास कार्यों के अनुश्रवण व क्रियान्वयन में अपना पूर्ण समय दिया जा रहा है, साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य, जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में 7.31 लाख है को वर्तमान में किसी भी प्रकार का भत्ता अनुमन्य नहीं है। निर्वाचित पंचायत सदस्यों द्वारा बैठक में अपने रोजगार के कार्यों को छोड़कर प्रतिभाग किया जाता है। बैठकों में सदस्यों की सक्रिय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिभागिता एवं उनकी भूमिका के सम्बन्ध में प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक है कि इन्हें प्रति माह आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक हेतु ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए बैठक भत्ता की अनुमन्यता की जाए।

3- शासन में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय/बैठक भत्ता में निम्नवत् बढ़ोत्तरी की जाएगी : -

(धनराशि रू. में)

क्र0 सं0	**पंचायत पदाधिकारी**	**वर्तमान मानदेय**	**प्रस्तावित मानदेय**
1	ग्राम प्रधान	3,500	5,000
2	प्रमुख, क्षेत्र पंचायत	9,800	11,300
3	अध्यक्ष, जिला पंचायत	14,000	15,500
4	सदस्य, जिला पंचायत	1000 प्रति बैठक	1500 प्रति बैठक (वर्ष में 6 बैठक)
5	सदस्य, क्षेत्र पंचायत	500 प्रति बैठक	1000 प्रति बैठक (वर्ष में 6 बैठक)
6	सदस्य, ग्राम पंचायत	शून्य	100 प्रति बैठक (वर्ष में अधिकतम 12 बैठकों के लिए)

उपरोक्त मानदेय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि को केन्द्रीय वित्त आयोग की भांति प्रशासनिक एवं ओ0 एण्ड एम0 मद में अनुमन्यता के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

4- पंचायत पदाधिकारियों हेतु अनुमन्य मानदेय व सदस्यों के बैठक भत्ते के भुगतान की व्यवस्था :-

प्रदेश में राज्य वित्त की धनराशि का आवंटन पंचायतों को उनकी जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। प्रदेश में 1000 से कम आबादी वाली 250 ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें वर्ष भर में राज्य वित्त की बहुत सीमित धनराशि प्राप्त होती है। पंचायत के पदाधिकारियों (प्रधानों/प्रमुखों/जिला पंचायत अध्यक्ष/सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) को उनके मानदेय/बैठक भत्ता का रू. 497.78 करोड़ के भुगतान हेतु धनराशि को राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि से घटाकर उनके खातों में राज्य स्तर से प्रेषित किये जाने हेतु मात्राकृत किया जाना है। तत्पश्चात समस्त पंचायतों को आवंटित धनराशि निर्धारित अनुपात (15:15:70) में विभाजित कर उनके खातों में हस्तान्तरित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- पंचायत कल्याण कोष की स्थापना-

त्रि-स्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के जनकल्याण के कार्यों का क्रियान्वयन करता है। पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में सहायता राशि हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से रू0 50 करोड़ का पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यह भी प्रस्ताव है कि पंचायतों को संक्रमित धनराशि से 50 करोड़ की लागत के रिवाल्विंग फंड की स्थापना करते हुए ही शेष धनराशि को पंचायतों को अंतरित किया जाए। पंचायत प्रतिनिधि का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं सदस्य ग्राम पंचायत से है।

कल्याण कोष में संरक्षित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार सुनिश्चित् किया जायेगा-

पंचायत प्रतिनिधि (अध्यक्ष-जिला पंचायत, प्रमुख-क्षेत्र पंचायत, प्रधान-ग्राम पंचायत, सदस्य, जिला पंचायत, सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत) की मृत्यु की दशा में-

(i). प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत को रू.10 लाख।

(ii). सदस्य, जिला पंचायत को रू. 5 लाख।

(iii). सदस्य, क्षेत्र पंचायत को रू. 3 लाख।

(iv). सदस्य, ग्राम पंचायत को रू. 2 लाख।

पंचायत कोष के गठन व संचालन पर विस्तृत गाईडलाईन निदेशालय द्वारा तैयार कर जारी की जाएगी।

6- **तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है।**

वर्तमान एवं नए प्रावधान निम्नवत् होंगे :

वर्तमान सीमा				**नए प्रावधान**		
क्र0 सं0	**कार्यों की सीमा (धनराशि)**	**वर्तमान में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी**	**वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी**	**कार्यों की सीमा (धनराशि)**	**प्रस्तावित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी**	**प्रस्तावित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी**
1	रु 2 लाख तक	ग्राम सभा	ग्राम सभा	रु 5 लाख तक	ग्राम सभा	ग्राम सभा
2	रु 2 लाख से 2,50000/-	सहायक विकास अधिकारी (पं0)	खण्ड स्तर पर नामित तकनीकी कर्मी	रु 5,00,001 से 7,50000/-	सहायक विकास अधिकारी (पं0)	खण्ड स्तर पर नामित तकनीकी कर्मी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	रु.2,50001/- से रु. 5 लाख तक	जिला पंचायत राज अधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत	रु 7,50001/- से 10 लाख तक	जिला पंचायत राज अधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत
4	5,00001 से ऊपर	जिलाधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत	10,00,001 से ऊपर	जिलाधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत

7- जिला पंचायतों के 10 लाख से ऊपर के प्राक्कलन की स्वीकृति शासन स्तर से व्यवस्था है। यह 10 लाख की सीमा जुलाई, 2015 में नियत की गयी थी। उक्त सीमा को बढ़ाकर 25 लाख किया जाना है।

8- निर्माण कार्य का प्राक्कलन एवं मापन किया जाना:-

ग्राम पंचायत स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने व तकनीकी स्वीकृति हेतु जिलाधिकारीगण द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई, मण्डी समिति, जिला पंचायत के अवर अभियन्ता को विकास खण्ड स्तर पर नामित करने की व्यवस्था है। विकास खण्ड में नामित अभियंता के अतिरिक्त पंचायतों द्वारा जनपद में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जिला पंचायत, आवास एवं विकास, सिंचाई, मण्डी परिषद, लघु सिंचाई, कृषि, जल निगम विभाग के अवर अभियंता/सहायक अभियंता से प्राक्कलन बनवाने एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

9- **उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के नियमावली के अध्याय 8 के नियम 152 (क) व (ख) में दिये गये प्रावधान निम्नवत् है :-**

"जबकि निर्माण कार्य की लागत निर्धारित सीमा से अधिक न हो तो कोई सहायक कलाकार (टेक्निकल असिस्टेन्ट) या जिला बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति से जिला बोर्ड के इंजीनियरिंग विभाग का कर्मचारी या कोई योग्यता रखने वाला (क्वालीफाईड) ओवरसियर या कोई योग्यता रखने वाला ऐसा निजी व्यवसायी पेशा करने वाला (Private Practitioner) जिसको कि निर्धारित अधिकारी ने मान्यता दी हो तैयार कर सकता है।"

"वृहत निर्माण कार्य की दशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्वायत्त शासन के इन्जीनियरिंग विभाग का चीफ इंजीनियर यदि वह कार्य स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माण कार्य होगा समुचित अनुभव वाला परामर्शदाता (Consulting) इंजीनियर जो सरकार द्वारा मान्य (Approved) हो।" शासकीय कर्मचारी या योग्यता रखने वाले प्राइवेट प्रैक्टिसनर/आर्किटेक्ट या समुचित अनुभव रखने वाला परामर्श दाता (Consulting) इन्जीनियर को पंचायतों में मानचित्र व तकनीकी प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुमन्य किया जाना तथा इनके द्वारा शुल्क के रुप में प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार करने हेतु प्राक्कलित लागत का नियम 162 के अन्तर्गत 2 प्रतिशत धनराशि दिये जाने की अनुमन्यता है। अत: ग्राम पंचायतों के कार्यों का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार करने हेतु, पंचायती राज निदेशालय द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक जनपद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इंजीनियर नियत फीस के साथ इम्पैनल्ड किया जाएगा, जो पंचायतों के कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने व कार्यों के मापन का कार्य कर सकेंगे।

10- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त/न्याय/कार्मिक/ग्राम्य विकास/ लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/नियोजन/ग्रामीण अभियंत्रण एवं सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8) निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(9) उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उत्तर प्रदेश।

(10) मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

(11) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(12) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

(13) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(14) समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।

(15) समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(16) समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

(17) समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(18) समस्त ग्राम पंचायत प्रधानगण एवं सचिव, उत्तर प्रदेश।

(19) पंचायती राज अनुभाग-1/2

(20) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

संख्या–1040/ 33–3–2021–116 / 2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
उ०प्र० लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक :22 जून, 2021

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 (2020 से 2024) के क्रियान्वयन हेतु गाइडलाईन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की कुल आबादी (वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार) में 19.98 करोड़ थी, जिसमें ग्रामीण आबादी 15.53 करोड़ थी, जो (77.72) प्रतिशत था। कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या 2.57 करोड़ थी। प्रदेश नियत समय से पूर्व ही ओ.डी.एफ. का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–1 (2014 से 2019) का लक्ष्य खुले में शौच से मुक्ति (Open Defecation Free) (ओ.डी.एफ.) था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में लगभग 2.28 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया और बड़े पैमाने पर ग्रामवासियों में व्यवहार परिवर्तन के लिए कार्य किया गया।

2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :–

(i) ओ.डी.एफ. की स्थिति बनाए रखना।
(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (SWM)
(iii) तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (LWM)
(iv) ग्रामीण क्षेत्र आमतौर पर देखने में साफ–सुथरा (Visible Cleanliness) होना चाहिए।

3. ओ.डी.एफ. की स्थिति को बनाए रखना :

(i) इस मद में नए परिवार, जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं है, उनका व्यक्तिगत शौचालय निर्मित किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 9.50 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना है।

(ii) पूर्व से निर्मित व्यक्तिगत शौचालय, जो उपयोग में न लाए जाने की वजह से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से निष्प्रयोज्य से हो गए हैं, उनके रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जाना है। यह कार्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध सेनीटेशन मद (टाईड फण्ड) की धनराशि से कराया जाएगा।

(iii) सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रख–रखाव :

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय निर्मित किए जाने का निर्णय गत वर्ष लिया गया था। इन शौचालयों को पूर्ण किया जाना है और इनके रख–रखाव के लिए

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चयनित महिला को हस्तगत किया जाना है। इस विषय पर पूर्व में निर्गत शासनादेश के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में अगले 02 माह के अन्दर पूर्ण किया जाएगा तथा रख–रखाव के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला का चयन अन्तिम करते हुए रख–रखाव के लिए कम से कम 03 माह की धनराशि स्वयं सहायता समूह को स्थानान्तरित की जाएगी। सामुदायिक शौचालय के निर्माण का कार्य स्वच्छ भारत मिशन व मनरेगा की धनराशि से किया जाएगा। इसके रख–रखाव का व्यय वित्त आयोग के अन्तर्गत सेनीटेशन मद (टाईड फण्ड) में उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा।

4. ग्राम पंचायतों में ओ.डी.एफ. + के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शासन दृढ़ संकल्पित हैं। सभी ग्राम पंचायतें यथाशीघ्र स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज–2 में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से ओ.डी.एफ. + के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना है। गाँव में ठोस कचरे का प्रबंधन करने के लिए कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जाना है। इस कार्य में गॉव की जन सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। गॉव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए जिम्मेदार हो, इसके लिए समय–समय पर कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाए।

5. सफल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सिद्धांत :

(i) सामग्री का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही उससे जनित अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार है।
(ii) अपशिष्ट की छटाई जैविक व अजैविक या उसके उप–भाग के वर्गो में पृथक्करण अच्छे अपशिष्ट प्रबंधन की कुंजी है।
(iii) कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक व्यवहार में बदलाव का कार्यक्रम है।
(iv) जिस स्थान पर अपशिष्ट जनित होता है उसके जितना नजदीक उसका उपचारित किया जाये, अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य उतना ही सफल होता है।
(v) एक सफल अपशिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रम केवल सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से ही हो सकता है।

6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लैण्डफिल या डम्पिंग ग्राउण्ड विभिन्न एक्ट एवं नियमों के माध्यम से अब पूर्णतः प्रतिबन्धित है तथा यह एक दण्डनीय अपराध है।

7. पंचायती राज विभाग के निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा प्रदेश को 4 जोन में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन से एक–एक जनपद की 4–4 ग्राम पंचायतों का ठोस अपशिष्ट के विषय पर परिवार स्तर का सर्वेक्षण सितम्बर, 2020 में किया गया। सर्वेक्षण के माध्यम से ज्ञात हुआ कि प्रदेश में औसतन 77 ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रति व्यक्ति प्रति दिन जनित होता है। ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के अनुसार ठोस अपशिष्ट की मात्रा में विविधता पायी गयी, जो निम्नवत् हैः–

क्रम सं.	ग्राम पंचायत की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट
1	01–1999 तक	60 ग्राम
2	2000–5000 तक	85 ग्राम
3	5000–10,000 तक	75
4	10,000 से अधिक	80

8. उपरोक्त सर्वेक्षण के दौरान ठोस अपशिष्ट को श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया है, जो स्थिति निम्नानुसार हैं :–

क्रम सं.	ठोस अपशिष्ट का प्रकार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन उत्पन्न अपशिष्ट ग्राम में	प्रतिशत
1	Bio-degradable Waste (जैविक)	44	57
2	Inert Waste	17	22
3	Recyclable Waste	13	17
4	Hazardous Waste	3	4
	Total	77	100

तकनीकी सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त की गई उपरोक्त ठोस अपशिष्ट की मात्रा व प्रकार के अनुसार ही प्रदेश की ग्राम पंचायतों में परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

9. ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार किया जाना:

(i) घरों और थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं (छात्रावास, बाजार, विवाह हॉल, आदि) की पहचान करना और उत्पन्न कचरे की मात्रा निर्धारित करना।

(ii) जैविक अपशिष्ट और मवेशियों के गोबर के अपशिष्ट का आँकलन करना:

10. कूड़े का संग्रह – गांव में नियमित रूप से घरों और थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से अपशिष्ट एकत्र करने के लिए योजना विकसित की जानी है। गृह स्वामी निर्धारित स्थान पर सामुदायिक कूड़ेदान में भी इसे डाल सकते हैं।

11. संग्रहण और कम्पोस्टिंग केंद्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए एक प्रांगण (यार्ड), बनाया जाना है, जो "एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र" (ISWMC) के नाम से जाना जाएगा। उक्त के निर्माण के लिए राजस्व ग्राम स्तर पर कम से कम 1500 वर्ग मीटर भूमि चयनित की जाए। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में प्लास्टिक के संग्रहण, परिवहन व प्रसंस्करण में लगे व्यक्तियों/फर्मों की पहचान करें और उनसे बातचीत कर इस तरह के समाधान को निकालेंगे कि क्या प्लास्टिक/थर्मोकोल को पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है तो उसे निजी तौर पर कार्यरत व्यक्ति/फर्म के प्रसंस्करण के लिए किस रेट पर लिया जा सकता है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाएगा कि विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक के प्रसंस्करण के लिए लगायी जाने वाली इकाई निजी सहभागिता में स्थापित की जा सके। अन्यथा की स्थिति में इसे विभाग द्वारा स्थापित एवं संचालित करने का कार्य कराया जाएगा।

Manoj

12. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु सफल पद्धति के रूप में कम्पोस्टिंग पर बल देता है। सभी ग्रामों में सामुदायिक स्तर पर गीले अपशिष्ट का प्रबन्धन खाद गड्ढे (पिट कम्पोस्टिंग) के माध्यम से किया जाना है। पिट कम्पोस्टिंग दो प्रकार की होती है, (क) सामुदायिक स्तर पर कच्चा खाद गड्ढा, (ख) सामुदायिक स्तर का पक्का खाद गड्ढा। कम्पोस्टिंग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें ठोस कचरे के आर्गेनिक घटकों को जैविक रूप से विघटित किया जाता है और उसे नियंत्रित स्थितियों में ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उसे आसानी से प्रबंधित, संरक्षित किया जा सकता हैं या जमीन में खाद के रूप में मिलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में थर्मोफिलिक तापमान बनता है और जैविक रूप से उत्पन्न इस गर्मी के कारण अन्तिम उत्पाद कम्पोस्ट (खाद) होता है, जो कि कीटाणुओं और पौधों के बीज से मुक्त तथा स्थिर होता है, जिसके उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्व को बढ़ाता है।

13. कम्पोस्टिंग की विधि :

(i). सामुदायिक स्तर पर कच्चा खाद गड्ढा

निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) × 1.5 (चौडाई) × 3 (लम्बाई) मीटर गड्ढा खोद लें।
- गड्ढे की तलहटी में चिकनी मिट्टी का लेप लगा दें।
- यह कच्चा गढ्ढा है इसमें ईंटों की आवश्यकता नहीं है।
- 150 मिमी0 गीला जैविक कूड़ा की परत के बाद गीला गोबर डाल दें।
- गीले गोबर की परत के बाद दुर्गंध और मक्खी मच्छर से बचने के लिए मिट्टी की पतली सी परत बिछा दें, करीब सप्ताह में एक बार ।
- इसके बाद गीला जैविक कूडा 150 मिमी0 की परत में डालते रहें।
- जमीनी सतह से 300 मिमी ऊपर तक जैविक गीला कचरा संग्रहित किया जा सकता है।
- गड्ढा भरने के उपरान्त 300 मिमी0 ऊपर उठा हुआ कचरा स्वतः जमीनी सतह के बराबर आकर बैठ जाता है।
- मिट्टी का मोटा लेप लगाकर गड्ढे को सील (बंद) कर दें।
- 3 से 6 माह की अवधि में कचरा खाद के रुप में परिवर्तित हो जायेगा, उसे निकाल कर खाद को उपयोग कर सकते है।

लागत (1 खाद गड्ढा के लिए) – तीन मानव दिवस (अकुशल)

(ii). सामुदायिक स्तर का पक्का खाद गड्ढा

निर्माण विधि एवं लागत

जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) × 1.5 (चौडाई) × 3 (लम्बाई) मीटर गड्ढा खोद लें।

- ईंटों के द्वारा आयताकार का 225 मिमी0 रोबेदार गढ्ढा (Honeycomb)
- गड्ढे की तलहटी को सीमेंट व ईंट के द्वारा पक्का न करें।
- 150 मिमी0 गीला जैविक कूड़ा की परत के बाद गीला गोबर डाल दें।

Manaf

- गीले गोबर की परत के बाद दुर्गन्ध और मक्खी मच्छर से बचने के लिए मिट्टी की पतली सी परत बिछा दें, करीब सप्ताह में एक बार ।
- इसके बाद गीला जैविक कूड़ा 150 मिमी0 की परत में डालते रहें।
- जमीनी सतह से 300 मिमी ऊपर तक जैविक गीला कचरा संग्रहित किया जा सकता हैं।
- गड्ढा भरने के उपरान्त 300 मिमी0 ऊपर उठा हुआ कचरा स्वतः जमीनी सतह के बाराबर आकर बैठ जाता हैं।
- मिट्टी का मोटा लेप लगाकर गड्ढे को सील (बंद) कर दें।
- 3 से 6 माह की अवधि में कचरा खाद के रुप में परिवर्तित हो जायेगा, उसे निकाल कर खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

लागत (1 खाद गड्ढा के लिए) –

- 1200 ईंट
- 3 सीमेंट की बोरी
- 20 घनफिट रेत
- 3 मानव दिवस (अकुशल)
- 2 मानव दिवस (कुशल)

14. कम्पोस्ट गड्ढा बनाने के लिए स्थल के चयन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना है–

(i) गड्ढे का स्थान निचले क्षेत्र में और जलजमाव ग्रस्त क्षेत्र अथवा जल स्रोतों एवं जलाशयों के पास के क्षेत्र में न हो।

(ii) स्थल से कचरे और खाद की ढुलाई सुगम्य हो।

(iii) जिन स्थानों पर जल–स्तर ऊंचा हो और सतह के नजदीक हो उन्हें कम्पोस्ट गड्ढ़े के निर्माणार्थ नहीं चुना जाना चाहिए।

(iv) हवा के बहाव की दिशा को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन किया जाए ताकि रिहायशी क्षेत्रों में दुर्गंध न आए।

(v) गड्ढे में पानी के रिसाव को रोकने के लिए गड्ढे के चारो ओर एक बन्ध बनाया जाए।

(vi) मिट्टी की स्थिति के अनुसार गड्ढ़े की दीवार सीधी या ढाल वाली बनाई जाए।

(vii) स्थल की आवश्यकताओं और भूमि उपलब्धता तथा सृजित जैविक कचरे की मात्रा के अनुसार गड्ढे की संख्या और उसके आकार में बदलाव किया जा सकता है।

(viii) यदि वहां औद्योगिक, वाणिज्यिक, बाजार केन्द्र हों तो सृजित कचरे की मात्रा के अनुसार अतिरिक्त गड्ढों का निर्माण किया जाएगा।

(ix) सृजित कचरे की मात्रा, बस्तियों की संख्या और परिवारों की संख्या तथा कंपोस्ट गड्ढे खोदने के लिए उपलब्ध जमीन के आधार पर, आवश्यकतानुसार गड्ढों के समूह में उपयुक्त बदलाव किया जा सकता है। गड्ढ़ों के बीच की दूरी कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए।

Manaf

15. गोबर के लिए केचुऐं गड्ढे (वर्मीकम्पोस्टिंग) – सामुदायिक स्तर पर

केंचुआ खाद या वर्मीकम्पोस्ट (Vermicompost) पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ के द्वारा गोबर, वनस्पतियों एवं भोजन के अपशिष्ट आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कम्पोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कम्पोस्ट (खाद) डेढ़ से दो माह के अन्दर तैयार हो जाता है। गोबर संग्रहण और वर्मीकम्पोस्टिंग केंद्र की स्थापना करने के लिए ग्राम स्तर पर गीले अपशिष्ट के लिए प्रांगण (यार्ड) बनाना है (विनिर्देश, आकार और लागत - संलग्नक)। निर्माण के लिए ग्राम स्तर पर भूमि (कम से कम 1500 वर्ग. मीटर) जो पहले उल्लिखित की गई है, इसी में वर्मीकम्पोस्टिंग की जानी है।

निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की सतह के ऊपर 2 (गहराई) × 3 (चौडाई) × 6 (लम्बाई) फिट की क्यारियॉ बनाये।
  ईंटों के द्वारा आयताकार 4इंच मोटी दीवार का गड्ढा बनाये।
- गड्ढे में गोबर एंव केचुऐं डाल दें।
- प्रतिदिन गोबर की मात्रा – 25 से 30 KG
- वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन प्रतिमाह – 250 से 300 KG
- 30000 केचुओं से 1 टन वर्मी कम्पोस्ट उत्पन्न होता है।

लागत (1 क्यारी के लिए) –

- 13 घनफिट खुदाई
- 300 ईंट
- 25 घनफिट रेत
- 2 बोरी सीमेंट
- 13 घनफिट मोटी गिट्टी
- 8 घनफिट छोटी गिट्टी
- 13 घनफिट बड़ी गिट्टी
- 3 फिट लम्बा पी0वीसी0 पाईप
- 1 मानव दिवस राज मिस्त्री
- 2 मानव दिवस अकुशल श्रमिक

स्थल की आवश्यकताओं और भूमि उपलब्धता तथा सृजित गोबर की मात्रा के अनुसार क्यारियों की संख्या बढाई जायेगी।

"एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र" (ISWMC) का संचालन ग्राम पंचायतें स्वयं कर सकती हैं अथवा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करा सकती हैं। ग्राम पंचायतें स्वतंत्र होंगी कि (ISWMC) के विभिन्न गतिविधियों को एक साथ करा सकती हैं अथवा इन्हें

पृथक–पृथक जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए करा सकती हैं। (एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र का ले–आउट, मॉडल आगणन एवं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (A)का ले–आउट संलग्न है।)

16. प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण एवं निस्तारणः

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 2.73 ग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश में एक ग्राम पंचायत की औसतन जनसंख्या 2643 है। एक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का औसतन वजन 2.73 × 2643 = 7.2 किग्रा0। एक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का औसतन वजन 7.2 × 365 = 2630 किग्रा0। न्यूनतम विक्रय मूल्य 2 रुपये प्रति किग्रा0 प्रतीत होता है। संग्रहकर्ता को न्यूनतम मूल्य या वस्तविक बिक्री का 50–50 प्रतिशत संग्रह कर्ता और ग्राम पंचायत के बीच साझा किया जायेगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण, भंडारण, ढुलाई और निपटान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों में उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। पंचायती राज अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–263(1)/33–3–2020–154/2014 टी.सी. दिनांक 20 जुलाई, 2020 द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिषिद्ध किया गया है। इन प्रतिबन्धों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना ग्राम पंचायत की अपने क्षेत्र में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

राजस्व ग्राम स्तर पर भंडारण की सुविधा एवं यथासम्भव छंटनी

विभिन्न स्तरों पर अर्थात् घरेलू स्तर, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी, पंचायत घर, वाणिज्यिक क्षेत्र और बाजारों में सृजित अपशिष्ट के प्रकार और मात्रा का आंकलन करना है। प्रत्येक घर, वाणिज्यिक केंद्रों, संस्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण और उसे राजस्व ग्राम स्तर के एकत्रीकरण सुविधा केन्द्र पर भेजा जाना है। संग्रहण, एकत्रीकरण एवं पृथकीकरण का कार्य प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर शेड बनाकर किया जाएगा। संग्रहित किये गये प्लास्टिक अपशिष्ट को अच्छी तरह धोकर सुखाया जाना, प्लास्टिक अपशिष्ट को छांट कर अलग–अलग करना तथा बोरी में प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण व सुरक्षित भंडारण किया जाना है।

ब्लॉक स्तर पर सामग्री रिकवरी सुविधा/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई

संग्रहण तथा एकत्रीकरण केंद्रों से प्लास्टिक अपशिष्ट को ब्लॉक स्तर पर ले जाना जहां प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (PWMC) स्थापित किए जाएंगे। इस केन्द्र के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी मार्ग निर्देशिका में 16 लाख रूपये प्रति ब्लॉक के हिसाब से धनराशि प्राविधानित की गयी है, जिसका उपयोग किया जाएगा। ऐसे केंद्रों में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को घटाने के लिए एक कटाई और बेलिंग मशीन होगी। पुनःचक्रित कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता हैं (Ref- using plastic in construction of roads in the Indian Road Congress Code SP: 98-2013) अथवा सीमेंट उद्योगों में सह–प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जा सकता हैं।

17. घरेलू निष्प्रयोज्य जल/ग्रे वाटर के लिए सोख्ता गड्ढे

प्रत्येक राजस्व ग्राम में जहाँ व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढा एवं सामुदायिक सोख्ता गड्ढे से भी तरल अपशिष्ट का प्रबन्धन सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह सुनिश्चित किया जाए कि गाँव की आबादी के पास जो मुख्य तालाब है, उसमें किसी भी दशा में गाँव का गन्दा पानी न जाये। इसलिए आवश्यकतानुसार नाली का निर्माण कर अथवा पाइपलाईन के माध्यम से गंदे पानी को आबादी से दूर स्थित वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पाण्ड गंदे पानी के उपचार के लिए बनाए, इसे वहां ले जाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे जल के प्रबंधन के लिए, चयनित पद्धति के रूप में सोख्ता गड्ढे को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढों के निर्माण में आने वाली लागत का वित्त पोषण परिवार के स्वयं के संसाधन से, मनरेगा, राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकता है।

सामुदायिक सोख्ते गड्ढे का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन में प्राविधानित धनराशि एवं मनरेगा से किया जाएगा।

निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) × 1 (चौडाई) × 1 (लम्बाई) मीटर गड्ढा खोद लें।
- गड्ढे की तलहटी से 250मिमी0, 125 से 150मिमी0 आकार के पत्थर भर दें, उसके बाद नीचे से 250मिमी0 की दूसरी परत में 100 से 125 मिमी0 के पत्थर भर दें, उसके उपर 250 मिमी0 की तीसरी परत में 50 से 75 मिमी0 के पत्थर भर दें।
- सबसे उपर 225 मिमी0 का एक मिटटी का घड़ा 5 से 6 छेंद कर रख दें और घडे में रेत भर दें।
- गड्ढे की उपरी परत पर 25 मिमी0 झाड़ की परत बिछा दें, उसके ऊपर एक बोरी से ढक दें, बोरी के उपर 25 मिमी0 झाड़ की एक और परत बिछा दें।
- झाड़ के ऊपर कीचड का लेप लगा दें।
- उसके बाद 225 मिमी0 से 250 मिमी की सूखी मिट्टी की परत बिछा दें।
- 200 × 200 मिमी0 का एक चैम्बर घड़े के चारों ओर बना दें, जिसकी गहराई 20 मिमी की होगी।

लागत (1 सोख्ता गढ्ढे के लिए) –

- 7.5 घनफिट 125 से 150 मिमी.पत्थर
- 7.5 घनफिट 100 से 125 मिमी.पत्थर
- 7.5 घनफिट 50 से 75 मिमी.पत्थर
- एक टाट की बोरी
- एक मिट्टी का घड़ा
- 1.5 मी. 50मिमी व्यास की पाईप
- 1 मानव दिवस (अकुशल)
- 1 मानव दिवस (कुशल)

स्थल की आवश्यकताओं और भूमि उपलब्धता तथा सृजित गोबर की मात्रा के अनुसार सोख्ता गड्ढे की संख्या बढाई जायेगी।

18. प्रत्यक्ष स्वच्छताः

ग्राम पंचायत में आमतौर पर साफ–सफाई की व्यवस्था बनी रहे और लोग गंदगी को अव्यवस्थित तरीके से इधर–उधर न फेंके, यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :–

(i) मुख्य मार्गों एवं बाजार के क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मियों द्वारा दिन में कम से कम 01 बार झाड़ू से सफाई की व्यवस्था।

(ii) मुख्य मार्गों व व्यावसायिक/बाजार के क्षेत्रों में नियत स्थान पर कूड़ेदान/डम्पस्टर रखना और इसकी नियमित सफाई करना।

(iii) बाजार में दुकानदारों से एवं ठेले, खोमचे वालों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना कि दुकान, ठेले आदि पर उत्पन्न हो रहे कूड़े को बोरी अथवा कन्टेनर में एकत्रित करना और उसे डम्पस्टर में ले जाकर डालना।

(iv) शनिवार व रविवार को ग्राम पंचायत में विशेष स्वच्छता व सेनीटाईजेशन का कार्यक्रम पंचायत द्वारा तैनात सफाई कर्मी व अतिरिक्त मजदूरों को लगाकर कराया जाएगा।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में ओ.डी.एफ. प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः–अपशिष्ट एकत्रीकरण केन्द्र (यार्ड)

भवदीय

22.6.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः–तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का ले–आउट (1000 –1500 **sq meter**)

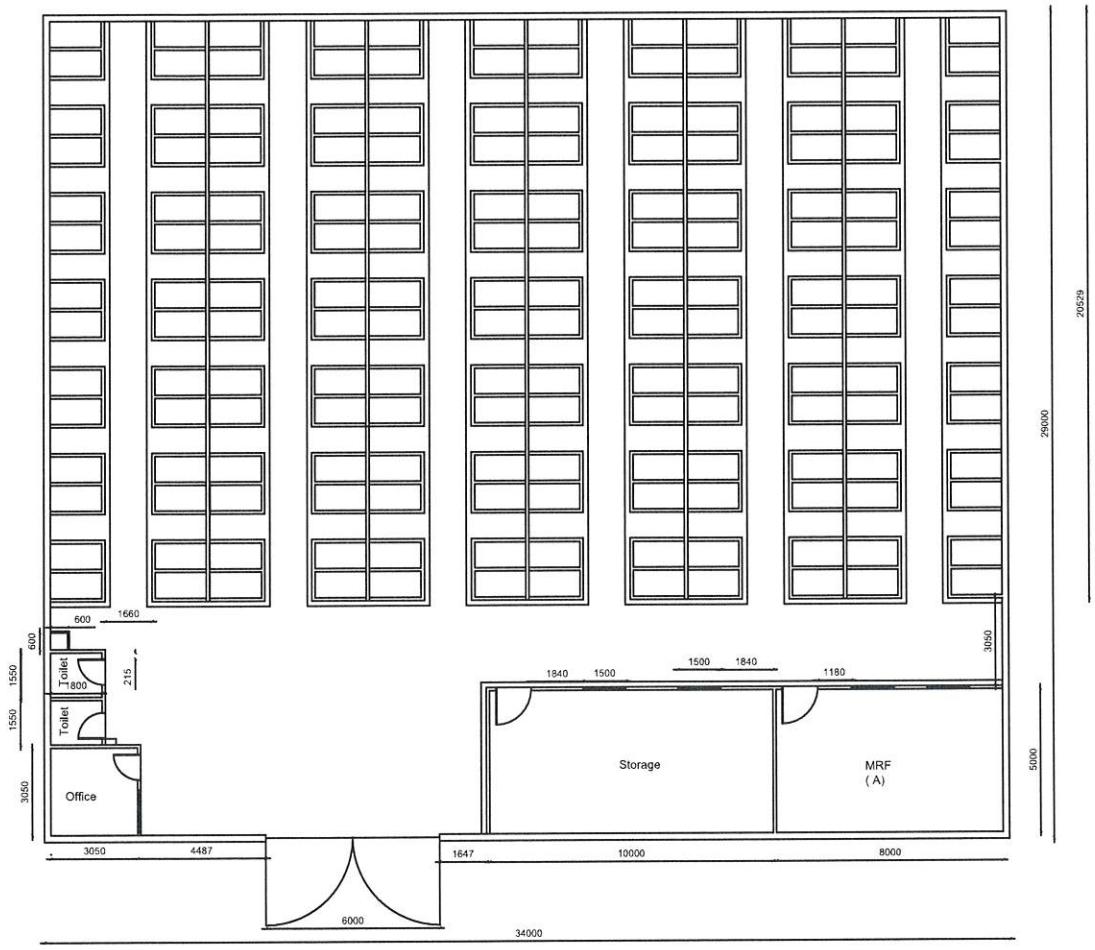

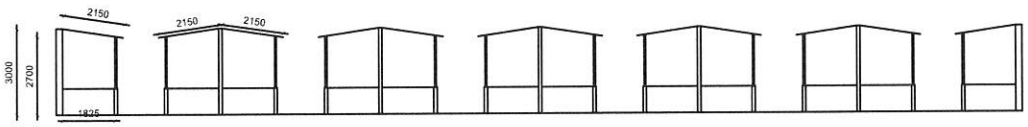

Elevation of Vermicompost Shed

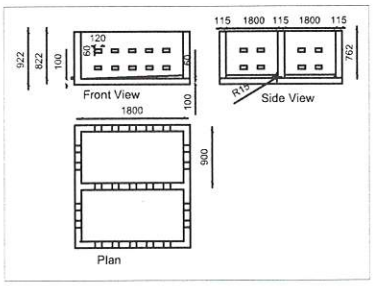

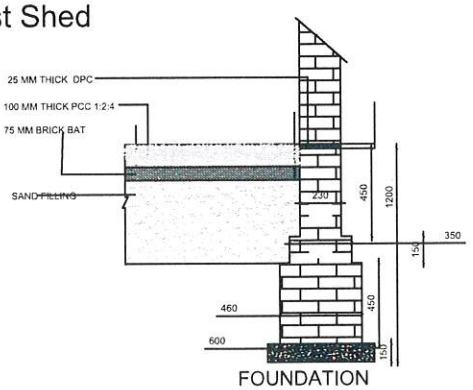

FOUNDATION

Uttar Pradesh Swachh Bharat Mission Grameen	SCALE NOT TO SCALE (N.T.S) ALL DIMENSIONS ARE IN MM	DATE 07/06/2021	DRG. NO: R1/IDC/ D2-D एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र Drawn By: IDC इंडियन डेवेलपमेंट सेंटर INDIAN DEVELOPMENT CENTER	**Uttar Pradesh State Resource Center for Waste Management (SRC)** 4th Floor, Room No. 404 & 403 Local Bodies Directorate, Plot No. 18, Sector 7, Gomti Nagar Extension, Lucknow- 226010, Uttar Pradesh, India connect@indevcen.org

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का मॉडल आगणन

DETAILED ESTIMATE FOR THE PROPOSED CONSTRUCTION OF INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT CENTER							
DETAILS OF MEASUREMENT							
S.NO	**ITEMS**	**NO.**	**LENGTH**	**BREADTH**	**HEIGHT**	**QUANTITY**	**UNIT**
(A)	**EXCAVATION**						
1	Excavation in soil mixed with Moorum, shingle. Kankar etc. requiring the use of special T&P. such as piclaxes, sabbals etc.						
	Premises wall foundation excavation	1	258.556	0.6	1.065	165.217284	
	Floor excavation	1	975.795		0.54	526.9293	
						692.146584	Cu.M.
(B)	**FOUNDATION**						
2	Providing and laying Cement concrete 1:6:12(1 cement ; 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40 mm.nominal size) including supply of all materials,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete,also including formwork in foundation & floors.	1	258.556	0.6	0.1	15.51336	Cu.M.
3	First Class brick work in 1 : 6 cement and fine sand of 1.25 F.M. mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work						
		1	258.556	0.46	0.45	53.521092	
		1	258.556	0.35	0.15	13.57419	
		1	258.556	0.23	0.45	26.760546	
						93.855828	Cu.M.
(C)	**FLOORING**						
4	Sand filling in plinth excluding supply of necessary quantity of sand from a distance not exceeding 8 km. (5 miles) from the site of	1	25.58	33.44	0.465	397.758768	Cu.M.

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का मॉडल आगणन

	work and including watering, ramming, dressing etc. rate to including materials, labour and T & P etc.required for proper completion of the work						
5	Brick bats filling in floor watering, well ramming etc	1	25.58	33.44	0.075	64.15464	Cu.M.
6	Providing and laying Cement concrete 1:6:12(1 cement ; 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40 mm.nominal size) including supply of all materials,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete,also including cost formwork in foundation & floors.	1	25.58	33.44	0.1	85.53952	Cu.M.
(D)	**INCLINED FLOORING IN PITS**						
7	Providing and laying Cement concrete 1:6:12(1 cement ; 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40 mm.nominal size) including supply of all materials,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete,also including cost of formwork in foundation & floors.	84	2.194	2.063	0.13	49.42634424	Cu.M.
(E)	DAMP PROOF COARSE						
8	2 cm. (3/4") thick damp proof course with cement and approved coarse sand 1:2 with and including water proofing materials as ordered by the Engineerin charge in the proportion as specified by the manufacturers including supply of all material, labour and T&P etc., required for proper completion of the work including proper curing and shuttering asnecessary.	1	126.03	0.23		28.9869	Sq.M.

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का मॉडल आगणन

(F)	**BRICKWORK**						
9	First Class brick work in 1 : 6 cement and fine sand of 1.25 F.M. mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work.						
	Pair of pits with 2 breadth walls sharing with premises walls	72	7.503	0.101	0.11	6.00179976	
	Pair of pits with 1 Length wall and 2 breadth walls sharing with premises walls	12	5.6	0.101	0.11	0.746592	
	Premises walls	1	126.03	0.23	0.11	3.188559	
	Toilets wall	1	6.098	0.101	0.11	0.06774878	
	Deduction						
	Gate(-)	2	0.914	0.101	0.11	0.02030908	
	Storage walls	1	26.87	0.101	0.11	0.2985257	
	Deductions						
	Windows(-)	8	1.524	0.101	0.11	0.13545312	
	Gate(-)	1	1.828	0.101	0.11	0.02030908	
	Office walls	1	6.356	0.101	0.11	0.07061516	
	Deductions						
	Windows(-)	1	1.53	0.101	0.11	0.0169983	
	Door(-)	1	0.914	0.275	0.11	0.0276485	
	Shade Support Brick Work	5	20.718	0.101	0.11	1.1508849	
						11.30400722	Cu.M.
	Superstruture						
10	First Class brick work in 1 : 6 cement and fine sand of 1.25 F.M. mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work.						
	Outer wall Backside	1	33.52	0.23	3.04	23.44	

मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (A) का ले–आउट

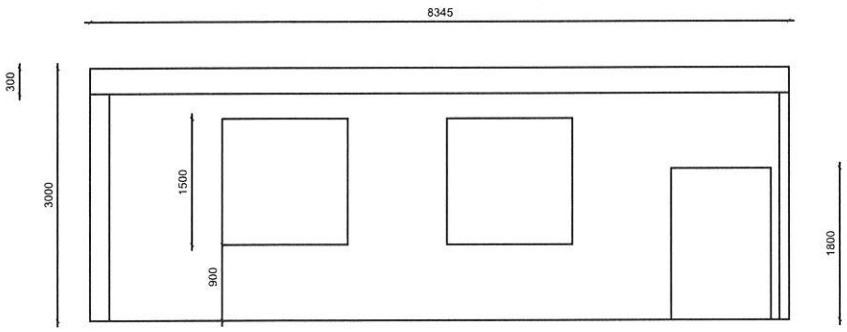

Front Elevation of MRF

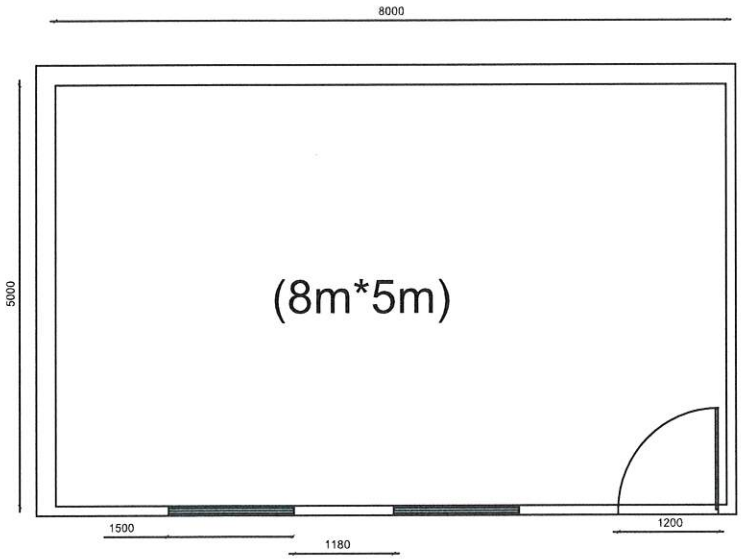

Plan of MRF

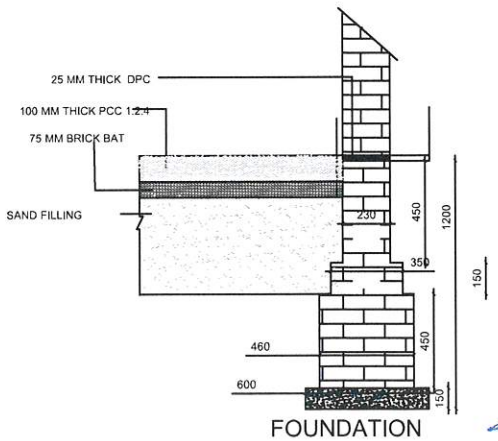

FOUNDATION

Uttar Pradesh Swachh Bharat Mission Grameen	SCALE NOT TO SCALE (N.T.S) ALL DIMENSIONS ARE IN MM	DATE 07/06/2021	DRG. NO: R1/IDC/ D2-E मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी Drawn By: IDC इंडियन डेवेलपमेंट सेंटर INDIAN DEVELOPMENT CENTER	**Uttar Pradesh State Resource Center for Waste Management (SRC)** 4th Floor, Room No. 404 & 403 Local Bodies Directorate, Plot No. 18, Sector 7, Gomti Nagar Extension, Lucknow- 226010, Uttar Pradesh, India connect@indevcen.org

संख्या–4076/33–3–2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी, 2023

विषयः– ग्राम पंचायतों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1040/33–3–2021–116/2020 दिनांक 22.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र के निर्माण के लिए 1500 वर्ग मीटर की भूमि चयनित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1500 वर्ग मीटर भूमि की उपलब्धता न होने एवं इतनी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न न होने की स्थिति में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र हेतु न्यूनतम भूमि के क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए 480 वर्ग मीटर की स्वीकृति प्रदान जाती है।(प्रारूप संलग्न)

अतः इस प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु चयनित समस्त ग्राम पंचायतों में स्थान की उपलब्धता एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापरक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र/आर.आर.सी. सेन्टर का निर्माण कराने तथा ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. प्लस करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

11.1.23

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
संयुक्त सचिव।

Amit Srl.

2256805/2022/ -3

2256805/2022/ -3

Details of Measurement (ISWMC CENTRE)

Construction of Integrated Solid Waste Mangement Centre District-Kanpur nagar

S.No.	Particulars	No.		Length	width	H/Depth	Quantity	Unit
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	E/W in excavation in trenches for found. Pipes cable etc in ordinary soil i/c lift upto 1.5 m. Lead upto 50 m and dressing of of sides and ramming of bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by E/I within a lead of 50m. S.I. No. 251							
	Tin Shed	1	14	0.90	0.90	0.90	10.21	cum
		1	2	15.62	0.60	0.60	11.25	cum
		1	2	8.32	0.60	0.60	5.99	cum
		1	2	4.02	0.60	0.60	2.89	cum
		1	2	1.57	0.60	0.60	1.13	cum
						Total	31.47	cum
2	P/L of cement concrete 1:6:12(1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size) and curing complete i/c cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273							
		1	16	0.90	0.90	0.10	1.30	cum
		1	2	15.62	0.60	0.075	1.41	cum
		1	2	8.32	0.60	0.075	0.75	cum
	Floor	1	1	14.79	8.69	0.075	9.64	cum
						Total	13.09	cum
	dedution	1	16	0.60	0.60	0.10	0.58	cum
						Total		cum
3	Laying of CC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work							
		1	16	0.90	0.90	0.30	3.89	cum
		1	16	0.60	0.60	0.30	1.73	cum
		1	16	0.45	0.45	0.30	0.97	cum
		1	1	14.79	8.69	0.050	6.43	cum
						Total	13.01	cum
4	Providing and laying of Corrugate G I sheet Roofing i/c all the complete work (1mm) As per MR							
		1	2	15.25	4.95		150.975	sqm
		1	1	15.25	0.30		4.575	sqm
						Total =	155.550	sqm
5	S/Fixing of mild steel squire Hollow Pipe							
	139.7 OD X 3.6MM	1	16	3.05			48.80	Rm
			1	48.80	12.10 kg/Rm		590.48	Kg
	50 X 50 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW	1	6	9.15			54.90	Rm
		2	6	4.65			55.80	Rm
		6	4	0.30			7.20	Rm
		6	4	0.45			10.80	Rm
		6	4	0.75			18.00	Rm
		6	4	0.90			21.60	Rm
		6	6	1.20			43.20	Rm
		1	6	0.90			5.40	Rm
							216.90	Rm

Rate has been taken as per received from SBM mHs.

			1	216.90	4.39 kg/Rm		952.19	Kg
						Total =	1542.67	Rm
	M/S Iron Plate	4	14	0.20	0.20	31.40	70.34	Kg
						G. Total	1613.01	Kg
6	M150 Class B/w in 1:6 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Foundation							
		2	1	15.48	0.46	0.15	2.14	cum
		2	1	8.46	0.46	0.15	1.17	cum
		2	1	15.37	0.35	0.15	1.61	cum
		2	1	8.57	0.35	0.15	0.90	cum
		2	1	15.25	0.23	0.45	3.16	cum
		2	1	8.69	0.23	0.45	1.80	cum
		2	1	15.37	0.23	0.45	3.18	cum
		2	1	8.81	0.23	0.45	1.82	cum
		1	2	3.88	0.46	0.15	0.54	cum
		1	2	1.71	0.46	0.15	0.24	cum
		1	2	3.77	0.35	0.15	0.40	cum
		1	2	1.82	0.35	0.15	0.19	cum
		1	2	3.65	0.23	0.30	0.50	cum
		1	2	1.94	0.23	0.30	0.27	cum
						Total =	17.91	cum
7	M150 Class B/w in 1:4 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Super structure							
		2	1	15.25	0.23	1.50	10.52	cum
		2	1	8.69	0.23	1.50	6.00	cum
		1	1	3.65	0.115	3.00	1.26	cum
		1	1	3.65	0.23	1.50	1.26	cum
		1	1	2.40	0.115	3.00	0.83	cum
		1	1	2.40	0.23	1.50	0.83	cum
	Chamber wall for segrigated wast	1	9	1.50	0.115	1.20	1.86	cum
	Chamber wall for segrigated wast	1	1	17.84	0.115	0.60	1.23	cum
		1	4	3.00	0.115	0.90	1.24	cum
		1	1	9.45	0.115	0.60	0.65	cum
						Total =	25.68	cum
	deduction	1	1	3.00	0.23	1.50	1.04	cum
		1	1	0.90	0.23	2.00	0.41	cum
		1	1	0.75	0.23	0.75	0.13	cum
						Total =	24.10	cum
8	12mm thick Plaster in 1:4 cement and f/sand mortor i/c all the complete work							
		2	1	15.25		1.50	45.75	sqm
		2	1	9.15		1.50	27.45	sqm
		2	1	14.79		1.50	44.37	sqm
		2	1	8.69		1.50	26.07	sqm
		1	2	3.65		3.00	21.90	sqm
		1	2	3.65		1.50	10.95	sqm
		1	2	2.40		3.00	14.40	sqm
		1	2	2.40		1.50	7.20	sqm
		2	9	1.50		1.20	32.40	sqm
		2	1	17.84		0.60	21.41	sqm
		2	4	3.00		0.90	21.60	sqm
		2	1	9.45		0.60	11.34	sqm

2256805/2022/ -3

						Total =	284.84	sqm
	deduction	1	2	3.00		1.50	9.00	sqm
						Total =	275.84	sqm
9	Laying of RCC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar l/c all the complete work							
		1	1	3.65	2.40	0.10	0.88	cum
10	S/o MS Iron Angle Gate	1	1				1.00	No
11	S/o Submersible pump	1	1	1.00			1.00	Job
12	S/Fixing of MS Iron Angle Gate	1	1	1.00			1.00	Job
13	Finshing of wall with one priming coat & two coat oil destemper on new work l/c all the complete wor	1	1	As per same qty item no. 08			275.84	sqm
14	Provision for Photography		1				1	Job
15	interlocking brick work for drying area	1	1	12.2	3.048		37.1856	sqm
16	rcc pillers	1	42				42	unit
17	iron fencing wire	1	5	79.25			396.25	m
18	soak pit	1	1	1			1	unit
19	S/Fixing of MS Iron Angle Gate in rcc pillers for main entrance	1	1	1			1	unit

2256805/2022/ -3

Consumption of material

S.NO	ITEM	Qtty	Cement	C/sand	M 150 Brick	20mm S/B	f/sand	40mm B/B
1	Laying of CC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work	13.01	86.67	5.86		11.71		
2	P/L of cement concrete 1:6:12(1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size) and curing complete i/c cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273	13.09	29.58				6.15	13.09
3	M150 Class B/w in 1:6 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Foundation	17.91	22.56	4.84	8237.70			
4	M150 Class B/w in 1:4 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Super structure	24.10	44.59	6.51	11087.26			
5	12mm thick Plaster in 1:4 cement and f/sand mortor i/c all the complete work	275.84	30.34				4.14	
6	Laying of RCC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work	0.88	5.83	0.39		0.79		
	Total		219.59	17.59	19324.96	12.50	10.29	13.09
	Say		220.00	17.60	19324.00	12.50	10.30	13.00
			Bag	cum	No.	cum	cum	cum

2256805/2022/ -3

Bill of quantity

Material cost

S.No.	Name of Item	Qtty	Unit	Rate	Amount
1	S/o cement	220.00	Bag	364.80	80256.00
2	S/o C/sand	17.60	cum	2056.20	36189.12
3	S/o f/sand	10.30	cum	1592.00	16397.60
4	S/o 40mm B/Ballast	13.00	cum	1207.50	15697.50
5	S/o 20mm S/Ballast	12.50	cum	2771.20	34640.00
6	Providing and laying of Corrugate G I sheet Roofing i/c all the complete work (1mm) As per MR	155.55	sqm	950.00	147772.50
7	S/Fixing of mild steel squire Hollow Pipe	1613.01	Kg	75.52	121814.29
8	S/o M150 Brick	19324.00	no.	7.14	137973.36
9	S/o MS Iron Angle Gate	1.00	no.	L-S	23000.00
10	S/o Submersible pump 1.5 hp	1.00	Job	L-S	15000.00
11	Electricfication work	1.00	Job	L-S	15000.00
12	S/Fixing of MS Iron Angle Gate Door and Window	1.00	Job	L-S	4500.00
13	Finshing of wall with one priming coat & two coat oil destemper on new work i/c all the complete wor	275.84	sqm	89.60	24715.08
14	Miscellanous work	1.00	Job	L-S	15000.00
15	Provision for Photography	1	Job	300.00	300.00
16	interlocking brick work for drying area	37.1856	sqm	1285.00	47783.50
17	rcc pillers (with all grouting work)	42	unit	800.00	33600.00
18	iron fencing wire	396.25	m	7.50	2971.88
19	soak pit	1	unit	12000.00	12000.00
20	main entrance gate	1	unit	40000.00	40000.00
				Total	824610.82

Labour cost

S.No.	Name of Item	Qtty	Unit	Rate	Amount
1	E/W in excavation in trenches for found. Pipes cable etc in ordinary soil i/c lift upto 1.5 m. Lead upto 50 m and dressing of of sides and ramming of bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by E/I within a lead of 50m. S.I. No. 251	31.47	cum	118.18	3718.84
2	P/L of cement concrete 1:6:12(1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size) and curing complete i/c cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273	13.09	cum	590.00	7723.09
3	Fixing of mild steel circular Hollow Pipe with CC 1:2:4 cement, C/sand & 20mm S/Ballast Mortar i/c all the complete work.	13.01	cum	840.00	10931.97
4	M150 Class B/w in 1:6 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Foundation	17.91	cum	860.00	15400.92
5	M150 Class B/w in 1:4 cement and c/sand mortor i/c all the complete work Super structure	24.10	cum	1160.00	27959.17
6	12mm thick Plaster in 1:4 cement and f/sand mortor i/c all the complete work	275.84	sqm	94.00	25928.77

2256805/2022/ -3

7	Laying of CC 1:2:4 cement, c/sand & 20mm S/Ballast mortar i/c all the complete work	13.01	cum	1550.00	20172.10
				Total	**111834.87**

SUMMARY OF COST		
Construction of [illegible]		
S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	111834.87
2	Material Cost	824610.82
	Total	936445.69
3	Contingency @2%	18728.9138
4	GST @18%	168560.2242
5	Less 5% due to work done by department	-46822.2845
6	Centage @12.5%	117055.7113
7	Add labour Welfare Cess @1%	9364.4569
8	Value Depreciation @1.5%	14046.68535
		1217379.397
	Say	12.18 lakh

संख्या–1353 /33–3–2022–116/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2022

विषय–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 के स्थायित्व एवं ओ0डी0एफ0 प्लस की गतिविधियों को ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों का डिजाईन एवं स्टीमेट के संबंध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 के स्थायित्व एवं ओ0डी0एफ0 प्लस की गतिविधियों का क्रियान्वयन प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित प्रबन्धन हेतु किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित प्रबन्धन हेतु तकनीकी विकल्पों का डिजाईन इस्टीमेंट एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित मार्ग–दर्शिका तैयार कर प्रदेश के समस्त जनपदों एवं विकास खण्डों में उपलब्ध कराया गया है। उसमें समस्त सम्भावित तकनीकी विकल्पों का यूनिट इस्टीमेंट कास्ट निर्धारित किया गया है। तकनीकी विकल्पों का विवरण व यूनिट लागत निम्नवत हैः–

क्र0सं0	तकनीक का नाम	मार्ग–दर्शिका में पृष्ठ सं0	लागत (रूपये में)
1	व्यक्तिगत शौचालय	संलग्नकः01	12000.00 (प्रोत्साहन धनराशि)
2	सामुदायिक शौचालय	संलग्नकः02	385000.00
3	व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढ़ा (1.2 मी. व्यास और 1 मी. गहराई)	48–50	4050.00
	सामुदायिक सोख्ता गड्ढ़ा (2.5 मी. व्यास और 1.6 मी. गहराई)	50–51	14950.00
	व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढ़ा (1.7 मी. व्यास और 1.25 मी. गहराई)	52–53	6275.00
	सामुदायिक सोख्ता गड्ढ़ा (2.7 मी. व्यास और 3 मी. गहराई)	54	22650.00
4	सामुदायिक कम्पोस्ट पिट	23–24	2225.00
5	विन कम्पोस्टिंग	25–26	300.00
6	नाडेप कम्पोस्टिंग	27–28	5300.00
7	हीप कम्पोस्टिंग	30–31	33100.00
8	वर्मी कम्पोस्टिंग	34–36	29300.00
9	गोबरधन	37–38	50,00000.00
10	प्लास्टिक मैनेजमेंट	40–43	16,00000.00
11	डब्लू.एस.पी.	57–60	373225.00

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत ठोस एवं तरल के उचित प्रबन्धन हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों की मार्ग–दर्शिका में इस्टीमेंट का विकल्पवार दर निर्धारित किया गया है। उपरोक्त कार्यों को करने के लिए प्रश्नगत मार्ग–दर्शिका के डिजाइन व स्टीमेट के अनुसार उसे यूनिट कास्ट मानते हुए कार्य किया जाएगा इसके लिए अलग से स्टीमेट व डिजाइन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार वर्णित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत कार्यपूर्ति रिपोर्ट प्राप्त कर भुगतान किया जा सकेगा।

तदनुसार कार्य को क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह) 29.6.22
अपर मुख्य सचिव।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त **जिला पंचायतराज अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/1351/2022–5/35/2022 लखनऊ दिनांकः 21 नवम्बर, 2022

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 16.11.2022 को बरेली मण्डल का भ्रमण SBM टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

कार्यक्रम के दौरान इण्डियन वेटनरी रिसर्च इंस्टिट्यूट (आई0वी0आर0आई0), बरेली द्वारा निर्मित वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट्स का भ्रमण एवं विशेषज्ञों के साथ निर्माण विधि के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। आई0वी0आर0आई0, बरेली के विशेषज्ञों के अनुसार वर्मी कम्पोस्टिंग बेड्स की उंचाई अधिकतम 18 इंच (ईंट के 04 से 05 रद्दे तक) ही होनी चाहिये, अन्यथा केचुओं की मृत्यु होने की संभावना रहती है। कम्पोस्टिंग बेड के बेस (फर्श) को पक्का न बनाकर कच्ची पी0सी0सी0(ईंट बिछाकर) की जानी चाहिये, साइड वॉल्स की मोटाई 4.5 इंच की होनी चाहिये। वर्मी कम्पोस्टिंग बेड्स को एक साथ न जोड़कर अलग–अलग निर्मित किया जाना चाहिये, जिससे कि बेड के अन्दर बायोमास व केचुओं को समुचित प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके तथा खाद बनने के उपरान्त उसे आसानी से बिना बेड के अन्दर घुसे ही आसानी से चारो ओर घूमकर निकाला जा सके।

उपरोक्त के दृष्टिगत पूर्व में भेजी गई वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट की ड्रॉइंग के स्थान पर नवीन मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसके लेआउट को जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति के अनुसार संशोधित कराया जा सकता है।

उपरोक्त वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट की मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट को शेड के साथ दर्शाया गया है, जिसके अनुसार इसकी कॉस्ट लगभग रू0 57,600/– है। यदि इन वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट का निर्माण आर0आर0सी0 के शेड अथवा किसी छायादार वृक्ष के नीचे कराया जा रहा हो तो उपलब्ध कराये जा रहे डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट में दर्शाये गये शेड निर्मित कराने की आवश्यकता नहीं है। शेड निर्माण न कराये जाने की स्थिति में संलग्न एस्टीमेट के मेजरमेंट के बिन्दु संख्या–1, 2, 5 व 6 में पिलर फाउन्डेशन/पिलर्स तथा बिन्दु संख्या–7 व 8 को हटा दिया जायेगा। तद्क्रम में वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट की बिल ऑफ क्वांटिटी की भी संशोधित होकर रू0 17,567/– होगी।

अतः उपरोक्तानुसार वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तद्दैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

अतः उपरोक्तानुसार वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तद्दैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

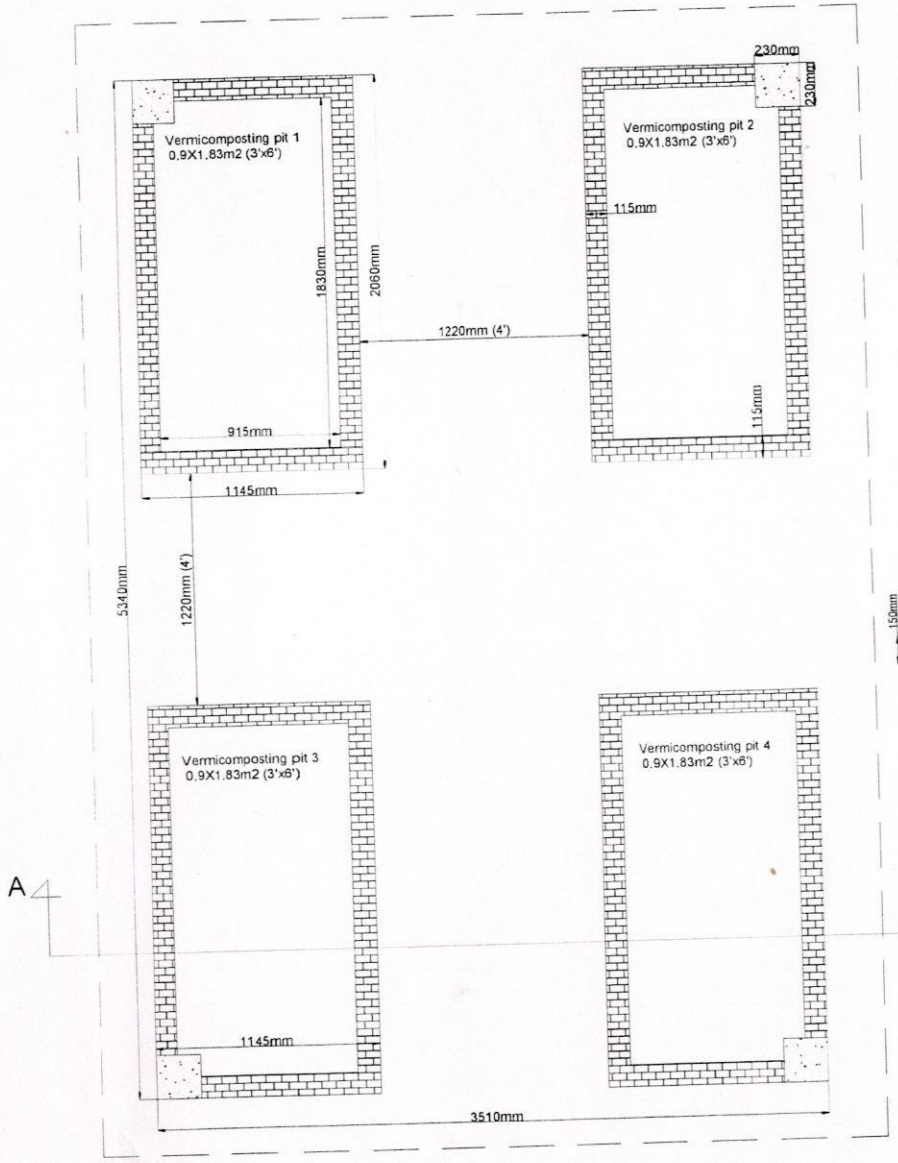

PLAN

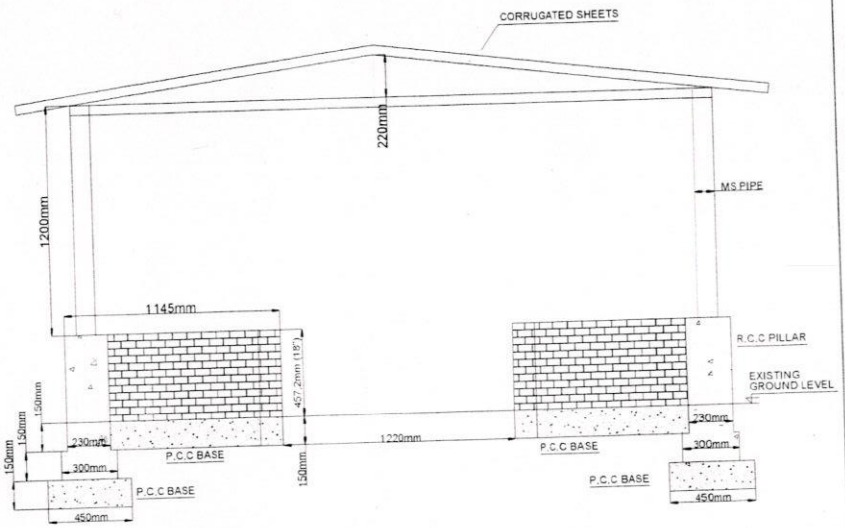

CROSS-SECTION A-A

General Notes

No.	Revision/Issue	Date

Firm Name and Address

Panchayati Raj
Gramin Jalapurti
Prakoshth

Project Name and Address

VERMICOMPOSTING TECHNIQUE

Project	Sheet
SBM	00
Date: 21-11-2022	
Scale: 1:1	

अभिषेक दत्ता
स्टेट कन्सलटेन्ट
ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ
पंचायती राज उ0प्र0

Measurement of Vermi Composting

S.no	Item of Work	Nos	Measurement			Quantity	Unit
			L	B	D/H		
1	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam, Clay or Sand) including lift upto 1.50 m and lead upto 30 m and including filling watering and ramming of excavated earth into trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by Engineer In-Charge upto distance of 30m from the foundation trenches. as per Ref 2.1.1 DAR						cum
	L/W	8	2.06	0.15	0.15	0.3708	
	S/W	8	0.915	0.15	0.15	0.1647	
	pillar foundation	4	0.45	0.45	0.45	0.091125	
						0.626625	
2	Providing and laying Cement Concrete in 1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size) and curring complete, including cost of form work. in foundation as per Ref 4.1.10 DAR						cum
	L/W	8	2.06	0.15	0.15	0.3708	
	S/W	8	0.915	0.15	0.15	0.1647	
	pillar foundation	4	0.45	0.45	0.15	0.030375	
						0.565875	
3	Class-150 (Non Modular) brick work in 1:6 Cement and Coarse sand mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per Ref 6.1.2 DAR						cum
	L/W	8	2.06	0.115	0.46	0.871792	
	S/W	8	0.915	0.115	0.46	0.387228	
						1.25902	
4	Brick on edge flooring with bricks of class-150 on a bed of 12 mm cement mortar, including filling the joints with same mortar, with common burnt clay non modular bricks 1:6(1 cement:6 coarse sand						sqm
		4	1.83	0.915		**6.6978**	

Measurement of Vermi Composting

S.no	Item of Work	Nos	Measurement			Quantity	Unit
			L	B	D/H		
5	12mm. Thick plaster with cement mortar in proportion of 1:6 cement & fine sand of 1.25 F.M of single coat on top of walls and pillars as per Ref 13.1.2 DAR						sqm
	L/W	8	2.06	0.115		1.8952	
	S/W	8	0.915	0.115		0.8418	
	pillars	4	0.46	0.92		1.6928	
						4.4298	
6	Reinforced Cement concrete wok in pillars 1:1.5:3 Refer 5.2.2 DAR						cum
	pillar foundation	4	0.3	0.3	0.15	0.054	
		4	0.23	0.23	0.15	0.03174	
		4	0.23	0.23	1	0.2116	
						0.29734	
7	Providing and fixing hand rail of approved size by welding etc. including applying priming coat of approved steel primer as per DAR No 10.26.1						kg
	100mm dia vertical tube	4	1.2		9.89	47.472	
	50mm dia	2	4		5.1	40.8	
		2	3.51		5.1	35.802	
		2	5.34		5.1	54.468	
	40mm dia purlin	4	5.34		3.6	76.896	
						255.438	
8	Providing reinforced by organic fibes and/or inorganic synthetic fibres cement 6mm thick corrugated sheets roofing up to any pitch and fixing with polymer coated J, or L hooks, bolts and nuts 8mm dia GI plain and bitumen washers or with self drilling fastener and EPDM washers etc. complete (excluding the cost of purlins, rafters and trusses), including cutting sheets to size and shape wherever required						sqm
		1	4.11	5.94		**24.4134**	

BILL OF QUANTITY

S.no	Item of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam, Clay or Sand) including lift upto 1.50 m and lead upto 30 m and including filling watering and ramming of excavated earth into trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by Engineer In-Charge upto distance of 30m from the foundation trenches. as per Ref 2.1.1 DAR	cum	0.626625	156	97.7535
2	Providing and laying Cement Concrete in 1:3:6 (1 Cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size) and curring complete, including cost of form work. in foundation as per Ref 4.1.10 DAR	cum	0.565875	6554	3708.745
3	Class-150 (Non Modular) brick work in 1:6 Cement and Coarse sand mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per Ref 6.1.2 DAR	cum	1.25902	6781	8537.415
4	Brick on edge flooring with bricks of class-150 on a bed of 12 mm cement mortar, including filling the joints with same mortar, with common burnt clay non modular bricks 1:4(1 cement:4 coarse sand	sqm	6.6978	750	5023.35

BILL OF QUANTITY

S.no	Item of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
5	12mm. Thick plaster with cement mortar in proportion of 1:6 cement & fine sand of 1.25 F.M of single coat on top of walls as per Ref 13.1.2 DAR	sqm	4.4298	150	664.47
6	Reinforced Cement concrete wok in pillars 1:1.5:3 Refer 5.2.2 DAR	cum	0.29734	8815	2621.052
7	Providing and fixing hand rail of approved size by welding etc. including applying priming coat of approved steel primer as per DAR No 10.26.1	kg	255.438	113	28864.49
8	Providing reinforced by organic fibes and/or inorganic synthetic fibres cement 6mm thick corrugated sheets roofing up to any pitch and fixing with polymer coated J, or L hooks, bolts and nuts 8mm dia GI plain and bitumen washers or with self drilling fastener and EPDM washers etc. complete (excluding the cost of purlins, rafters and trusses), including cutting sheets to size and shape wherever required	sqm	24.4134	332	8105.249
	GRAND TOTAL				**57622.53**

-253.5

-2621.052

-28869.49

-8105.249

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/1004/2022–5/35/2022 लखनऊ दिनांकः08 सितम्बर, 2022

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई–रिक्शा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत एस0बी0एम0जी0 टीम द्वारा मिशन निदेशक की अध्यक्षता में मण्डलीय भ्रमण किया जा रहा है। जिसमें ओ0डी0एफ0 कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई–रिक्शा का क्रय किया जाना है। अधिकांश जनपदों द्वारा उक्त वेस्ट कलेक्शन ई–रिक्शा का स्पेसिफिकेशन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिसके क्रम में जेम पोर्टल व इण्डियामार्ट वेबसाईट पर उपलब्ध 500 किग्रा0 क्षमता एवं 300 किग्रा0 क्षमता के 02 अलग–अलग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई–रिक्शा के विस्तृत विनिर्देश (Specification) तैयार कर पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। प्रस्तावित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ई–रिक्शा जिसमें गुणवत्ता परक पार्टस, गारण्टी/वारण्टी, सर्विसिंग/मेनेटेन्स आदि की समुचित व्यवस्था हो को क्रय किया जा सकता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तद्दैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/1004/2022–5/35/2022 लखनऊ दिनांकः08 सितम्बर, 2022

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई–रिक्शा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत एस0बी0एम0जी0 टीम द्वारा मिशन निदेशक की अध्यक्षता में मण्डलीय भ्रमण किया जा रहा है। जिसमें ओ0डी0एफ0 कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई–रिक्शा का क्रय किया जाना है। अधिकांश जनपदों द्वारा उक्त वेस्ट कलेक्शन ई–रिक्शा का स्पेसिफिकेशन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिसके क्रम में जेम पोर्टल व इण्डियामार्ट वेबसाईट पर उपलब्ध 500 किग्रा0 क्षमता एवं 300 किग्रा0 क्षमता के 02 अलग–अलग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई–रिक्शा के विस्तृत विनिर्देश (Specification) तैयार कर पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। प्रस्तावित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ई–रिक्शा जिसमें गुणवत्ता परक पार्टस, गारण्टी/वारण्टी, सर्विसिंग/मेनेटेन्स आदि की समुचित व्यवस्था हो को क्रय किया जा सकता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तद्दैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

E-Rickshaw For Garbage Collection 500 kg

Product Specification

Loading Capacity	Upto 500 kg
Usage/ Application	Garbage Collection
Battery Type	Lead Acid / Lithium Ion
Motor Rating	1250 W
Warranty	Chassis & Tyres - 24 months, Motor & Controller - 6 months
No. of batteries required	4 (Lead Acid) / 1 (Lithium Ion)
Charger	48V 15A
Body Material	Mild Steel
Front Suspension Type	Telescopic Hydraulic Shock Absorbers
Rear SuspensionType	Leaf Springs (5 -Left, 5- Right)
Front Brakes Type	130 mm dia (Drum Type)
Rear Brake Type	160 mm dia (Drum Type)
Wheel Base	2160 mm
Country of Origin	Made in India
Max Speed	25 km/hr
Wheel Size	3.75 inch x 12 inch
Motor Type	BLDC Geared
Speedometer	Analog with Trip Meter
Ground Clearance	180 mm
Starting System	Push Stop Start Button
No. of wheels	3+Stepney
Seating Capacity	1
Power Source	Battery Operated
Vehicle Dimensions (L x W x H)	2790 mm x 990 mm x 1730 mm
Container Dimensions	5 ft x 3.25 ft x 3.25 ft
Gross Vehicle Weight	810 kg
KMs driven per charge	60 km/ 80 km/ 100 km/ 120 km (basis battery type and capacity chosen)
Drive Train	Motor & Controller Operated
System Voltage	48V
Controller Rating	48V 50A
Differential Size	33 inch
Body Type	Mild Steel
Roof type	Mild Steel
Front Type	Glass Front
Standard Rim	Included
Headlamps	Halogen (1 in no.)
Tail Lights	LED (2 in no.)

Front & Rear Side Indicators	LED (8 in no.)
Steering Type	Stainless Steel Handlebar
Rear View Side Mirrors	2
Standard features	Side Curtains, Foot Mats, Cabin Light, Hand Holds, Audio/Infotainment System, Leatherette Seats
Safety features	Horn, Handbrake, Reverse Alarm, Jack, Toolkit, Fire Extinguisher, First Aid Kit
Mechanical Hydraulics	Optional
Electrical Hydraulics	Optional

E-Rickshaw For Garbage Collection 300 kg

Product Specification

Loading Capacity	Upto 300 kg
Usage/ Application	Garbage Collection
Battery Type	Lead Acid / Lithium Ion
Motor Rating	1000 W
No. of batteries required	4 (Lead Acid) / 1 (Lithium Ion)
Charger	48V 15A
Body Material	Mild Steel
Front Suspension Type	Telescopic Hydraulic Shock Absorbers
Rear SuspensionType	Leaf Springs (5 -Left, 5- Right)
Front Brakes Type	130 mm dia (Drum Type)
Rear Brake Type	160 mm dia (Drum Type)
Wheel Base	2160 mm
Country of Origin	Made in India
Ground clearance	180 mm
Max speed	25 km/hr
Motor type	BLDC Geared
Speedometer	Analog with Trip Meter
Starting system	Push Stop Start Button
Wheel size	3.75 inch x 12 inch
Loading Capacityy	300 kg
No. of wheels	3 + stepney
Seating Capacity	1
Vehicle Dimensions (L x W x H)	2790 mm x 990 mm x 1730 mm
Container Dimensions (L x W x H)	5 ft x 3.25 ft x 3.25 ft

Container Type	1 - Dry Waste, 1 - Wet Waste
Gross Vehicle Weight	810 kg
KMs driven per charge	60 km/ 80 km/ 100 km/ 120 km (basis battery type and capacity chosen)
Drive Train	Motor & Controller Operated
System Voltage	48V
Controller Rating	48V 50A
Differential Size	33 inch
Body Type	Mild Steel
Roof Type	Mild Steel
Front Type	Glass Front
Tyre Brand	TVS / CEAT / Ralco
Standard Rim	Included
Headlamps	Halogen (1 in. no.)
Tail Lights	LED (2 in no.s)
Front & Rear Side Indicators	LED (8 in no.s)
Steering Type	Stainless Steel Handlebar
Rear View Side Mirrors	2
Standard features	Side Curtains, Foot Mats, Hand Holds, Audio/Infotainment System, Leatherette Seats
Optional Accessories	Fog Light, Rain Wiper, GPS, Reverse Camera with LED Screen
Safety features	Horn, Handbrake, Reverse Alarm, Jack, Toolkit, Fire Extinguisher, First Aid Kit
Mechanical Hydraulics	Optional
Electrical Hydraulics	Optional

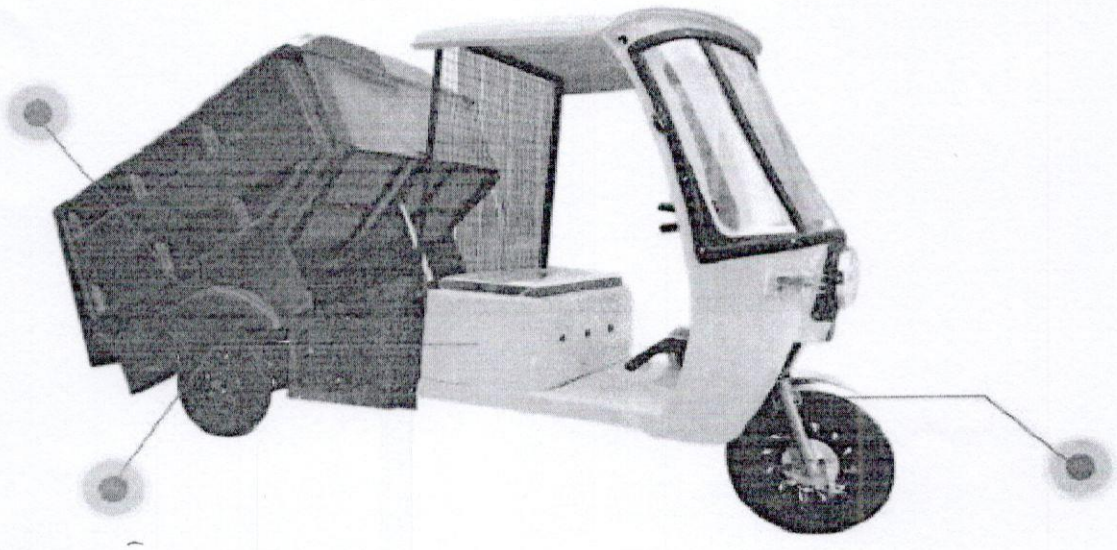

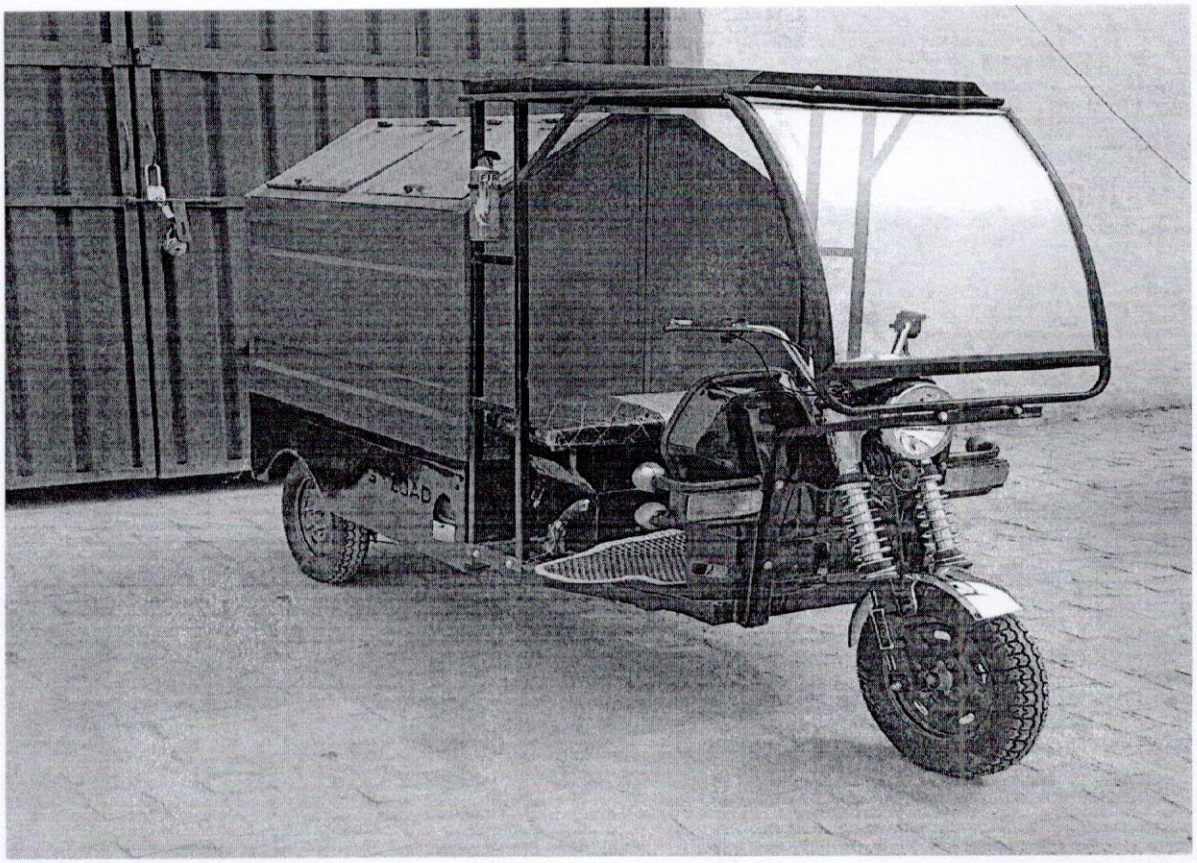

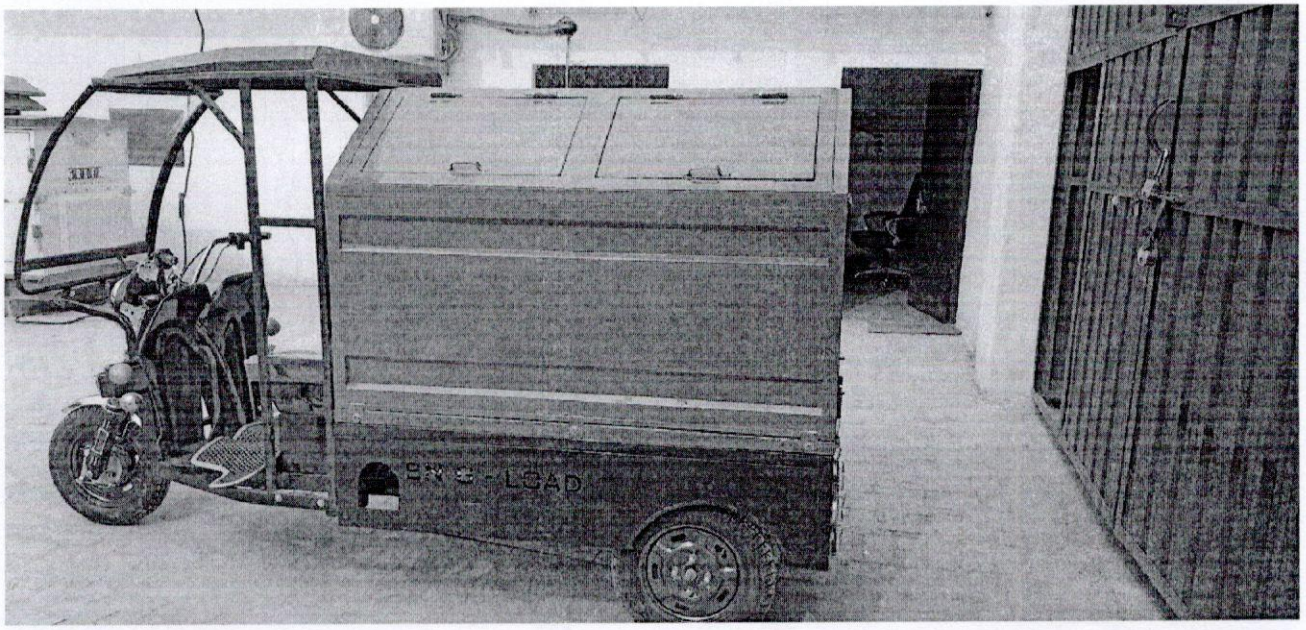
LOAD

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त **जिला पंचायतराज अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/931/2022–5/35/2022 लखनऊ दिनांकः 25 अगस्त, 2022

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत सिल्ट कैचर व फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 20 व 21.08.2022 को झांसी मण्डल का भ्रमण SBM टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों से वार्ता की गई, साथ ही क्षेत्र भ्रमण भी किया गया।

भ्रमण के दौरान डकोर ग्राम पंचायत, जालौन में सिल्ट कैचर/फिल्टर चेम्बर की लगाई गई तकनीक गलत थी, इस सम्बंध में पूर्व में भेजी गई ड्रॉइंग के अतिरिक्त नवीन मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसे जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति एवं बड़े/छोटे ड्रेनेज की आवश्यक्ता के अनुसार संशोधित कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार सिल्ट कैचर एवं फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/931/2022–5/ /20... लखनऊ दिनांक:25 अगस्त, 2022

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत सिल्ट कैचर व फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 20 व 21.08.2022 को झांसी मण्डल का भ्रमण SBM टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों से वार्ता की गई, साथ ही क्षेत्र भ्रमण भी किया गया।

भ्रमण के दौरान डकोर ग्राम पंचायत, जालौन में सिल्ट कैचर/फिल्टर चेम्बर की लगाई गई तकनीक गलत थी, इस सम्बंध में पूर्व में भेजी गई ड्रॉइंग के अतिरिक्त नवीन मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसे जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति एवं बड़े/छोटे ड्रेनेज की आवश्यक्ता के अनुसार संशोधित कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार सिल्ट कैचर एवं फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

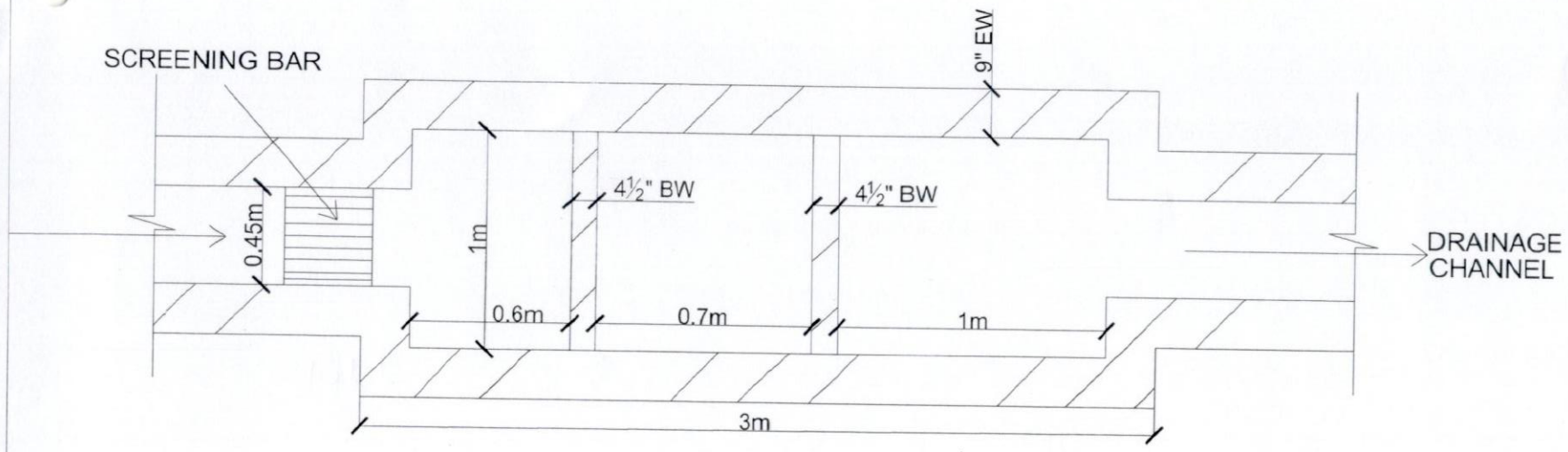

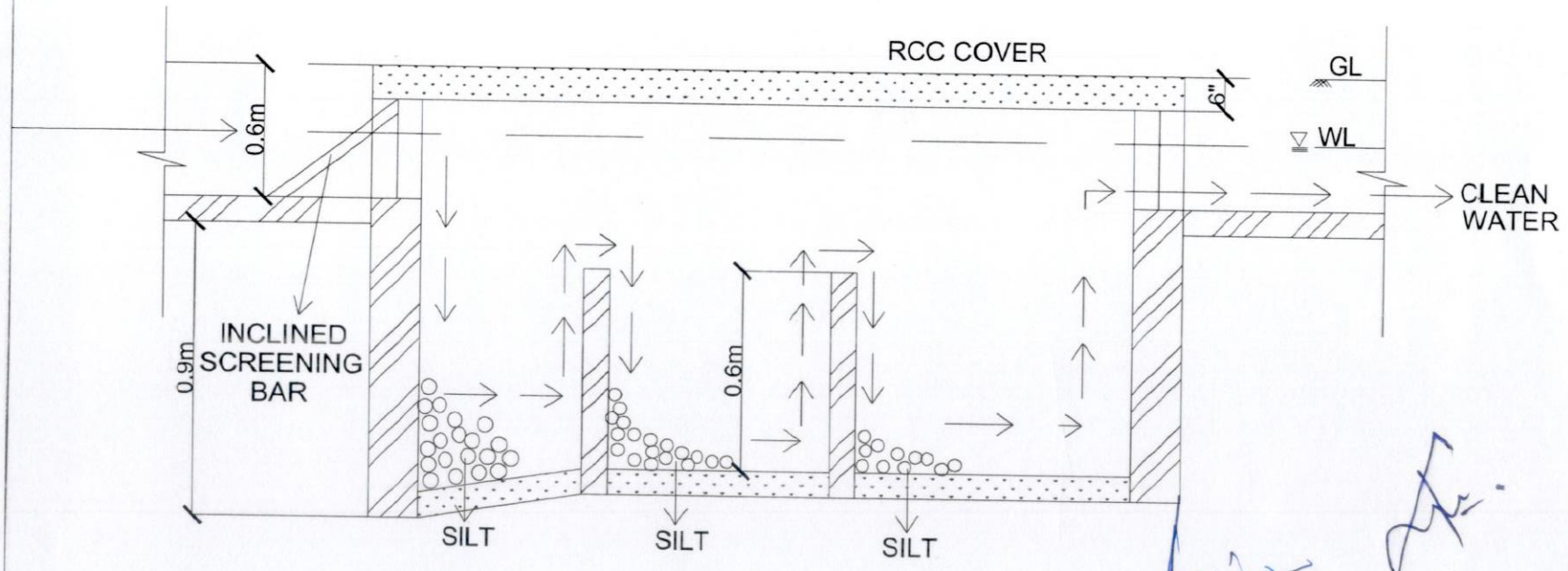

General Notes

No.	Revision/Issue	Date

Firm Name and Address
Panchayati Raj Gramin Jalapurti Prakoshth

Project Name and Address
Silt Chamber with 3 units

Project	Sheet
SBM-G	00
Date: 23-08-2022	
Scale: 1:1	

ABHISHEK DUTTA

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (जल)
पंचायती राज उ0 प्र0

Detail of measurement

Work Name :-Construction of Silt Chamber

S.NO	ITEM	No.	L	W	H	QTTY	UNIT
1	E/w excavation in foundation o/soil in drain i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	1.60	7.20	cum
					Total =	**7.20**	**cum**
2	CC in 1:6:12 cement, c/sand & 20mm s/ballast mortor i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	0.08	0.34	cum
					Total =	0.34	cum
3	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work Foundation						
		2	3.00	0.23	1.50	2.07	cum
		2	1.04	0.23	1.50	0.72	cum
		2	1.00	0.115	0.60	0.14	cum
		2	1.00	0.230	0.60	0.28	cum
					Total =	3.21	cum
	deduction	1	0.45	0.23	0.60	0.06	cum
		1	0.45	0.23	0.30	0.03	cum
					Total =	**3.12**	**cum**
5	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work						
		2	3.00		1.50	9.00	sqm
		2	1.04		1.50	3.12	sqm
		1	1.00		2.11	2.11	sqm
		4	1.00		0.60	2.40	sqm
					Total =	16.63	sqm
	deduction	1	0.45		0.60	0.27	sqm
		1	0.45		0.30	0.14	sqm
					Total =	16.22	sqm
6	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work						
		1	3.00	1.50	0.10	0.45	cum
					Total =	**0.45**	**cum**
7	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	1	0.45	0.785	1.20	**0.42**	**qtl**
8	S/o Screening Bar	1				**1.00**	**Job**
9	Provision for Photo graphy	1				1	Job

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0

ABHISHEK DOTTA.
(only drg. prepared)

Consumption of material

Work Name :-Construction of Silt Chamber

S.NO	ITEM	Qtty	Cement	C/Sand	M150 Brick	40 mm B/B	20 mm S/B	F/Sand
1	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete	3.12	5.77	0.84	1435.20			
2	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the	16.22	1.78	0.24				
3	Cc in 1:6:12 cement, c/sand & 40mm B/ballast mortor i/c all	0.34	0.77			0.34		0.16
4	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all	0.45	3.00	0.20			0.41	
		Total =	**11.32**	**1.29**	**1435.20**	**0.34**	**0.41**	**0.16**
		Say =	**11.00**	**1.30**	**1435.00**	**0.30**	**0.40**	**0.20**
			Bag	**cum**	**No.**	**cum**	**cum**	**cum**

महिम कुमार
स्टेट कन्सलटेन्ट (एल०एल०...)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0

ABHISHEK DUTTA
(only drg prepared).

Bill of quantity

Work Name :-Construction of Silt Chamber

(Material cost)

S.No.	Name of Item	Qtty	Unit	Rate	Amount
1	S/o cement	11.00	Bag	364.80	4012.80
2	S/o C/sand	1.30	cum	2049.90	2664.87
3	S/o M150 class Brick	1435	1000	7.21	10343.48
4	S/o 40mm B/Ballast	0.30	cum	1219.00	365.70
6	S/o 20mm s/Ballast	0.40	cum	2753.90	1101.56
7	S/o M/s Iron Bar	0.42	Qtl	7434.00	3122.28
8	S/o F/sand	0.20	cum	1796.90	359.38
9	S/o Screening Bar	1.00	Job	L-S	500.00
17	Provision for photography	1	Job	300.00	300.00
				Total =	**22770.07**

(Labour cost)

S.No.	Name of Item	Qtty	Unit	Rate	Amount
1	E/w excavation foundation in o/soil i/c to the complete work (Boxxing).	7.20	cum	155.00	1116.00
2	CC in 1:6:12 cement, f/sand & 40mm B/ballast mortor i/c all the complete work	0.34	cum	1190.00	404.60
3	M150 class b/w 1:6 cement & c/sand mortor i/c all the complete work (Foundation)	3.12	cum	860.00	2683.20
4	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work (drain)	16.22	cum	94.00	1524.68
5	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work	0.45	cum	2160.00	972.00
6	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	0.42	qtl	1850.00	777.00
				Total =	**7477.48**

महिम कुमार
स्टेट कन्सलटेन्ट

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0

ABHISHEK DVT
(only dwg purpose).

SUMMARY OF COST

Work Name :-Construction of Silt Chamber

S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	7477.48
2	Material Cost	22770.07
	Total =	30247.55
	Say =	0.30 Lakh

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0

महिम कुमार
स्टेट कन्सलटेन्ट (एस०एस०डब्लू०एम०)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०)

ABHISHEK DUTTA
(only drg prepared).

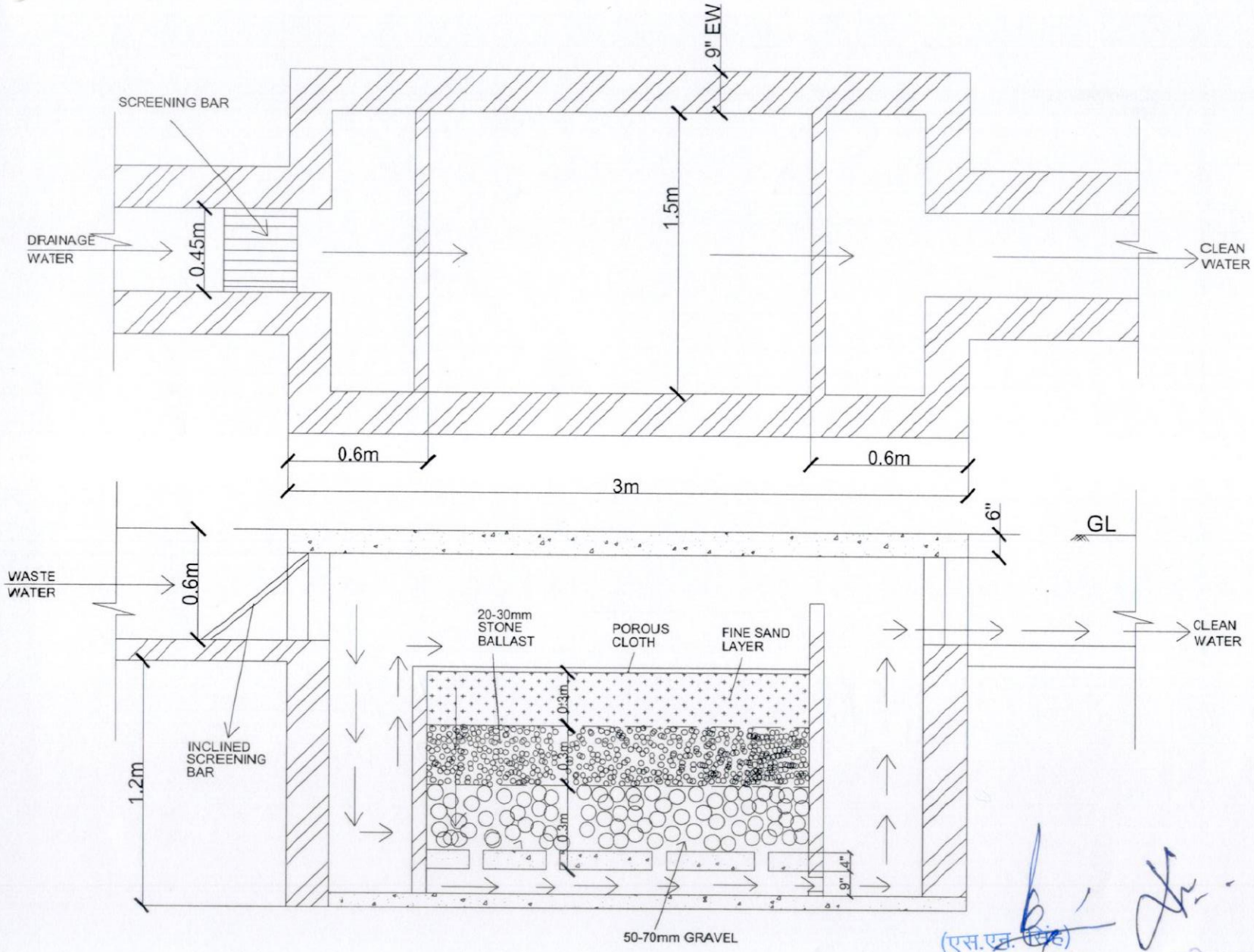

General Notes

No.	Revision/Issue	Date

Firm Name and Address: Panchayati Raj Gramin Jalapurti Prakoshth

Project Name and Address: FILTER CHAMBER

Project: SBM-G
Date: 23-08-2022
Scale: 1:1
Sheet: 00

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0

महिम कुमार
स्टेट कन्सलटेन्ट
स्वच्छ भारत मिशन

Detail of measurement

Work Name :-Construction of Fillter Chamber

S.NO	ITEM	No.	L	W	H	QTTY	UNIT
1	E/w excavation in foundation o/soil in drain i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	1.85	8.33	cum
					Total =	**8.33**	**cum**
2	CC in 1:6:12 cement, c/sand & 20mm s/ballast mortor i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	0.10	0.45	cum
					Total =	0.45	cum
3	CC in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work						
		1	3.00	1.50	0.05	0.23	cum
					Total =	0.23	cum
4	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work Foundation						
		2	3.00	0.23	1.70	2.35	cum
		2	1.04	0.23	1.70	0.81	cum
		1	1.04	0.23	1.40	0.33	cum
		1	1.04	0.23	1.10	0.26	cum
					Total =	3.75	cum
	deduction	1	0.45	0.23	0.60	0.06	cum
		1	0.45	0.23	0.30	0.03	cum
					Total =	**3.66**	**cum**
5	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work						
		2	2.54		1.70	8.64	sqm
		2	1.04		1.70	3.54	sqm
		1	1.04		1.40	1.46	sqm
		1	1.04		1.10	1.14	sqm
					Total =	14.78	sqm
	deduction	1	0.45		0.60	0.27	sqm
		1	0.45		0.30	0.14	sqm
					Total =	14.37	sqm
6	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work						
		1	3.00	1.50	0.10	0.45	cum
		1	1.80	1.50	0.075	0.20	cum
					Total =	**0.65**	**cum**
7	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	1	0.65	0.785	1.20	**0.61**	**qtl**
8	S/o Hessian cloth	1	1.80	1.040		**1.87**	**sqm**
9	S/o 50 to 70mm Brick Bats	1	1.34	1.04	0.40	0.56	cum
10	S/o 25 to 40 mm Brick Ballast	1	1.34	1.04	0.30	0.42	cum
11	S/o c/sand	1	1.34	1.04	0.30	0.42	cum
12	Provision for Photo graphy	1				1	Job

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0

ABHISHEK DUTTA.
(only drg prepared)

Consumption of material

Work Name :-Construction of Fillter Chamber

S.NO	ITEM	Qtty	Cement	C/Sand	M150 Brick	40 mm B/B	20 mm S/B	F/Sand	Brick Bats
1	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete	3.66	6.77	0.99	1683.60				
2	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the	14.37	1.58	0.22					
3	Cc in 1:6:12 cement, c/sand & 40mm B/ballast mortor i/c all	0.45	1.01			0.45		0.22	
4	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all	0.65	4.33	0.29			0.59		
5	CC in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all	0.23	1.53	0.10			0.21		
6	S/o 40mm Brick Ballast	0.42				0.42			
7	S/o C/sand	0.42		0.42					
8	S/o Brick Bats	0.61							0.61
		Total =	**15.23**	**2.02**	**1683.60**	**0.87**	**0.79**	**0.22**	**0.61**
		Say =	**15.00**	**2.00**	**1680.00**	**0.90**	**0.80**	**0.20**	**0.60**
			Bag	**cum**	**No.**	**cum**	**cum**	**cum**	**cum**

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0

ABHISHEK DUTTA
(Only drg. Purpose).

Bill of quantity

(Material cost)

S.No.	Name of Item	Qtty	Unit	Rate	Amount
1	S/o cement	15.00	Bag	364.80	5472.00
2	S/o C/sand	2.00	cum	2049.90	4099.80
3	S/o M150 class Brick	1680	1000	7.21	12109.44
4	S/o 40mm B/Ballast	0.90	cum	1219.00	1097.10
5	S/o Bric Bats	0.60	cum	1166.00	699.60
6	S/o 20mm s/Ballast	0.80	cum	2753.90	2203.12
7	S/o M/s Iron Bar	0.61	Qtl	7434.00	4534.74
8	S/o F/sand	0.20	cum	1796.90	359.38
	S/o Hessian cloth	1.87	sqm	37.76	70.69
17	Provision for photography	1	Job	300.00	300.00
				Total =	**30945.87**

(Labour cost)

S.No.	Name of Item	Qtty	Unit	Rate	Amount
1	E/w excavation foundation in o/soil i/c to the complete work (Boxxing).	8.33	cum	155.00	1291.15
2	CC in 1:6:12 cement, f/sand & 40mm B/ballast mortor i/c all the complete work	0.45	cum	1190.00	535.50
3	M150 class b/w 1:6 cement & c/sand mortor i/c all the complete work (Foundation)	3.66	cum	860.00	3147.60
4	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work (drain)	14.37	cum	94.00	1350.78
5	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work	0.65	cum	2160.00	1404.00
6	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	0.61	qtl	1850.00	1128.50
8	CC in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work	0.23	cum	1550.00	356.50
				Total =	**9214.03**

महिम कुमार
स्टेट कन्सलटेन्ट (एस०एल०डब्लू०एम०)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज उ० प्र०

ABHISHEK DUTA.
(Only drg Prepared)

SUMMARY OF COST

Work Name :-Construction of Fillter Chamber

S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	9214.03
2	Material Cost	30945.87
	Total =	40159.90
	Say =	0.40 Lakh

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0

ABHISHEK DUTTA.
(only drg. Prepared).

महिम कुमार
स्टेट कन्सलटेन्ट
स्वच्छ भारत

संख्या–1607/33–3–2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वच्छता समिति, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2021

विषयः सौ दिवसीय "स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान" (Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits) के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) फेज–I के प्रथम चरण में खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने एवं ओ0डी0एफ0 स्तर प्राप्त करने के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय को व्यापक स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। लोगो को नियमित स्वच्छता एवं साफ सफाई का व्यवहार बनाये रखने के लिये ओ0डी0एफ0 स्तर के स्थायित्व एवं स्वच्छता व्यवहारों को बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है।

2– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–II में सुरक्षित ग्रे–वाटर प्रबन्धन हेतु समुदाय स्तरीय सोख्ता गड्ढे बनाये जाने पर जोर दिया गया है। सामुदायिक सोख्ता गड्ढे ग्रे–वाटर प्रबन्धन हेतु समस्त प्रदेशों में प्रभावी पाये गये हैं।

3– पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–एस.11018/1/2021–एस.बी.एम.–5–डी.डी.डब्लू.एस.–पार्ट(1) दिनांक 23.08.2021 द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 से एक **सौ दिवसीय "स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान"** प्रारम्भ किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त अभियान के अन्तर्गत गांव में ओ0डी0एफ0 के स्थायित्व हेतु लोगो को जागरूक करते हुए उनकी सहभागिता से ग्रे–वाटर प्रबन्धन हेतु वृहद स्तर पर सामुदायिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण कराया जाना है। अभियान के दौरान निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जायः–

(1) अभियान के दौरान लक्षित 9.56 लाख परिवारों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया जाये। इस कार्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की धनराशि का उपयोग किया जाएगा।

(2) प्रति राजस्व गांव कम से कम 5 सामुदायिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण पूर्ण करायें। यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की धनराशि से किया जाएगा।

(3) प्रत्येक राजस्व ग्राम में 10 व्यक्तिगत सोख्ता गढ्ढे का निर्माण कराया जाएगा। यह कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराया जाए।

Amit Sri.

(4) सभी निर्मित कराये जा रहे कार्यो की जियो टैगिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित SBM 2.0 IMIS App के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जाये ।

सुलभ संदर्भ हेतु सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढो की डिजाइन व स्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः– सामुदायिक व घरेलू सोख्ता गड्ढे का मॉडल स्टीमेट एवं डिजाइन।

भवदीय

16.8.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेजयल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

Amit Sri.

No.S-11018/1/2021-SBM-V-DDWS-Part(1)
Government of India
Ministry Jal Shakti
Department of Drinking Water & Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)

4th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 003
Dated, the 23rd August, 2021

To,

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary
In-charge of rural Sanitation
All States/UTs

Subject: Implementing 100 days Campaign – "Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits" (स्थायित्व एवम सुजलाम अभियान) –reg

Madam/Sir,

You are aware that elimination of open defecation and achievement of Open Defecation free (ODF) status for the villages in the first Phase of Swachh Bharat Mission (Grameen) has resulted in noticeable health and economic benefits for rural population. It is critical that the ODF status is sustained and improved behaviors around defecation practice is reinforced to ensure that people continue to realize sustainable health and hygiene benefits.

2. Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-2 emphasizes on creating community level soak pits to ensure safe disposal of greywater in rural areas. Soak pits especially have been found to be very effective across States in managing greywater in a decentralized way.

3. Department of Drinking Water and Sanitation is initiating a 100 days campaign starting 25th August 2021 to reenergize efforts at the local level and mobilize people for collective action on achieving sustainability of ODF outcomes and achieve construction of a million soak pits for management of grey water in rural areas across the States. The following needs to be undertaken to achieve the intended objectives of the campaign:

i. A launch at the State level involving Hon'ble Chief Minister and Minister In charge of Sanitation
ii. Develop ambitious and measurable targets for the campaign
iii. Directive be issued to all the Districts to kick start the 100 days campaign covering all villages in the District
iv. District level Orientation of Gram Panchayats to mobilise them initiate action in villages
v. Developing local IEC materials to inform, engage and mobilise communities for collective action on sustainability

vi. Ensuring participation of Public Representatives in the campaign
vii. Set up monitoring and support arrangements for the campaign
viii. Field visits/ night stays by District level Officials during the campaign.

4. The key activities that need to happen in the villages include:

a) Organizing Community consultations, *Khuli Baithaks* and Gram Sabha meetings to analyze the current situation
b) Pass resolution to maintain ODF sustainability and achieve needed number of soak pits to manage the grey water
c) Develop a 100 days plan to undertake sustainability and soak pit construction related activities
d) Construct requisite number of soakpits
e) Retrofit toilets where neededthrough IEC and community mobilization and
f) Ensure all newly emerging Households in the village have access to toilets

5. Swachh Bharat Mission (Grameen) funds could be used for interventions to beundertaken related to ODF sustainability and for construction of soak pits in the villages as per guidelines.Also, to meet any shortfall in funds requirements, XV FC grants and MGNREGS can be used.

6. You are requested to kindly plan for implementation of this campaign. A copy of the plan may also be shared with this Department. DDWS Officials are available for any support that you may like on planning and implementation of the campaign.

7. I am confident that you would provide personal leadership to this very important campaign.

Yours sincerely,

(Arun Baroka)
Additional Secretary to the Government of India
Phone: 011-24362192
E-mail: arun.baroka@nic.in

Copy to: Mission Director/State Coordinator, SBM (G), All States/UTs

(4) सभी निर्मित कराये जा रहे कार्यो की जियो टैगिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित SBM 2.0 IMIS App के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जाये ।

सुलभ संदर्भ हेतु सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढो की डिजाइन व स्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः– **सामुदायिक व घरेलू सोख्ता गड्ढे का मॉडल स्टीमेट एवं डिजाइन।**

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेजयल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

26.8.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.

No.S-11018/1/2021-SBM-V-DDWS-Part(1)
Government of India
Ministry Jal Shakti
Department of Drinking Water & Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)

4th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 003
Dated, the 23rd August, 2021

To,

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary
In-charge of rural Sanitation
All States/UTs

Subject: Implementing 100 days Campaign – "Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits" (स्थायित्व एवम सुजलाम अभियान) –reg

Madam/Sir,

You are aware that elimination of open defecation and achievement of Open Defecation free (ODF) status for the villages in the first Phase of Swachh Bharat Mission (Grameen) has resulted in noticeable health and economic benefits for rural population. It is critical that the ODF status is sustained and improved behaviors around defecation practice is reinforced to ensure that people continue to realize sustainable health and hygiene benefits.

2. Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-2 emphasizes on creating community level soak pits to ensure safe disposal of greywater in rural areas. Soak pits especially have been found to be very effective across States in managing greywater in a decentralized way.

3. Department of Drinking Water and Sanitation is initiating a 100 days campaign starting 25th August 2021 to reenergize efforts at the local level and mobilize people for collective action on achieving sustainability of ODF outcomes and achieve construction of a million soak pits for management of grey water in rural areas across the States. The following needs to be undertaken to achieve the intended objectives of the campaign:

i. A launch at the State level involving Hon'ble Chief Minister and Minister In charge of Sanitation
ii. Develop ambitious and measurable targets for the campaign
iii. Directive be issued to all the Districts to kick start the 100 days campaign covering all villages in the District
iv. District level Orientation of Gram Panchayats to mobilise them initiate action in villages
v. Developing local IEC materials to inform, engage and mobilise communities for collective action on sustainability

vi. Ensuring participation of Public Representatives in the campaign
vii. Set up monitoring and support arrangements for the campaign
viii. Field visits/ night stays by District level Officials during the campaign.

4. The key activities that need to happen in the villages include:

a) Organizing Community consultations, *Khuli Baithaks* and Gram Sabha meetings to analyze the current situation
b) Pass resolution to maintain ODF sustainability and achieve needed number of soak pits to manage the grey water
c) Develop a 100 days plan to undertake sustainability and soak pit construction related activities
d) Construct requisite number of soakpits
e) Retrofit toilets where neededthrough IEC and community mobilization and
f) Ensure all newly emerging Households in the village have access to toilets

5. Swachh Bharat Mission (Grameen) funds could be used for interventions to beundertaken related to ODF sustainability and for construction of soak pits in the villages as per guidelines.Also, to meet any shortfall in funds requirements, XV FC grants and MGNREGS can be used.

6. You are requested to kindly plan for implementation of this campaign. A copy of the plan may also be shared with this Department. DDWS Officials are available for any support that you may like on planning and implementation of the campaign.

7. I am confident that you would provide personal leadership to this very important campaign.

Yours sincerely,

(Arun Baroka)
Additional Secretary to the Government of India
Phone: 011-24362192
E-mail: arun.baroka@nic.in

Copy to: Mission Director/State Coordinator, SBM (G), All States/UTs

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

MODEL DESIGN FOR GREY WATER COMMUNITY SOAK PIT

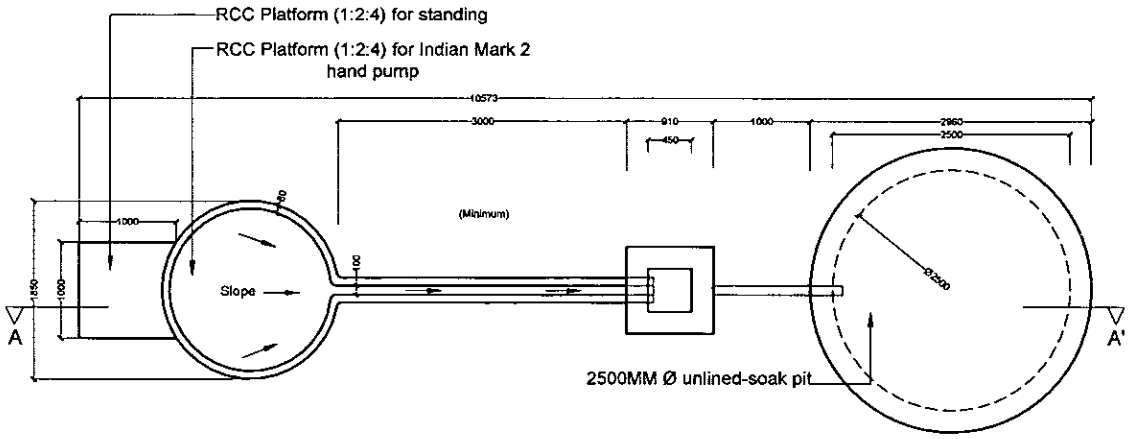

(2500MM DIAMETER)

PLAN FOR PUBLIC GREY WASTE WATER UNLINED-SOAK PIT

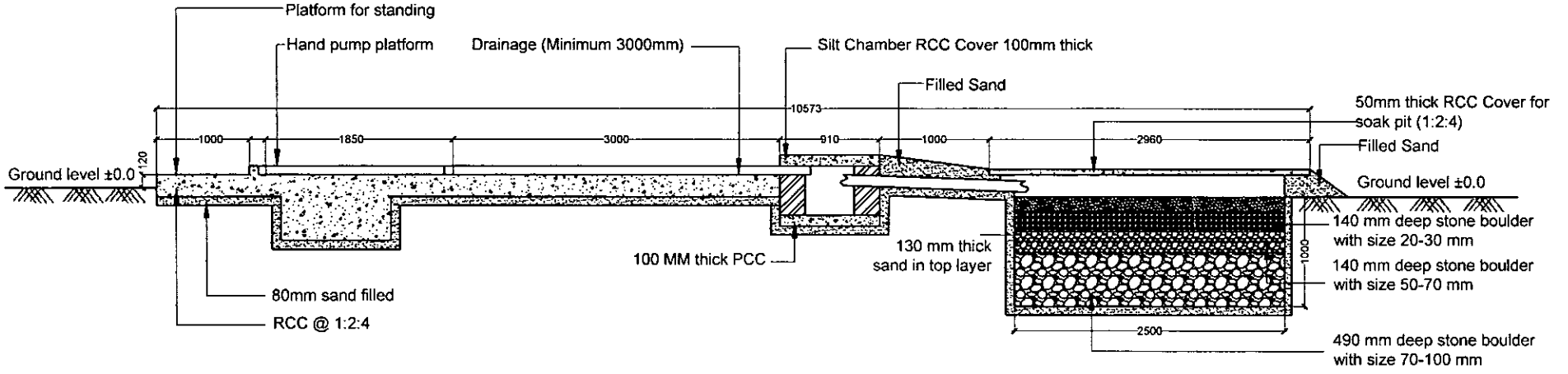

SECTION AT A-A'

Swachh Bharat Mission Grameen, Uttar Pradesh	DATE: 25/08/2021 SCALE: NOT TO SCALE (N.T.S). ALL DIMENSIONS ARE IN MM	DRG. NO: R0/IDC/D-3. PLAN AND SECTIONAL ELEVATION OF COMMUNITY UNLINED SOAK PIT Drawn By: IDC इंडियन डेवेलपमेंट सेंटर INDIAN DEVELOPMENT CENTER	KEY RESOURCE CENTER Panchayati Raj Department, Uttar Pradesh

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

SUMMARY OF COST

S.No.	Item of work	Unit	Amount
1	As per Bill of quantity Labour Cost	Rs.	2934.17
2	As per Bill of Quantity Material Cost	Rs.	8710.64
3	**Sub Total**	Rs.	11644.81
4	**Total**	Rs.	**11645**
	Say		**11.7 Thousands**

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER COMMUNITY SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

DETAILS OF MEASUREMENT AND ABSTRACT OF COST

Pricing is done as per UPPWD (Building) Schedule of rate 2020 Mainpuri. But items for which the rates are not available market rates are accounted.

S.No	Items	No	L	B	H	Qty.	Unit	Rate	Amount	Comments
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	
1	Excavation in foundations in ordinary soil (Loam clay or sand) including lift upto 1.5 m. (5 fts.) and lead upto 30m.(100 fts.) & including filling, watering and ramming of excavated earth into the trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the Engineer-incharges upto a distance of 30 m. (100 fts.) from the foundation trenches.									
	For silt chamber	1	0.9	0.9	0.55	0.4455				
	For Soak pit	1	4.91		1	4.91				
						5.3555	Cu.M	135	722.9925	UPSOR-251
2	Providing and laying Cement concrete 1:4:8(1 cement ; 4 fine sand : 8 graded brick aggregate 40 mm.nominal size) including supply of all materials,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete,also including cost of formwork in foundation & floors.									
	Base of silt chamber	1	0.9	0.9	0.1	0.081				
						0.081	Cu.M	5300	429.3	UPSOR-274. A 4.1.8
3	First Class brick work in 1 : 6 cement and fine sand of 1.25 F.M. mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work.									
	Silt chamber	4	0.565	0.23	0.45	0.23391				
						0.23391	Cu. M	4850	1134.4635	UPSOR-6.1
4	R.C.C (1:2:4) cover (Reinforcement to be paid seperately),including formwork									
	Silit chamber	1	0.91	0.91	0.1	0.08281				
	Soak pit	1	4.91		0.05	0.2455				
						0.32831	Cu.M	6150	2019.1065	UPSOR-4.1.4
5	Mild steel reinforcement work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding with black MS binding wire									
	Silt chamber									
	12mm dia bars at 200 mm cc (6 nosx 8)	10	0.9			9				
	12 mm @ 0.89 Kg/m					9	m			
	Soak pit					8.01	Kg			
	6 mm bars @150 mm	24	1.5			36				
						7.992	Kg			
	Total					16.002	Kg	70	1120.14	market rate
6	Providing and fixing 110mm dia. PVC pipe conforming to IS make working pressure 4 Kg/SqCm including testing labour T&P and all complete fittings from chamber outlet to soak pit									
		3				3	m	360	1080	UPSOR-225-42
7	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	1	4.91		0.49	2.41	Cu.M	950	2285.605	UPSOR-3B(M),13(L)
8	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	1	4.91		0.19	0.93	Cu.M	950	886.255	UPSOR-3B(M),13(L)
9	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	1	4.91		0.19	0.93	Cu.M	1175	1096.1575	UPSOR-3B(M),13(L)
10	Filling of sand in top layer	1	4.91		0.13	0.64	Cu.M	1300	829.79	UPSOR-12(M),13(L)
11	12 mm Cement plaster (1: 6) in single coat of fair side of single of brick wall for interior plastering . In girth and finished even and smooth No. extra for mixing any additive.									
	soakpit	3	0.45	0.45		0.6075				
						0.6075	Sq.m	160	97.2	UPSOR 13.4
	Total								11701.01	

Say Eleven thousand seven hundred rupees Only

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

Consumption of Material

S. No.	Item of work	Qty.	@	Cement bag	@	M-150 Bricks no	@	Coarse Sand (cum)	@	70-100mm Stone Boulder (cum)	@	50-70mm Stone Boulder (cum)	@	20-30mm Stone Boulder (cum)	@	Local sand (cum)
1	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	2.41							1.00	2.41		-				
2	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	0.93									1.00	0.93				
3	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	0.93											1.00	0.93		
4	Filling of sand in top layer	0.64													1.00	0.64
5	Brick work for silt chamber	0.23	1.25	0.29	460	108	0.30	0.07								
6	12mm thick plaster with cement and fine sand in 1:6 including labour material & T&P etc.	0.61	0.066	0.04			0.020	0.01								
7	PCC in 1:4:8 with cement, c/sand and 20 mm dalla grit all complete	0.08	3.40	0.28			0.95	0.08					0.47	0.04		
8	RCC work with praportion of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.33	6.67	2.19			0.50	0.16					0.90	0.30		
		Total		2.80		107.60		0.32		2.41		0.93		1.27		0.64
		say		3.00		108.00		0.40		2.50		1.00		1.30		1.00

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (MATERIAL)

S.No.	Item of work	Qtty	Rate	Unit	Amount
1	Supply of Cement	3.00	330.00	bag	990.00
2	Supply of local sand	1.00	1000.00	cum	1000.00
3	Supply of coarse sand	0.40	1150.00	cum	460.00
4	Supply of 20-30mm aggregate	1.30	875.00	cum	1137.50
5	Supply of M-150 Bricks	108.00	9.00	no.	972.00
6	Supply of 70-100mm Stone boulder	2.50	650.00	cum	1625.00
7	Supply of 50-70mm Stone boulder	1.00	650.00	cum	650.00
8	Supply of steel	16.00	70.00	kg	1120.14
9	S/F of 110 mm dia pvc pipe i/c all material and labour, T&P etc. complete.	3	252.00	rmt	756.00
	Total amount			**Rs.**	**8710.64**

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (LABOUR)

S.No.	Item of work	Qtty	Rate	Unit	Amount
1	E/W in excavation in foundation in ordinary soil i/c lead up to 30 m and lift up to 1.5 m i/c all labour	5.36	110.00	cum	589.11
2	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	2.50	300.00	cum	750.00
3	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	1.00	300.00	cum	300.00
4	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	1.00	300.00	cum	300.00
5	Filling of sand in top layer	1.00	300.00	cum	300.00
6	Brick work for silt chamber	0.23	920.00	cum	215.20
7	PCC in 1:4:8 with cement, c/sand and 20 mm dalla grit all complete	0.08	1000.00	cum	81.00
8	RCC work with praportion of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.33	80.00	sqm	26.26
9	12mm thick plaster with cement and fine sand in 1:4 including labour material & T&P etc.	0.61	80.00	sqm	48.60
10	L/F of 110 mm dia pvc pipe i/c all material and labour t and p etc complete.	3	108.00	rmt	324.00
	Total amount			**Rs.**	**2934.17**

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

MODEL DESIGN FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAK PIT

(1000MM DIAMETER)

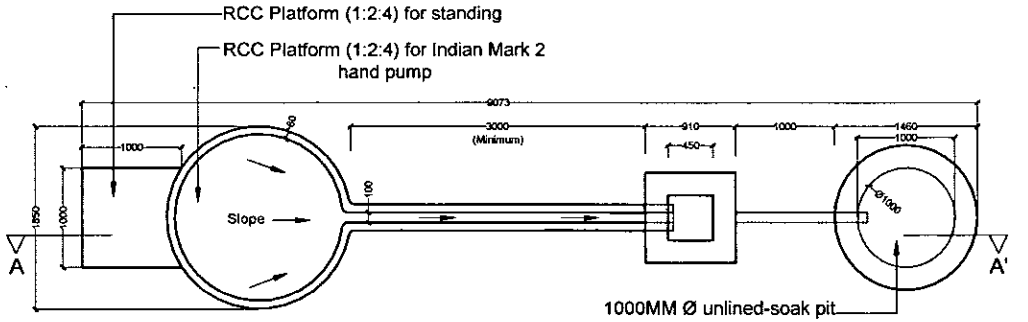

PLAN FOR HOUSEHOLD GREY WASTE WATER UNLINED-SOAK PIT

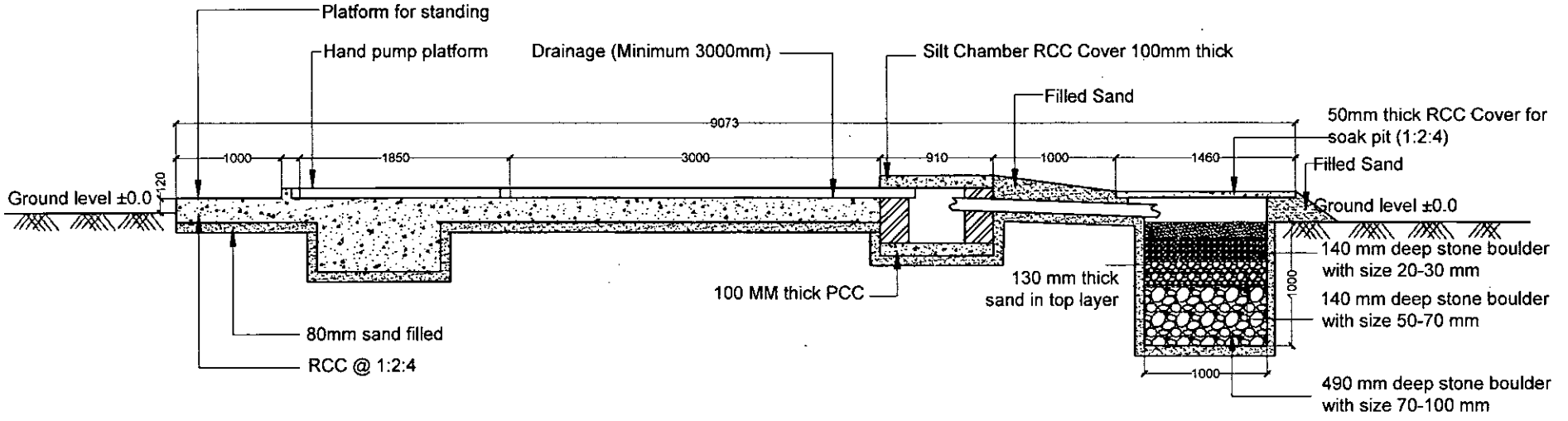

SECTION AT A-A'

Swachh Bharat Mission Grameen, Uttar Pradesh	DATE: 25/08/2021 SCALE: NOT TO SCALE (N.T.S.). ALL DIMENSIONS ARE IN MM	DRG. NO: R0/IDC/D-2. PLAN AND SECTIONAL ELEVATION OF HOUSEHOLD UNLINED SOAK PIT Drawn By: IDC इंडियन डेवेलपमेंट सेंटर INDIAN DEVELOPMENT CENTER	KEY RESOURCE CENTER Panchayati Raj Department, Uttar Pradesh

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

SUMMARY OF COST

S.No.	Item of work	Unit	Amount
1	As per Bill of Quantity Labour Cost	Rs.	1055.36
2	As per Bill of Quantity Material Cost	Rs.	4108.74
3	**Sub Total**	Rs.	5164.10
4	**Total**	Rs.	**5164**
	Say		**5.2 Thousands**

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER COMMUNITY SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

DETAILS OF MEASUREMENT AND ABSTRACT OF COST

Pricing is done as per UPPWD (Building) Schedule of rate 2020 Mainpuri. But items for which the rates are not available market rates are accounted.

S.No.	Items	No	L	B	H	Qty.	Unit	Rate	Amount	Comments
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	
1	Excavation in foundations in ordinary soil (Loam clay or sand) including lift upto 1.5 m. (5 fts.) and lead upto 30m.(100 fts.) & including filling, watering and ramming of excavated earth into the trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the Engineer-incharges upto a distance of 30 m. (100 fts.) from the foundation trenches.									
	For silt chamber	1	0.9	0.9	0.55	0.4455				
	For Soak pit	1	0.79		1	0.79				
						1.2355	Cu.M	135	166.7925	UPSOR-251
2	Providing and laying Cement concrete 1:4:8(1 cement ; 4 fine sand : 8 graded brick aggregate 40 mm.nominal size) including supply of all materials,labour and T & P etc.required for proper completion of the work and curing complete,also including cost of formwork in foundation & floors.									
	Base of silt chamber	1	0.9	0.9	0.1	0.081				
						0.081	Cu.M	5300	429.3	UPSOR-274. A 4.1.8
3	First Class brick work in 1 : 6 cement and fine sand of 1.25 F.M. mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work,									
	Silt chamber	4	0.565	0.23	0.45	0.23391				
						0.23391	Cu. M	4850	1134.4635	UPSOR-6.1
4	R.C.C (1:2:4) cover (Reinforcement to be paid seperately),including formwork									
	Sillt chamber	1	0.91	0.91	0.1	0.08281				
	Soak pit	1	0.79		0.05	0.0395				
						0.12231	Cu.M	6150	752.2065	UPSOR-4.1.4
5	Mild steel reinforcement work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding with black MS binding wire									
	Silt chamber									
	12mm dia bars at 200 mm cc (6 nosx 8)	10	0.9			9				
	12 mm @ 0.89 Kg/m					9	m			
	Soak pit					8.01	Kg			
	6 mm bars @150 mm	16	0.6			9.6				
						2.1312	Kg			
	Total					10.1412	Kg	70	709.884	market rate
6	Providing and fixing 110mm dia. PVC pipe conforming to IS make working pressure 4 Kg/SqCm including testing labour T&P and all complete fittings from chamber outlet to soak pit									
		3				3	m	360	1080	UPSOR-225-42
7	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	1	0.79		0.49	0.39	Cu.M	950	367.745	UPSOR-3B(M),13(L)
8	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	1	0.79		0.19	0.15	Cu.M	950	142.595	UPSOR-3B(M),13(L)
9	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	1	0.79		0.19	0.15	Cu.M	1175	176.3675	UPSOR-3B(M),13(L)
10	Filling of sand in top layer	1	0.79		0.13	0.10	Cu.M	1300	133.51	UPSOR-12(M),13(L)
11	12 mm Cement plaster (1: 6) in single coat of fair side of single of brick wall for interior plastering . In girth and finished even and smooth No. extra for mixing any additive.									
	soakpit	3	0.45	0.45		0.6075				
						0.6075	Sq.m	160	97.2	UPSOR 13.4
	Total								5190.064	

Say five thousand two hundred rupees Only

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

Consumption of Material

S. No.	Item of work	Qty.	@	Cement bag	@	M-150 Bricks no	@	Coarse Sand (cum)	@	70-100mm Stone Boulder (cum)	@	50-70mm Stone Boulder (cum)	@	20-30mm Stone Boulder (cum)	@	Local sand (cum)
1	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	0.39							1.00	0.39						
2	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	0.15									1.00	0.15				
3	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	0.15											1.00	0.15		
4	Filling of sand in top layer	0.10													1.00	0.10
5	Brick work for silt chamber	0.23	1.25	0.29	460	108	0.30	0.07								
6	12mm thick plaster with cement and fine sand in 1:6 including labour material & T&P etc.	0.61	0.066	0.04			0.020	0.01								
7	PCC in 1:4:8 with cement, c/sand and 20 mm dalla grit all complete	0.08	3.40	0.28			0.95	0.08					0.50	0.04		
8	RCC work with praportion of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.12	6.67	0.82			0.50	0.06					0.90	0.11		
		Total		1.42		107.60		0.22		0.39		0.15		0.30		0.10
		say		**2.00**		**108.00**		**0.25**		**0.40**		**0.15**		**0.30**		**0.10**

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (MATERIAL)

S.No.	Item of work	Qtty	Rate	Unit	Amount
1	Supply of Cement	2.00	330.00	bag	660.00
2	Supply of local sand	0.10	1000.00	cum	102.70
3	Supply of coarse sand	0.25	1150.00	cum	287.50
4	Supply of 20-30mm aggregate	0.30	875.00	cum	263.09
5	Supply of M-150 Bricks	108.00	9.00	no.	972.00
6	Supply of 70-100mm Stone boulder	0.40	650.00	cum	260.00
7	Supply of 50-70mm Stone boulder	0.15	650.00	cum	97.57
8	Supply of steel	10.14	70.00	kg	709.88
9	S/F of 110 mm dia pvc pipe i/c all material and T&P etc complete.	3	252.00	rmt	756.00
	Total amount			**Rs.**	**4108.74**

MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (LABOUR)

S.No.	Item of work	Qtty	Rate	Unit	Amount
1	E/W in excavation in foundation in ordinary soil i/c lead up to 30 m and lift up to 1.5 m i/c all labour	1.24	110.00	cum	135.91
2	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	0.40	300.00	cum	120.00
3	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	0.15	300.00	cum	45.03
4	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	0.15	300.00	cum	45.03
5	Filling of sand in top layer	0.10	300.00	cum	30.81
6	Brick work for silt chamber	0.23	920.00	cum	215.20
7	PCC in 1:4:8 with cement, c/sand and 20 mm dalla grit all complete	0.08	1000.00	cum	81.00
8	RCC work with praportion of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.12	80.00	sqm	9.78
9	12mm thick plaster with cement and fine sand in 1:4 including labour material & T&P etc.	0.61	80.00	sqm	48.60
10	L/F of 110 mm dia pvc pipe i/c all material and labour t and p etc complete.	3	108.00	rmt	324.00
	Total amount			**Rs.**	**1055.36**

संख्या–1717/33–3–2021–33/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक–07 अक्टूबर, 2021

विषयः–15वें वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों को निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्ष 2021–2026 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–15(2)एफ0सी0–एक्स0वी0/एफ0सी0डी0/2020–25, दिनांक–14.07.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग वर्ष 2021–26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उसके व्यय के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश दिए गए है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत बेसिक ग्राण्ट की धनराशि का 60 प्रतिशत हिस्सा **टाइड ग्राण्ट** (30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन, वाटर रिसाइक्लिंग एवं 30 प्रतिशत ओ0डी0एफ0 sustainability हेतु) एवं 40 प्रतिशत **अनटाइड ग्राण्ट** के रुप में अनुमन्य की गई है। तत्क्रम में पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–एम0– 11015/ 404/2020–एफ0डी0, दिनांक–23.08.2021 द्वारा अनटाइड ग्राण्ट के व्यय के सम्बन्ध में मार्ग–निर्देश सिद्धान्त निर्धारित किये गये है तथा जल शक्ति मंत्रालय के पत्रांक– डब्ल्यू0–11042/52/2020–जे0जे0एम0–II,– डी0डी0डब्ल्यू0एस0, दिनांक–25.08.2021 के द्वारा टाइड ग्राण्ट व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को आवंटित धनराशि इन्हीं निर्देशों के तहत किया जाना है।

2– पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूलाः–

2.1– पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

2.2 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य क्रमशः 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

2.3 जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बंटवारा भी जनपद की ग्राम पंचायतो व क्षेत्र पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा।

3– 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाइड एवं अनटाइड ग्राण्ट के उपभोग हेतु दिशा निर्देशः–

(3.1) टाइड ग्राण्ट के उपभोग हेतु अनुमन्य कार्यों का विवरणः–

3.1.1 The tied grant can be used for:

a.) supply of drinking water , rainwater harvesting and water recycling , and

b.) Sanitation , maintenance of ODF status , and man agement and treatment of household waste including plastic waste , human excreta , gray water and faecal sludge .

The RLBs shall, as far as possible, earmark one half of the tied grant to each of these two critical services. However, if any RLB is fully saturated the need under one category and does not require funds for that purpose, it can utilize the funds for the other category. For example, if a local body has provided drinking water supply to every house hold in the area of its jurisdiction, it can utilize the funds for sanitation and vice versa. The concerned village assembly/Gram Sabha shall certify this , and it will be duly confirmed by the supervising authority of the Panchayat or the State Government . In case , residents / households within a village/Gram Panchayat/Block do have access to drinking water due to efforts of State/Central Government /various schemes implemented in the past , such Panchayats may utilize the funds on other sub - components like strengthen ing / augmentation of drinking water sources , provision of drinking water for the livestock , gray water treatment , rain water harvesting , water recycling / rejuvenation of water bodies in addition to maintaining existing water supply infrastructure.

3.1.2 Apart from the households, Gram Panchayats are to ensure the provision of potable water supply and sanitation services in public institutions like schools . , GP buildings , public places like weekly haat / market , mela ground , bus stand , playground / sports complex , etc. Gram Panchayats must focus on greywater treatment , reuse and ensure that untreated greywater is not released in water bodies or rivers.

3.1.3 The 15th Finance Commission has not distinguished between operation & maintenance (O & M) and capital expenditure within the categories of tied grant . It is for the RLBs to ensure that funds are first allocated and utilized towards creating infrastructure , usage and management arrangements for drinking water and sanitation services .Over the years RLBs can enter into O & M contracts / arrangements to ensure that benefits of improved drinking water and sanitation are realized on a sustainable basis . RLBs at block and district level, however can allow reverse pooling of funds available with them to District Unit of the State Nodal department to achieve economies of scale and utilize funds for strengthening service delivery (segregation of water and sanitation activities).

3.1.4 However , it is advised that the cost of technical and administrative support should not exceed 10 % of the allocation to the RLBs under tied grant , and the expenditure can be incurred only by the RLB concerned (GP / Block Panchayat / District Panchayat).

3.1.5 The interest accrued in the savings bank accounts of the Panchayats / traditional bodies for the 15th Finance Commission tied grant is a part of the closing balance as on a particular date / year . Therefore , available combined balance , including the interest accrued , constitutes the opening balance for the subsequent year, which need not be transferred back. Funds devolved to any local body are to be utilized as per the guidelines issued on the subject from time to time and it applies to the interest part also.

3.1.6 During the 15th Finance Commission award period , if certain RLBs are converted into Urban Local Bodies (ULBs) , for example , Gram Panchayats into Town Panchayats , the converted RLB's unspent funds under the 15th Finance Commission tied grant at the time of such conversion should be returned to the State Government. The amount so collected should be added in the State - level 15th Finance Commis sion tied grant received by the State in the subsequent financial year and redistributed among the then existing RLBs .

3.2 बेसिक (अनटाइड) ग्राण्ट के उपभोग हेतु अनुमन्य कार्यों का विवरण:–

The FC - XV has recommended 40 % of the allocation as Basic Grants (Untied) to Rural Local Bodies (RLBs) The items of works / activities that may be taken up with the Basic (Untied) Grants include :/

Activities relating to the National priority areas of Health , Education and Nutrition in consultation with the respective State Departments /immunization of children /prevention of malnutrition of children :/construction and repair of Gram Panchayat Bhawans ; / construction and repair and maintenance of roads within Gram Panchayat (GP)/ and inter GP : construction and repair of foot paths within GP and /inter GP : construction and repair and maintenance of LED street lights and solar lighting as applicable (solar street light may be individual poles or centralized solar panel system) - within GP and inter GP ;/ acquisition of land & maintenance and upkeep of dead body burial grounds :/construction , repair and maintenance of crematorium ;/ providing sufficient and high bandwidth Wi - Fi digital network services within GP :/ public library:/ recreation facilities including children's park . playground , rural haat , sports & physical fitness equipment etc. and any other basic improved / enhanced service mandated by State Government under relevant State legislations ; / recurring expenditure for electricity , manpower on outsourcing basis and other administrative expenses as essential (within 10 % limit) ;/ immediate relief work in the event of natural disasters / pandemic ; / discharge of responsibilities specifically mandated to Panchayats under various Acts / Laws e.g.

preparation and updation of People's Biodiversity Register (PBR) under Biodiversity Act, 2002.

RLBS can enter into Annual Maintenance Contracts Service contracts for providing the services to rural residents. However , expenditure from the Grants on the negative list , namely , expenditure on items already being funded from other schemes ,

felicitation cultural functions / decorations / inaugurations , Honorarium , TA / DA of elected representatives and salaries honorarium of existing employees / permanent and contract ; doles / awards , entertainment , purchase of vehicles and air - conditioners are not allowed under this component .

It may also be mentioned that the above items of expenditure are indicative. The Basic (Untied) Grants under FC -XV can be utilized by the local bodies for improving basic services in rural areas , except for salaries and other establishment costs . The expenditure required for auditing of accounts by external agencies including social audit approved by the State Government, however, may be borne from this grant.

4– अनटाइड/टाइड ग्राण्ट हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की अर्हता:–

4.1 अनटाइड एवं टाइड ग्राण्ट हेतु पात्र होने के लिए सम्बन्धित ग्रामीण स्थानीय निकाय को अनिवार्य रूप से पिछले वर्ष के खातों का ऑडिट (प्रोवीजनल) और गत वर्ष के पूर्व वर्ष के अभिलेखों का पूर्ण ऑडिट अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा और अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्तों के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

4.2 टाइड ग्राण्ट हेतु पात्र होने के लिए उस वर्ष की स्वच्छता एवं पेयजल सम्बन्धी वार्षिक एक्शनप्लान, जी0पी0डी0पी0/बी0डी0पी0/डी0पी0डी0पी0 डी0डी0डब्ल्यू0एस0 द्वारा निर्धारित प्रारुप पर ई–ग्राम स्वराज पर अपलोड होने चाहिए।

4.3 15वें वित्त आयोग की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वेबसाईट पर अपलोड करना होगा।

5–तकनीकी एवं प्रशासनिक मद

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्तुत बेसिक (अनटाइड) ग्रान्ट एवं टाइड ग्राण्ट की धनराशि का 10 प्रतिशत तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जा सकता है। पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–एम0 11015/404/2020–एफ0डी0, दिनांक–23.08.2021 में दिये गये मार्ग–निर्देशों के अनुसार व्यय प्रशासनिक मद की धनराशि द्वारा मंत्रालय के 14वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में इंगित किए गए विषयों/मदों पर किया जाएगा। उक्त मदों का विवरण संलग्नक–1 पर है।

इस प्रकार पूर्व से ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) में कार्यरत आई0टी0 कन्सल्टेन्ट, लेखाकार, कार्यालय सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, खण्ड प्रेरक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि के रुप में लगभग 3852 (संलग्नक–2) कर्मियों द्वारा तकनीकी एवं अन्य प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को दी जा रही सेवाओं को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली (टाइड व अनटाइड ग्राण्ट) कुल धनराशि का 1 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर पर नोडल खाता संख्या–39430719992 आई0एफ0एस0सी0 SBIN0006144 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि का आवश्यकतानुसार वितरण राज्य स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर प्राप्त की जा रही सेवाओं के लिए किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक मद की 1 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धी खाते का संचालन निम्नवत् किया जायेगा:–

क्र0सं0	विवरण	खाते के संचालन हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी
1	जनपद स्तर	मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी
2	मण्डल स्तर	मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) एवं कार्यालय सहायक
3	राज्य स्तर	निदेशक पंचायतीराज व नोडल अधिकारी वित्त आयोग

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली 1 प्रतिशत धनराशि एवं वार्षिक कार्मिकों के सेवाओं की आवश्यकता एवं व्यय का आंकलन कर निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा वार्षिक व्यय की अनुमति शासन से प्राप्त की जायेगी।

6– पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना क्रियान्वयन व भुगतान के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–

6.1 जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–डब्ल्यू–11042/52 /2020–जे0जे0एम0 II–डी0डी0डब्ल्यू0एस0, दिनांक–25.08.2021 में संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में गठित पेयजल एवं स्वच्छता समिति प्रत्येक पेयजल प्रयोग करने वाले घर से एवं पेयजल शुल्क की वसूली करेगी एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन और पृथकीकरण के कार्य के लिए भी मासिक शुल्क वसूल करेगी और इसके लिए दीर्घकालीन परियोजना लागू होने तक 15वें वित्त आयोग की धनराशि पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों पर व्यय की जा सकती है। बचत खाते में प्राप्त होने वाला व्याज तत्कालीन वित्तीय वर्ष के क्लोजिंग बैलेंश का भाग माना जायेगा।

6.2 प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा पंचवर्षीय विलेज एक्शन प्लान (वी0ए0पी0) जो 15वें वित्त आयोग के पूरे समय के लिए लागू होगा।

6.3 समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के ई–ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी।

6.4 समस्त त्रिस्तरीय पंचायतें 15 वित्त आयोग के मार्ग–निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर प्लान अपलोड करेंगी।

6.5 तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1838/33–3–2015–03/2015, दिनांक–31.07.2015 में प्राविधानित व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेंगी।

6.6 15वें वित्त आयोग की धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–30/2020/1597/33–3–2020–33/2020, दिनांक–29.06.2020, संख्या –34/2020/1817/33–3–2020–33/2020, दिनांक–24.07.2020, संख्या–1017/33–3–2020–11/2020, दिनांक–16.06.2020 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा।

6.7 आवंटित धनराशि का व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य निर्गत वित्तीय निर्देशों के अन्तर्गत किया जाए। व्यय करते समय मितव्यता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–4/ 2018/आर0जी0–1021/10/ 2018–मित0–1/ 2017, दिनांक–18.09.2018 का पालन किया जायेगा।

उक्त के क्रम में शासन की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का व्यय उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

7.10.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।
9. नोडल अधिकारी, उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ0प्र0।
10. नोडल अधिकारी, वित्त आयोग/उपनिदेशक(पं0), पंचायतीराज निदेशालय उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उ0प्र0।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0), उ0प्र0।
15. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, उ0प्र0।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-1340/33-3-2021-116/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 10 अगस्त 2021

विषयः- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 के स्थायित्व एवं ओ0डी0एफ0 प्लस की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन हेतु संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 के स्थायित्व एवं ओ0डी0एफ0 प्लस की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन किया जाना है।

संस्थागत व्यवस्थाः-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 की समस्त गतिविधियों को सकुशल एवं ससमय पूर्ण कराने हेतु राज्य, मण्डल, जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नानुसार संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी :-

स्टेट सैनिटेशन मिशन - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-1 अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर पूर्व में गठित स्टेट सैनीटेशन मिशन ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 हेतु प्रभावी होगा , जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित समितियां संचालित हैं, वह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 हेतु प्रभावी होंगी,जो निम्नानुसार हैः-

गवर्निंग बाडी (Governing Body)

प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मा0 मंत्री पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन, की अध्यक्षता में गवर्निंग बाडी संचालित हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में कार्यक्रम के संबंध में सुझाव एवं मार्गदर्शन शीर्ष समिति एवं कार्यकारी समिति को समय-समय पर देगी। इस समिति के उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन तथा सदस्य सचिव, मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) , उ0प्र0 हैं। इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं और यह समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगीः-

क्र. सं.	पदनाम	संचालन समिति में स्तर
1	मा0 मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) , उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

Amit Sri.

क्र. सं.	पदनाम	संचालन समिति में स्तर
4	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	सदस्य
6	अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	विशेष आमंत्री

शीर्ष समिति (Apex Committee):

इस समिति के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज इस समिति के सचिव हैं और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं। यह समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी :–

क्र. सं.	पदनाम	शीर्ष समिति में स्तर
1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य सचिव
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना, एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) , उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
	स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक जिलाधिकारी एवं एक मुख्य विकास अधिकारी जो वर्तमान समय में अन्यत्र कहीं भी तैनात हो सकते है।	सदस्य
14	स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रही अर्न्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	विशेष आमंत्री

कार्यकारी समिति (Excutive Committee)

मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। यह समिति स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के कियान्वयन की निगरानी करेंगी तथा राज्य एवं जिले स्तर पर विभिन्न विभागों से ताल–मेल कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व कार्यकारी समिति का होगा। राज्य स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्य समिति के अनुमोदन से किये जायेंगे। राज्य स्तर पर योजना का एक खाता होगा जिसका संचालन मिशन निदेशक/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन तथा नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)/सदस्य सचिव, स्टेट सैनीटेशन मिशन द्वारा किया जायेगा। कार्यकारी समिति वर्ष में कम से कम दो बैठक करेंगी।–

क्र. सं.	पदनाम	कार्यकारी समिति में स्तर
1	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) , उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	निदेशक पंचायतीराज विभाग,उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	अपर आयुक्त मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	अपर निदेशक, मेडिकल केयर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7	अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9	महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
10	अपर निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी,पंचायतीराज विभाग उ0प्र0।	सदस्य
12	मिशन निदेशक/नोडल आफिसर, जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13	राज्य नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
14	अध्यक्ष द्वारा नामित स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत एक विशेषज्ञ	विशेष आमंत्री

स्टेट लेवल स्कीम सेंक्सनिंग कमेटी

राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज–1 के अन्तर्गत कार्यरत कार्यकारी समिति ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 में स्टेट लेवल स्कीम सेंक्सनिंग कमेटी होगी। इस समिति में तकनीकी मार्गदर्शक सुझाव हेतु तकनीकी विभाग के प्रतिनिधि तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, जिसमें यथावश्यक भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के एक प्रतिनिधि भी होंगे। समिति का कार्य जनपदों से प्राप्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के पी0आई0पी0 एवं ए0आई0पी0 प्रस्तावों का तकनीकी जांच कर स्वीकृति प्रदान करना होगा।

जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–1 अन्तर्गत जनपद स्तर पर पूर्व में गठित जिला स्वच्छता मिशन ही अब **जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** कहलायेगा, यह मिशन राज्य स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) से सम्बद्ध होगा, इसके निम्नलिखित अंग हैं:–

गवर्निंग बाडी:

जिला पंचायत अध्यक्ष गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष हैं। गवर्निंग बाडी वर्ष में छमाही बैठक करेगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:–

क्र.	पदनाम	गवर्निंग बाडी में स्तर
1	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2	जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
4	माननीय सांसद (जनपद के समस्त)	सदस्य
5	माननीय विधायकगण(जनपद के समस्त)	सदस्य
6	माननीय सदस्य विधान परिषद (जनपद के समस्त)	सदस्य
7	जिला पंचायत की स्थायी समिति के समस्त अध्यक्ष	सदस्य
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
10	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण	सदस्य
11	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
12	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13	अधिशासी अभियंता जल निगम	सदस्य
14	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
15	जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक

जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति

जनपद स्तर पर पूर्व में गठित जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैंनेजमेन्ट कमेटी अब जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति कहलायेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रतिमाह बैठक करेगी तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अर्न्तगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना (डी0पी0आर0) एवं अन्य आवश्यक प्रस्तावों पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुऐ किर्यान्वयन की अनुमति प्रदान करेगी। समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। जनपद स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति के अनुमोदन से किये जायेगें। जनपद स्तर पर खाते का संचालन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति अथवा उनके द्वारा अधिकृत मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति एवं जिला पंचायत राज अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का मानदेय, यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यालय मद, वाहन किराया, पी.ओ.एल. आदि का अनुमोदन समिति से लेने के उपरान्त इनका भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी के एकल बैंक खाता संचालन द्वारा किया जायेगा।

क्र.	पदनाम	जिला समिति में स्तर
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	कोषाधिकारी	सदस्य
4	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
6	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सदस्य
7	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
8	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
9	जिला कार्यक्रम अधिकारी(आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
10	अधिशासी अभियन्ता जल निगम	सदस्य
11	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
12	जिला पंचायत सदस्य(एक)	सदस्य
13	ब्लाक प्रमुख (दो)	सदस्य
14	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन) जिसमें से एक महिला प्रधान अनिवार्य रूप से होगी। प्रधानो का चयन अध्यक्ष जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति द्वारा किया जाएगा।	सदस्य

विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति

विकास खण्ड स्तर पर पूर्व में गठित विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन मैंनेजमेन्ट कमेटी अब विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति कहलायेगी। खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रतिमाह बैठक करेगी। स्वच्छ

भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 में इस समिति का कार्य ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त एवं खुले में शौचमुक्त के स्थायित्व चरण का प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना होगा। यह समिति प्रत्येक माह विकास खण्ड की समीक्षा कर प्रगति एवं रणनीति से जिला स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) समिति को अवगत करायेगी। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) इस समिति के सदस्य सचिव, होंगे। यह समिति राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में सहयोग करेंगी। विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उत्तरदायी होंगे।

विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति

क्र.	पदनाम	विकास खण्ड समिति में स्तर
1	खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	सदस्य सचिव
3	खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5	सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण)	सदस्य
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
7	अवर अभियन्ता जल निगम	सदस्य
8	क्षेत्र पंचायत सदस्य (एक) जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
9	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन) जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

<u>राज्य स्तर पर पूर्व में गठित राज्य स्वच्छता परियोजना प्रबन्धन इकाई</u>:– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 में **अब** राज्य स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) (एस.एस.बी.एम.जी.) कहलायेगी, जो मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश के नियन्त्रण में कार्य करेगी तथा उनके नियंत्रणाधीन राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एस.एस.बी. एम.जी.) कार्य करेगी, जिसका ढॉचा निम्नवत् होगा:–

- स्टेट कोआर्डिनेटर/स्टेट नोडल आफिसर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–शासन द्वारा नामित पंचायतीराज विभाग के उपनिदेशक स्तर का अधिकारी।

कन्सल्टेन्ट	**फेज–1 में कार्यरत**	**फेज–2**
• एच0आर0डी0/क्षमता संवर्धन	– 1	– 1
• आई0ई0सी0	– 1	– 1
• अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	– 2	– 2
• एस0डब्लू0एम0	– 1	– 1
• एल0डब्लू0एम0	– 1	– 1
• एम0एच0एम0/एम0आई0एस0	– 1	– 1
• एम0आई0एस0	– 1	– 1

अन्य

• लेखाकार	– 1	– 1
• पी0एफ0एम0एस0 / लेखा	– 1	– 1
• कार्यालय सहायक	– 7	– 7
• डाटा इन्ट्री आपरेटर	– 8	– 8
• स्वागती	– 1	– 1
• अनुचर	– 4	– 4
• वाहन चालक	– 1	– 1
• सफाई कर्मी	– 2	– 2

राज्य स्तर पर तैनात कन्सल्टेन्ट/अन्य कार्यरत कर्मियों का मानदेय, यात्रा भत्ता एवं अन्य समस्त व्यय राज्य स्तर पर उपलब्ध प्रशासनिक मद से किया जायेगा। इन पदों का पारिश्रमिक अन्य कार्यक्रमों (जैसे एस0आर0एल0एम0/एन0एच0एम0 मनरेगा आदि) की मानदेय/वेतन संरचना के अनुसार होगा।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

<u>मण्डल स्तर पर:–</u> मण्डल स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) इकाई गठित है, जो मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) के नियंत्रण में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज–2 में अनुश्रवण, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षणों के आयोजन एवं जनपदों में क्षेत्र भ्रमण कर सहयोग प्रदान करने तथा निरन्तर मिशन कार्यालय को रिपोर्ट आदि उपलब्ध करायेगी जिसके लिये निम्नवत् कन्सलटेन्ट्स की तैनाती की गयी है:–

कन्सल्टेन्ट	**फेज–1 में कार्यरत**	**फेज–2**
• मंडलीय कन्सलटेन्ट अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	– 1	– 1
• मंडलीय कन्सलटेन्ट आई0ई0सी0	– 1	– 1
• डाटा इन्ट्री आपरेटर	– 1	– 1

मण्डल स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु गठित इकाई पर होने वाले व्यय हेतु मण्डलीय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) इकाई को राज्य स्तर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

<u>जनपद स्तर:–</u> स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अर्न्तगत जनपद स्तर पर इकाई गठित है, जो स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज–2 में कार्य करेगी, जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित पदाधिकारी हैं:–

- जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)–सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी (पदेन)
- सहायक जिला समन्वयक (तकनीकी) एस.बी.एम.(जी)–सम्बन्धित जनपदों के सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) (पदेन)

● सहायक जिला समन्वयक एस.बी.एम.(जी)–सम्बन्धित जनपदों के अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पदेन)

कन्सल्टेन्ट	**फेज–1 में कार्यरत**	**फेज–2**
आई0ई0सी0 / एच0आर0डी0 / क्षमता संवर्धन	– 1	– 1
• अनुश्रवण एवं मूल्यांकन / एम0आई0एस0	– 1	– 1
• एस0एल0डब्लू0एम0	– 1	– 1
अन्य		
• लेखा सहायक / योजना सहायक	– 1	– 1
• डाटा इन्ट्री आपरेटर	– 2	– 2

उक्त कन्सलटेन्ट / कर्मी जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य / मण्डल कन्सलटेन्ट को सहयोग प्रदान करेंगे। इन पदों का पारिश्रमिक अन्य कार्यक्रमों (जैसे एस0आर0एल0एम0 / एन0एच0एम0 मनरेगा आदि) की मानदेय / वेतन संरचना के अनुसार होगा।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

<u>विकास खण्ड स्तर पर</u>:– स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज–1 अर्न्तगत विकास खण्ड स्वच्छता समिति गठित की गयी हैं, जिसमें सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (पदेन) ब्लाक सैनीटेशन आफिसर हैं, जिनके सहयोग हेतु खण्ड प्रेरक तैनात हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज–2 में कार्य करेगी।

खण्ड प्रेरक (Block Motivator)	**फेज–1 में कार्यरत**	**फेज–2**
• खण्ड प्रेरक अनुश्रवण	– 1	– 1
• खण्ड प्रेरक सोशल मोबलाइजेशन	– 1	– 1
• डाटा इन्ट्री आपरेटर	–1	– 1

उक्त प्रेरक व डाटा इन्ट्री आपरेटर जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) तथा जिला कन्सलटेन्ट के मागदर्शन में कार्य करेंगे। विकास खण्ड स्वच्छता समिति, जिला और ग्राम पंचायत के बीच एक सेतु का काम करेगी और जागरूकता पैदा करने, प्रेरणा, प्रोत्साहन, और ग्राम समुदायों तथा ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में निरंतर सहायता प्रदान करेगी।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति द्वारा विकास खण्ड स्वच्छता समिति को विकास खण्ड स्तर पर होने वाले समस्त प्रशासनिक गतिविधियों हेतु त्रैमासिक अग्रिम धनराशि खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। विकास खण्ड स्वच्छता समिति का पृथक से खाता खोला जायेगा, जिसका संचालन खण्ड विकास अधिकारी / ब्लाक सैनीटेशन आफिसर एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा, इस खाते में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अतिरिक्त अन्य धनराशि नहीं रखी जायेगी। इस खाते में प्राप्त होने वाली धनराशि सहायक विकास अधिकारी (पं0) के कार्यालय / स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) वार रुम की प्रशासनिक क्रिया–कलापों हेतु

अथवा जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर व्यय की जायेगी।

विकास खण्ड स्वच्छता समिति द्वारा प्रत्येक त्रैमास के उपरान्त उपभोग प्रमाण–पत्र एवं व्यय विवरण व बिल जिला पंचायत राज अधिकारी/सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त अभिलेखों की छायाप्रति विकास खण्ड स्तर पर संरक्षित रखी जायेगी।

उपरोक्त समस्त कन्सल्टेन्ट/अन्य कार्यरत कर्मियों के मानदेय एवं यात्रा भत्तों का निर्धारण राज्य अजीविका मिशन में दिये जा रहे मानदेय के आधार पर किया जा सकता है, जिसका निर्णय कार्यकारी समिति, द्वारा किया जायेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर जल और स्वच्छता समितिः–

- ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का कियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समस्त समितियां अपने कार्यक्रम में स्वच्छता कार्यो को प्राथमिकता देंगी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर खोला गया खाता ग्राम निधि–6 का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उपयोगार्थ किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष खाते का ऑडिट किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत का वर्ष में कम से कम एक बार सोशल आडिट किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत एवं जल स्वच्छता समिति अपनी ग्राम पंचायत को पूर्ण रुप से खुले में शौच मुक्त करने एवं ओ0डी0एफ0 प्लस हेतु कार्य करेगी।
- इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, प्रेरणा देने, ग्राम कार्य योजना तैयार करने व प्रोत्साहन देने के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत की एक उप–समिति के रूप में ग्राम जल और स्वच्छता समिति (जल एवं स्वच्छता समिति) का गठन किया जा सकता है। जल एवं स्वच्छता समिति में सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि और 6 अन्य सदस्य हो सकते हैं। इसकी कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति और समाज के गरीब वर्गों का, ग्राम पंचायत में उनकी आबादी के अनुपात में, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समिति को ग्राम पंचायत के जल और स्वच्छता की एक स्थायी समिति के रूप में कार्य करेगी और यह ग्राम पंचायत की अभिन्न अंग होगी। जल एवं स्वच्छता समिति की संरचना और कार्यों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। ग्राम पंचायत का प्रधान जल एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष होगा।

ठोस एवं तरल अपषिश्ट प्रबन्धन गतिविधियों के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार वित्तीय प्राविधान किया गया हैः–

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अर्न्तगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु गतिविधि वार वित्तीय यवस्था	
गतिविधि	वित्तीय व्यवस्था
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था (बी.पी.एल.एवं निर्धारित ए.पी.एल.)	अधिकतम रू0 12000 (शौचालय निर्माण एव पानी हेतु स्टोरेज व्यवस्था के साथ)

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु गतिविधियां	ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधि	गांव की जनसंख्या के आधार पर	वित्तीय प्रावधान
		यदि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 तक है	1–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धनः रू0 60 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा 2–तरल अपशिष्ट प्रबन्धनः रू0 280 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा।
	जनपद स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधि	यदि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक है	1–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धनः रू0 45 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा। 2–तरल अपशिष्ट प्रबन्धनः रू0 660 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा। नोटः– (ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यय की जाने वाली धनराशी में 30 प्रतिशत 15वां वित्त की धनराशी से किया जायेगा जिसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत उक्त मद से करेगी।
		प्लास्टीक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (एक यूनिट प्रति विकास खण्ड)	अधिकतम रू016 लाख प्रति विकास खण्ड के अनुसार आगणन किया जायेगा।
		फिकल स्लज मैनेजमेंट	अधिकतम रू0 230 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगणन किया जायेगा।
		गेबर–धन प्रोजेक्ट	अधिकतम रू0 50 लाख प्रति जनपद के अनुसार आगणन किया जायेगा।
सामूदायिक शैचालय निर्माण मे व्यय होनेवाली धनराशी।		अधिकतम रू0 3 लाख प्रति यूनिट के अनुसार आगणन किया जायेगा। नोटः– (सामुदायिक शौचालय हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि में 30 प्रतिशत 15वां वित्त की धनराशि से व्यय किया जायेगा। जिसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत उक्त मद से करेगी)	
प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण मे व्यय होनेवाली धनराशि।		फेज–1	फेज–2
		स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद में व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 5 प्रतिशत था। जिसमें से 0.50 प्रतिशत राज्य स्तर पर तथा 4.50 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जा रहा है।	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद में व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 3 प्रतिशत होगा। जिसमें से 0.50 प्रतिशत राज्य स्तर पर तथा 2.50 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जायेगा।
प्रशासनिक मद मे व्यय होने वाली धनराशि।		फेज–1	फेज–2
		स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद की व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 2 प्रतिशत था। जिसमें से 0.20 प्रतिशत राज्य, 0.20 प्रतिशत मण्डल तथा 1.60 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जा रहा है।	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद की व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 1 प्रतिशत होगा। जिसमें से 0.20 प्रतिशत राज्य, 0.20 प्रतिशत मण्डल तथा 0.60 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जायेगा।
रिवाल्विंग फंड		स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद में व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 5 प्रतिशत होगा अथवा 1.5 करोड. प्रति जनपद व्यय किया जा सकता है।	
फ्लेक्सी फंड		राज्य आवश्यकतानुसार फ्लेक्सी फंड को परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार व्यय कर जा सकता है।	

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुऐ, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 का निर्धारित वित्तीय प्रावधान के अनुसार कियान्वयन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

10.8.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

30.7.21

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.

No. S-11011/2/2020-SBM-DDWS
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)

12th Floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan'
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110 003
Dated 17.01.2022

To

The Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries,
In-charge of rural sanitation,
All States/UTs

Subject: Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] Phase-II Guidelines – Amendment to the para 15.1 regarding programme funding provisions in SBM(G) Phase-II

Sir,

I am directed to refer to the SBM(G) Phase-II Operational Guidelines and to convey that para 15.1 of the SBM(G) Phase-II guidelines regarding **funding provisions for Gobardhan and Plastic Waste Management Units have been revised as under**:

"15.1 Programme funding Provisions in SBM(G) Phase II

The various components and approved financial assistance for different components under SBMG Phase-II are as below:

<table>
<tr><th colspan="2">Components</th><th colspan="2">Financial assistance</th></tr>
<tr><td colspan="2">Incentive for construction of IHHLs
(BPLs and Identified APLs)</td><td colspan="2">Rs.12,000/- (including provision for water storage facility for handwashing and cleaning to maintain hygiene)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">SLWM activities</td><td rowspan="4">Village level SLWM activities</td><td>Village size</td><td>Financial support</td></tr>
<tr><td>Upto 5000 population</td><td>Solid Waste Management: Upto Rs.60 per capita
Greywater Management: Upto Rs.280 per capita</td></tr>
<tr><td>Above 5000 population</td><td>Solid Waste Management: Upto Rs.45 per capita
Greywater Management: Upto Rs.660 per capita</td></tr>
<tr><td colspan="2">Note-
1. 30% of this amount will be borne by the GPs from their 15th Finance Commission grants.
2. Each village can utilize a minimum of total Rs. 1 lakh based on their requirements for both solid waste and greywater management.
3. The savings under Solid Waste Management component, if any, in a village can be used for Grey Water Management in the same village and, similarly, savings under Grey Water Management component, if any, in a village can be used for Solid Waste Management in the same village.</td></tr>
</table>

Contd..2..

	District level SLWM activities	**Plastic Waste Management Unit *(one in each Block)***	Upto Rs.16 lakh per unit **(The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a block for setting up of PWMU can be used in another block, if required. Also, based on requirement, PWMUs can be set up in cluster mode for more than one block within the overall funds availability of such blocks.)**
		Faecal Sludge Management (FSM)	Upto Rs.230 per capita
		GOBAR-Dhan Projects	Upto Rs.50 lakh per District **(The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a district for Gobardhan can be used in another district, if required. Also, based on requirement, Gobardhan units can be taken up in cluster mode for more than one district within the overall funds availability of such districts.)**
Community Sanitary Complex (CSC)		Rs. 3 Lakh Note: 30% of this will be borne by GPs from 15th FC	
IEC and Capacity Building		Up to 5% of the total funding for programmatic components (up to 3% to be used at State / District levels and up to 2% at Central level)	
Administrative Expenses		Up to 1% of the total funding for programmatic components	
Revolving Fund		Up to 5% of Project outlay subject to max. Rs. 1.5 crore per district	
Flexi Funds		The States can use flexi funds as per Ministry of Finance guidelines issued in this regard from time to time for innovations / technology options at the State level to meet the local needs and requirements within the overall objective of the Scheme.	

State / UT Governments will have the flexibility to provide higher incentive / additional funding from other sources such as 15th Finance Commission grants, MPLAD / MLALAD / CSR funds or through convergence with MGNREGS or other schemes of the State Government or Central Government (other than SBM-G), etc."

2. You are, therefore, requested to bring this to the notice of all the concerned implementing agencies in your State/UT for appropriate action.

3. This is issued with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

17/01/2022

(Rampal Singh)
Deputy Secretary to the Government of India
Phone – 011-2436 9654
Email: rampal.singh67@gov.in

Copy to: Mission Directors/State Coordinators, SBM(G), All States/UTs